भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
निष्पादन प्रतिवेदन
2013–14

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डेस्क से

मुझे वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस प्रतिवेदन में बाह्य हितधारकों के लिए भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) के मूल्य और लाभ परिलक्षित होते हैं।

जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबहेदी की आवश्यकता को शायद ही नकारा जा सकता है। सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के रूप में हम उदाहरण पेश कर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। हमने भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार के मानक पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने के लिए एक आचार संहिता तैयार की है और लेखापरीक्षण प्रक्रिया के मार्गदर्शन हेतु मानक/दिशा-निर्देश तय किए हैं।

हम लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड, संगोष्ठी और कार्यशालाओं आदि तंत्र के माध्यम से अपने हितधारकों से लगातार जुडे हैं। हम लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समाधान हेतु लेखापरीक्षित सत्त्वों से जुड़े रहते हैं।

साई इंडिया सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन(एसोसाई) का एक सक्रिय सदस्य है। हितधारकों द्वारा यूएन एजेंसियों के बाहरी लेखापरीक्षकों के रूप में हमारी भूमिका की सराहना की गई है। साई इंडिया को 1 जुलाई, 2014 से छः वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस प्रतिवेदन में इंटोसाई और एसोसाई की गतिविधियों में हमारी भागीदारी पर प्रकाश डाला गया है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन साई इंडिया संस्था द्वारा निभाई गई भूमिका को समझने में विधायिका, कार्यपालिका, इंटोसाई और एसोसाई के सदस्यों और हितधारकों के लिए सहायक होगी।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

विषय-सूची

अध्याय	विषय-सूची	पृष्ठ
	निष्पादन की मुख्य बातें	i-vi
1	इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में	1
2	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में	3
3	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ-लेखापरीक्षा	22
4	महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी	81
5	व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन	96
6	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं	103
7	संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम	119
8	प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा सम्पर्क	122
9	अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	128
	अनुबंध I	140
	अनुबंध II	142

निष्पादन की मुख्य बातें

I. निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव और साई संसाधनों के उपयोग के साथ-साथ हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन, और इस पर अनुवर्ती कार्रवाई, रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है।

II. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के विषय में

- भारत के सीएजी एक संवैधानिक प्राधिकार हैं।
- सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 लेखापरीक्षा क्षेत्र का वर्णन करने वाला मूल विधान है जिसमें संघ और राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सार्वजनिक कोष से आंशिक रूप से वित्तपोषित अन्य निकाय आते हैं। संसद के कई अन्य अधिनियमों में भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ सांविधिक प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में सीएजी द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण का भी प्रावधान है।
- भारत के सीएजी अपने कर्तव्य का निर्वहन भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से करते हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी का कार्यालय, लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का मुख्यालय है, समूचे

भारत में फैले 133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश स्थित पांच कार्यालय इस विभाग की सहायता करते हैं।

III. लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम

- हमने वर्ष 2013-14 के दौरान 54513 इकाईयों की लेखापरीक्षा की, जो संघ तथा राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का क्रमशः 97.5 *प्रतिशत* तथा 95.3 *प्रतिशत* था।
- हमने 2013-14 के दौरान 49,894 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए।
- हमने 2013-14 के दौरान 134 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (164 निष्पादन लेखापरीक्षाओं के साथ-साथ), 32 संसद में तथा 102 राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किये। इनमें से 44 प्रतिवेदन राज्य विधान मंडलों में 31 मार्च 2014 के बाद प्रस्तुत किये गये। हमने संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाईयों को 2,304 सिफारिशें की। इनमें से 704 सिफारिशों को संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा मान लिया गया।
- हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 6,812 लेखों की जाँच की। इनमें से, 79.6 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र समय पर जारी किए गए।
- सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई 64.4 *प्रतिशत* वसूलियां (₹ 1,32,394.19 करोड़) स्वीकार कर ली। इनमें से, वास्तव में ₹ 3,000 करोड़ की वसूलियां की गई (हमारा कुल व्यय ₹ 2,922 करोड़ था)।

- हमने नियमों, विनियमों में विचलन; योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय आदि के अभाव के बारे में बहुत से दृष्टांत बताए।
- सरकार द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक दिशानिर्देश, आदेश आदि जारी किए गए और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किए गए।
- 31 मार्च 2014 को संघ तथा राज्य स्तर पर पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर हमें 12,419 की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

IV. लेखा और हकदारी के मुख्य परिणाम

- हमने वर्ष 2013-14 के दौरान 4,69,393 पेंशन तथा संशोधन मामलों का निपटान किया।
- हमने 99.5 *प्रतिशत* नियोजित कोषागार निरीक्षण किए। राज्य सरकार ने हमारे द्वारा की गई 59.8 *प्रतिशत* सिफारिशें स्वीकार कर ली।
- वर्ष के दौरान हमने 96.6 *प्रतिशत* सामान्य भविष्य निधि लेखाधारकों को लेखा विवरण समय पर जारी किए।.

V. व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन

- भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए गए थे। चार आईजीएएस तथा चार आईजीएफआरएस (भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) भारत सरकार के विचाराधीन थे।

- हमने लेखापरीक्षा और लेखांकन नीति एवं उनके कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत के सीएजी को सलाह देने के लिए व्यावसायिक प्रथाओं के तकनीकी बोर्ड का गठन किया।
- लेखांकन मानकों विशेषकर इंटोसाई लेखांकन मानकों, एसोसाई दिशा-निर्देशों एवं लागू विधायी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचे (एक्यूएमएफ) को संशोधित कर दिया गया।
- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के उपाय के रूप में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के 31 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्टों में की गई 42 *प्रतिशत* सिफारिशें लागू कर दी गई थी।

VI. संसाधन प्रबंधन

- हमने 2013-14 में ₹ 2921.56 करोड़ खर्च किए।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ पर एचआर नीति का मुख्य फ़ोकस जारी रहा।
- आईएएण्डएडी में कार्यरत 48,139 लोगों में से, 88 *प्रतिशत* प्रत्यक्ष रूप से हमारे मुख्य कार्यकलापों में अपना योगदान देते हैं।
- वर्ष के दौरान हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों ने 12,786 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

VII. संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम

- 24 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली मुख्यालय में नई एवं अक्षय ऊर्जा पर हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की गई।

- नई दिल्ली मुख्यालय में फरवरी 2014 में "जीपीएफ प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं" पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- मार्च 2014 में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान शिलांग में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 8 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के लिए "वित्त एवं विनियोग लेखे बनाने" पर छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- नई दिल्ली मुख्यालय में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से 27 सितम्बर 2013 को हितधारकों की लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञान और प्रतिस्पर्धा नियम को लागू करने पर आधे दिन का 'वेबिनार' आयोजित किया गया।

VIII. प्रमुख हितधारियों के साथ हमारा परस्पर व्यवहार

- संघ और राज्य स्तरों पर गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की अर्द्धवार्षिक बैंठकें हुई।

IX. अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी एवं योगदान

- सीएजी को 1 जुलाई 2014 से छः वर्षों के लिये संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड का सदस्य (नवम्बर 2013) बनाया गया।
- सीएजी 2011 से 2013 तक बाह्य लेखापरीक्षकों के यूएन पैनल के अध्यक्ष थे तथा पाँच यूएन संगठनों (डब्ल्यूएफपी, आईएमओ, डब्ल्यूआईपीओ, आईएईए और यूएनडब्ल्यूटीओ) के बाह्य लेखापरीक्षक भी थे।

- सीएजी इंटोसाई के सदस्य तथा एसोसाई के अध्यक्ष हैं। वे आईटी लेखापरीक्षा तथा उसकी ज्ञान विस्तारण एवं ज्ञान सेवाओं तथा इसकी स्टीयरिंग समिति और समिति के इंटोसाई वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं।
- साई इंडिया ने दिसम्बर 2013 में चौथे इंडो-चाइना यंग ऑडिटर्स फोरम की तथा अप्रैल-मई 2013 में शिलांग में "गुणवत्ता आश्वासन एवं लेखापरीक्षा में गुणवत्ता" पर भारत-कुवैत प्रतिनिधियों के एक सेमिनार की मेजबानी की।

अध्याय 1

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारत के संविधान द्वारा सृजित एक कार्यालय है और इसे संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इससे सार्वजनिक गतिविधियों में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों (इस्साई 20) में यह प्रावधान है कि साई के बारे में सूचना सहज, सुलभ और संगत होनी चाहिए। उनकी कार्य प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और उत्पाद पारदर्शी होने चाहिए। उन्हें मीडिया तथा अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में दिखना चाहिए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन प्रतिवेदन इस्साई 20 और 21 में परिकल्पित पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान मे रखकर बनाया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है

- साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा कार्य तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कानूनी देयताओं को किस सीमा तक पूरा किया है;
- हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; और
- साई संसाधनों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता।

  यह प्रतिवेदन हमारी स्थिति, कार्य, नीति, गतिविधियों, वित्तीय प्रबंधन, संचालन और निष्पादन पर विश्वसनीय, स्पष्ट तथा संगत सार्वजनिक रिपोर्टिंग करके पारदर्शिता मानदण्डों को भी पूरा करता है। अतः यह निम्निलिखित बातों का प्रयास करता है:

- सीएजी तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना;

- हमारे ग्राहकों और पणधारियों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना; तथा
- भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अन्दर और बाहर अनुकरण प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संगठन के अन्दर नव-परिवर्तनों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।

अध्याय 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में

I हम कौन हैं?

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (जिसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के रूप में भी जाना जाता है) तथा उनके तहत कार्य करने वाला भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएडी) संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र प्रदान करता है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच और संतुलन की सांविधिक योजना में इस संस्थान को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बनाया गया है। लेखापरीक्षा की संकल्पना और स्थापना सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में अन्तर्निहित है क्योंकि लोक निधि का प्रबंधन विश्वास का प्रतीक है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकार्य मानदण्डों से विचलन को व्यक्त करना है। राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

भारतीय शासन प्रणाली में संसद/राज्य विधानमंडल उस बजट का अनुमोदन करता है जो यह निर्धारित करता है कि सरकार करों के माध्यम से धन कैसे, कितना और किन उद्देश्यों के लिए एकत्र करेगी। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए भी वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढांचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएजी केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका का संघीय बहुदलीय प्रजातंत्र में बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं। अभी हाल ही में देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक आदर्श परिवर्तन हुआ है जिसमें विशेष उद्देश्य वाली संस्थाओं जैसे न्यास समितियों तथा एनजीओज़ द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एवं लोक निधि से वित्त पोषित बढ़ते हुए व्यय के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। सिविल सोसायटी एक प्रमुख पणधारी के रूप में उभर रही है।

II हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि *यह दर्शाती है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं: हम विश्व में अग्रणी बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आरम्भकर्ता और स्वतंत्र, विश्वसनीय सार्वजनिक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।*

हमारा मिशन *हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण व लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने पणधारियों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।*

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए ***हमारे नैतिक मूल्य*** *उन सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और हमारे निष्पादन:* ***स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण*** *का निर्धारण करने के लिए हमें बेंचमार्क देते हैं।*

III साई की स्वतंत्रता

इस्साई 1 में यह परिकल्पित है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यक डिग्री संविधान में निर्धारित की जाएगी; विवरण विधान में निर्धारित किए जा सकते हैं।

भारत के संविधान में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रावधान है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की कार्यकारी शाखा से सीएजी की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित है, जो सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी गई कार्यकारी कार्यवाही से छूट प्रदान करता है (जो उसे कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाता है)। अनुच्छेद 149 और 150 में उसके कर्तव्य और शक्तियां परिभाषित हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं जो उन्हें संसद अथवा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखता है।

संविधान में निम्नलिखित बातों के प्रावधान से सीएजी को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने की विशेष प्रक्रिया;
- सीएजी का वेतन और भत्ते दत्तमत नहीं हैं; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से ही निर्धारित की जाएंगी।

IV हमारा लेखा उत्तरदायित्व[1]

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में सीएजी द्वारा लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, सीएजी लेखे तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ-राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है; के प्रशासकों को प्रस्तुत करने

[1] *सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10 , 11 और 12*

के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित यथोचित रूप से माँगी गई सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता है। कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते समय हम मात्र यांत्रिक रूप से आय और व्यय का कुल जोड़ ही नहीं करते बल्कि वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढंग की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करते हैं और निधियों से अधिक व्यय/वापस की गई राशि/व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

V हमारा लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व

सीएजी के लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व को सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में परिभाषित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीएजी निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि से सभी प्राप्तियाँ और उनसे किया गया व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र और राज्य स्तरों पर सेवाओं एवं बाध्यताओं के बदले में न्यास जैसे लघु बचतों, जमाओं में सरकार द्वारा धारित जनता के सार्वजनिक धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- सभी सरकारी कम्पनियों जैसे ओएनजीसी, सेल आदि के लेखे;
- सभी सांविधिक निगमों और निकायों के लेखे जिनमें सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान है जैसे भारतीय खाद्य निगम;
- सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों जैसे पंचायती राज संस्था, शहरी स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन

संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तथा राज्य स्वास्थ्य समितियों के लेखे इत्यादि;

- सीएजी अपनी अनिवार्य वचनबद्धताओं के अलावा विशेष लेखापरीक्षा के लिए भी सहमत हो सकता है। ऐसी लेखापरीक्षा सामान्यतः ऐसे निकायों के लेखाओं से संबंधित होती है जिसमें सार्वजनिक निधियों के पर्याप्त निवेश शामिल हैं और जिन्हें राष्ट्रपति/राज्यपाल के अनुरोध पर अथवा निजी पहल पर स्वीकार किया जाता है; और
- सीएजी को कतिपय राज्यों में स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है।
- सीएजी को, 2012 में संशोधित वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम एक्ट, 2003) के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए निष्पादन का पुनरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।
- अनेक नियामक निकायों तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा उनके एक्ट के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा की जाती है।

VI हम किसकी लेखापरीक्षा नहीं करते

सीएजी का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों; सरकारी निगमों की लेखापरीक्षा तक विस्तृत नहीं है जिनकी संविधियों में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है अर्थात जीवन बीमा निगम और वे कम्पनियाँ जहाँ सरकारी हिस्सेदारी 50 *प्रतिशत* से कम है।

VII हमारी शक्तियाँ

उपर्युक्त उल्लिखित कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सीएजी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ[2] हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;

---

[2] *सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18, 21, 22, 23, और 24*

- किसी लेखापरीक्षित इकाई से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और रीति का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजनः सीएजी डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है, इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियमों को बनाने के लिए शक्तियाँ: डीपीसी, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है।

2007 में, सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, की धारा 23 के अन्तर्गत हमने "लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली "जारी की जिसमें साई, इण्डिया के लेखापरीक्षा और लेखांकन उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है।

नियम बनाने की शक्तियाँ: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त केन्द्र सरकार लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखे सौंपने वाले कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को रखने के तरीके सहित संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिये प्राधिकृत है।

VIII हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं

डीपीसी अधिनियम के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व में उन इकाईयों का उल्लेख किया गया है जो संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षा सीमा के अन्दर आते

हैं। तथापि, इन इकाईयों की लेखापरीक्षा करने में सीएजी द्वारा अपनाए जाने वाला लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और सीमा, कार्यप्रणाली एवं पहुँच में सीएजी का ही विवेकाधार है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सत्त्वों में वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

VIII क अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

- भारत के संविधान और लागू कानूनों के प्रावधान; और
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार हों।

अनुपालन लेखापरीक्षा में वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात क्या वे निम्नलिखित के अनुसार हैं:

- भारत के संविधान के प्रावधान और विधि (वैधानिकता) के अनुसार;
- अपशिष्ट, दुरूपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं (पर्याप्तता) के कारण हानि के प्रति पर्याप्त रक्षा के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के ऊपर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना;
- अस्पष्टता से दूर तथा मुक्त और निर्णय लेने (पारदर्शिता) में सत्यता के अनुपालन को बढ़ावा देना;
- प्रभावी और अपेक्षित उद्देश्य तथा लक्ष्य (प्रभावकारिता) प्राप्त करना।

VIII ख वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा मूल रूप से वित्तीय विवरणों के समूह पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने से सम्बन्धित है। इसमें निम्न शामिल है

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

VIII ग निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जहाँ तक संगठन, कार्यक्रम और योजना का संचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है:

1. **मितव्ययिता** - मितव्ययिता उपयुक्त गुणवत्ता वाले किसी कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त संसाधन की लागत को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता इनपुट और प्रक्रियाओं की लागत पर फ़ोकस करती है।
2. **दक्षता** - दक्षता वस्तुओं, सेवाओं अथवा अन्य परिणामों के अनुसार आउटपुट और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों के बीच संबंध है। दक्षता वहाँ विद्यमान है जहाँ वित्तीय, मानव, प्रत्यक्ष और सूचना संसाधन का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सैट के लिए अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।

3. **प्रभावकारिता** - प्रभावकारिता उस सीमा तक है जहां तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यकलाप के अपेक्षित प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच संबंध है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का उल्लेख करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

IX हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया इन चरणों में की है।

नीतिगत योजना भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लम्बी अवधि की योजना के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2020 में निर्धारित उच्च स्तरीय नीतिगत लक्ष्य

लक्ष्य 1: एकीकृत लेखापरीक्षा प्रयास

लक्ष्य 2: सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में व्यवसायिकता को उन्नत करना

लक्ष्य 3: पणधारियों के साथ संचार को सुधारना तथा उच्च दृश्यता सुनिश्चित करना

लक्ष्य 4: लेखापरीक्षा प्रभावकारिता को बढ़ाना

लक्ष्य 5: लेखाकंन तथा हकदारी कार्यों की डिलीवरी को सुधारना

लक्ष्य 6: मानव संसाधन प्रबंधन को सुधारना

नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास उस नीतिगत निदेश के अनुसार किया जाता है जिसे सीएजी लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण, मुद्दे का महत्व और उपलब्ध संसाधन के अनुसरण के लिए निर्णय लेता है। इन योजनाओं में वे लेखापरीक्षा शामिल हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यप्रणालियों में प्रत्येक के अन्तर्गत किया जाना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास समग्र नीतिगत लेखापरीक्षा योजना के आधार पर सीएजी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध प्रत्येक लेखापरीक्षाओं का विस्तृत उल्लेख है। वार्षिक योजना उपयोग में मामले या यूनिट के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारित और अन्य सुसंगत प्राचलों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को लिया जाता है। इसे आगे लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव एवं वित्त दोनों द्वारा भी परिभाषित किया गया है।

हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए एक विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया के लेखापरीक्षा मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में जानी जाने वाली एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनका

महत्वपूर्ण प्रभाव है, आगे परिष्कृत किए जाते हैं और संघ तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाइयों एवं मंत्रालयों से लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की आशा की जाती है और उनसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की बैठकों में चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन तथा सिफारिशों की जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षा समिति, लेखापरीक्षा की अनुवर्ती कार्यवाही के लिए नियोजित एक अन्य तंत्र है। लेखापरीक्षा समितियों जिनमें लेखापरीक्षित इकाई और आईएएडी के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, जिनका गठन संघ और राज्य स्तर पर अनुवर्ती प्रक्रिया की निगरानी करने, अनुबोध अंतराल को कम करने एवं इसके अतिरिक्त मुख्यतः निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबधित बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

प्रत्येक कार्यालय की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा करके विभागीय स्तर की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में शामिल किया जाता है ताकि विभिन्न अनुभागों और विषयों के बीच संसाधनों और अपेक्षाओं के संतुलन के पश्चात् इसे लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं में दर्शाया जा सके।

X हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 48,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। इसकी सहायता के लिए पूरे देश में 133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश में पाँच कार्यालय स्थित हैं।

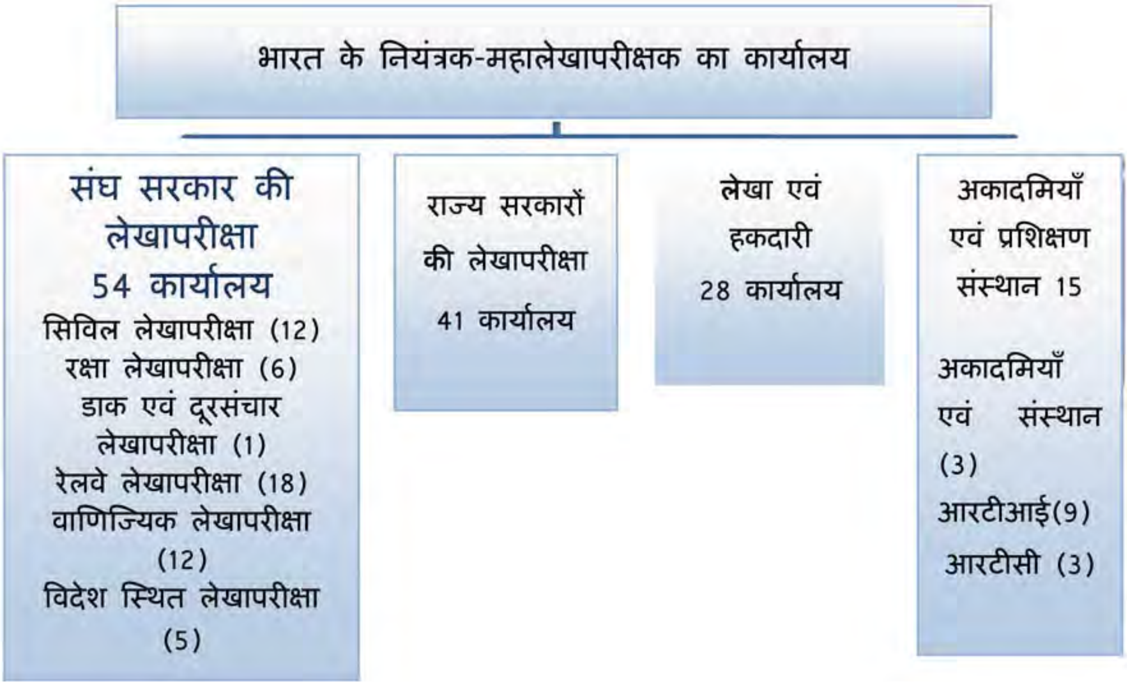

XI सीएजी कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का निर्देश, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रक्रियाकरण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक पद्धतियां, सामरिक प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं तथा सीएजी को सीधे रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक और निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। सीएजी कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध I** में दिया गया है।

XII आईएएडी में क्षेत्रीय कार्यालय

सीएजी कार्यालय के कार्यात्मक विंगों की सहायता पूरे देश के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में सीएजी के लेखा एवं लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है:

श्रेणी	
लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार)	
सिविल	12
रक्षा	6
डाक एवं दूरसंचार	1
रेलवे	18
वाणिज्यिक	12
विदेश स्थित	5
कुल-लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार)	**54**
राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय	41
राज्य लेखा एंव हकदारी कार्यालय	28
राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	15
कुल जोड़	**138**

- **महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा** (37) **के कार्यालय** संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।
- **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एमएबी) के कार्यालय** (12) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़) की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयूज़ में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।
- **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय** जिनके प्रमुख प्रधान निदेशक हैं वाशिंगटन, लंदन और क्वालालम्पुर लेखापरीक्षा दूतावासों में और प्रत्येक क्षेत्र में अन्य सरकारी स्थापनाओं की लेखापरीक्षा करते हैं। रोम में पीडीए कार्यालय विश्व खाद्य कार्यक्रम की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है तथा जिनेवा में पीडीए कार्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन एजेन्सियों जिनके लिए साई इंडिया एक बाह्य

लेखापरीक्षक है, की लेखापरीक्षा करता है। जेनेवा में पीडीए कार्यालय को जुलाई 2012 में बंद कर दिया गया था।

- प्रत्येक राज्य में **प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय** राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में ऐसे 41 लेखापरीक्षा कार्यालय हैं।
- **लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक) कार्यालय** (28) **जिनके प्रमुख प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (ले. एवं हक) हैं** राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।
- तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में लगे हैं।
- कार्यालयों की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के **अनुबंध II** में है।

XIII लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुनः संरचना

XXVवें महालेखाकार सम्मेलन की सिफारिशों को आगे बढाते हुए नीतिगत योजना 2020 ने लेखापरीक्षा प्रयासों को एकीकरण सुविधा देने तथा सरकारी लेखापरीक्षा के लिए एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के प्रस्तुतीकरण हेतु एक साधन के रूप में संगठनात्मक पुनः संरचना की सिफारिश की। लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुनः संरचना को 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी किया गया था।

पुनः संरचना के अन्तर्निहित सिद्धान्त थे:

सेक्टोरल एकीकरण: एक कार्य आधारित लेखापरीक्षा पद्धति से विभाग/मंत्रालय तथा मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों स्तरों पर एक क्षेत्र आधारित पद्धति में परिवर्तन करना।

लम्बवत् एकीकरणः मंत्रालय/विभाग, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा मंत्रालय/विभाग के अधिकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की लेखापरीक्षा, संघ तथा राज्य सरकारों दोनों के मामलें में एक एकल कार्यालय (अथवा कार्यालयों के समूह) द्वारा की जानी है।

राज्य लेखापरीक्षा से संघ की लेखापरीक्षा का पृथक्करणः भारत सरकार से संबंधित सभी लेखापरीक्षा गतिविधियाँ डिप्टी सीएजीज (डीएआई) के प्रभाराधीन तथा सभी राज्य स्तर के

लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्रीय पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व के साथ अपर उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (एडीएआई) के प्रभाराधीन हैं। राज्य को हस्तांतरित की जाने वाली केन्द्र सरकार की निधियों और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यय की जाने वाली निधियों की लेखापरीक्षा, केवल राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा जारी रहेगी।

न्यूनतम रिपोर्टिंग लाइनः एक राज्य में सभी महालेखाकारों (लेखापरीक्षा) के लिए एक एडीएआई है।

XIV पुनः सरंचना के प्रमुख लक्षण

XIVक संघ सरकार की लेखापरीक्षा

- संघ सरकार के संबंध में मंत्रालयों/पीएसयूज/स्वायत्त निकायों के लम्बवत् (वर्टिकल) एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पुनः सरंचना को मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों के स्तर पर क्रियान्वित किया गया हैं। मुख्यालय स्तर पर संघ सरकार के संबंध में क्षेत्रीय (सेक्टोरल) रूपरेखा की समीक्षा नीचे की गई है।

	क्षेत्र
डीएआई (वाणिज्यक)	आर्थिक तथा अवसंरचना मंत्रालय
डीएआई (रिपोर्ट सेन्ट्रल एवं स्थानीय निकाय)	सामाजिक एवं सामान्य सेवा मंत्रालय तथा स्थानीय निकाय
डीएआई (सरकारी लेखा)	सरकारी लेखे
डीएआई (केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	केन्द्रीय राजस्व/प्राप्तियां
डीएआई (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	रक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे

- केन्द्रीय मंत्रालयों की लेखापरीक्षा में लगे क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात महानिदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालयों (केन्द्रीय व्यय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक सेवा मंत्रालय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे), महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा तथा वाणिज्य विभाग के प्रधान निदेशक को भी क्षेत्र (सेक्टर) की रूपरेखा दी गई है।
- केन्द्रीय सरकार इकाईयों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा हेतु नई दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में तीन मौजूदा कार्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न शहरों में

विद्यमान आठ शाखा कार्यालयों के साथ साथ, 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी छह अन्य कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद तथा लखनऊ में खोले गए हैं। ये नौ कार्यालय तथा आठ शाखा कार्यालय केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा का कार्य करते हैं।

- वित्तीय देयता एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट) के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में संघ सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु मुख्यालय में एक विशेष सैल का गठन किया गया है।

XIVख राज्य सरकार की लेखापरीक्षा

- राज्यों में सभी लेखापरीक्षा कार्य अर्थात् सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा, राज्य स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, एडीएआईज द्वारा उनके क्षेत्रीय प्रभार के तहत समन्वित तथा पर्यवेक्षित की जाती हैं। एडीएआईज के बीच राज्यों का वितरण नीचे दिया गया है:

एडीएआई - सीआर	एडीएआई - ईआर	एडीएआई - एनईआर	एडीएआई - एनआर	एडीएआई - डब्ल्यूआर	एडीएआई - एसआर
बिहार	आंध्र प्रदेश	अरूणांचल प्रदेश	दिल्ली	गोवा	कर्नाटक
छत्तीसगढ़	ओडिशा	असम	हरियाणा	गुजरात	केरल
झारखण्ड	पुद्दुचेरी	मणिपुर	हिमाचल प्रदेश	महाराष्ट्र	
मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	मेघालय	जम्मू और कश्मीर	राजस्थान	
उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	मिजोरम	पंजाब		
		नागालैंड	उत्तराखण्ड		
		सिक्किम			
		त्रिपुरा			

- 2 अप्रैल 2012 से कार्यान्वित, 10 राज्यों[4] में दो राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र) तथा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) होगें। महाराष्ट्र के मामलें में, प्रधान महालेखाकारों के बीच क्षेत्राधिकार का आवंटन भौगोलिक आधार पर है। अन्य राज्यों के मामलें में, जहां पर केवल एक महालेखाकार कार्यालय है वहाँ ग्रुप अधिकारियों के बीच अधिकार का आवंटन क्षेत्र (सेक्टर) के आधार पर किया गया था।
- स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के कार्यालयों का संबंधित प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) कार्यालयों के साथ विलय, 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी कर दिया गया है।
- राज्य एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की लेखापरीक्षा को राज्य महालेखाकारों द्वारा किए जाने के लिए जारी रखा जाएगा।

XV लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विषयों में सीएजी को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और सीएजी के संवैधानिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें विविध क्षेत्रों से उच्च शिक्षाविद तथा पेशेवर शामिल हैं। यह बाहरी सलाह के लिए हमारी स्पष्टता का प्रतिबिम्ब है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पीऍर रिव्यू दल द्वारा एक उत्तम प्रयास के रूप में पहचाना गया है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। 2013-15 के दो वर्ष के लिए बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से है:

श्री शशि कान्त शर्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	**पदेन अध्यक्ष**
श्री प्रदीप कुमार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	**सदस्य**
सीए कुमार रघु अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	**सदस्य**

[4] आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

डा. अरबिन्द प्रसाद महानिदेशक, भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग परिसंघ	**सदस्य**
श्री चन्द्रजीत बनर्जी महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ	**सदस्य**
डा. अभय बंग निदेशक, सोसायटी फोर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ (सर्च), सामाजिक कार्यकर्ता	**सदस्य**
डा. सुदर्शन अयंगर **कुलपति, गुजरात विद्यापीठ (अर्थशास्त्री तथा पर्यावरणविद)**	**सदस्य**
डा.बिबेक देबरॉय **अर्थशास्त्री**	**सदस्य**
श्री नरेन्द्र सिंह सेवानिवृत आईएएंडएएस अधिकारी	**सदस्य**
श्री प्रत्यूष सिन्हा **पूर्व-सीवीसी**	**सदस्य**
डा. वन्दना शिवा **पर्यावरणविद**	**सदस्य**
डा. एम. के. भान पूर्व सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार	**सदस्य**
सभी उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक	**पदेन सदस्य**
सभी अपर उपनियंत्रक - महालेखापरीक्षक	**पदेन सदस्य**

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्ष 2013-14 के दौरान अर्थात 12 नवम्बर 2013 तथा 11 मार्च 2014 में दो बैठकें हुई थीं। बोर्ड ने सीएजी के अधिदेश, नीतिगत

लेखापरीक्षा योजना 2020, टेलीकॉम कम्पनियो की सीएजी लेखापरीक्षा पर उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निजी कम्पनियों की लेखापरीक्षा तथा पीपीपी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित मामलो को उठाया।

राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता के अन्तर्गत द्वारा किया जाता है। राज्यों के अन्य महालेखाकार बोर्ड के सदस्य हैं। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड सभी राज्यों में बना दिए गए हैं। बोर्ड का पुनर्गठन हर दो वर्ष में किया जाता है।

अध्याय 3

महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ - लेखापरीक्षा

हम सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय और निष्पादन प्रबंधन पर एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन प्रदान करके जवाबदेही, पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हम लेखापरीक्षण परिणामों में सुधार लाने हेतु निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों और दिशा-निर्देशों पर आधारित नवीन लेखापरीक्षण प्रथाओं के रूप में लगातार नई पहल करते है। विभाग के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्र, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र निकायों इत्यादि के अधीन विभिन्न लेखापरीक्षित निकायों की लेखापरीक्षा करना है।

आईएसएसएआई 20 परिकल्पित करता है कि साई एक समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा प्रारंभ एवं संचालित करें तथा सुसंगत रिपोर्टें जारी करें। उन्हें एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट (आईआरज), लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मुख्य परिणाम हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना आईएएण्डएडी का मुख्य परिणाम क्षेत्र है।

I अनुपालना, निष्पादन, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

आईए एंड एडी के लेखापरीक्षा कार्यालय प्रत्येक वर्ष अनिवार्य आश्यकताओं, मुद्दों के महत्व, जोखिम निर्धारण तथा उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों के आधार पर निष्पादन, वित्तीय तथा अनुपालना लेखापरीक्षाओं की योजना बनाते हैं।

Iक अनुपालना लेखापरीक्षा:

(i) लेखापरीक्षा कवरेज

2013-14 के दौरान कुल 54513 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 97.5 प्रतिशत एवं

राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 95.3 प्रतिशत पूरा किया गया था।

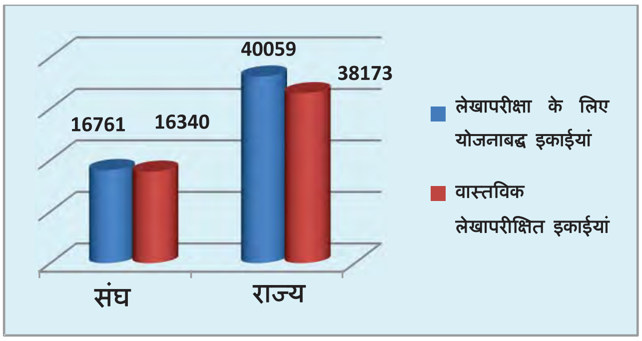

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा का प्राथमिक उत्पाद है। प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाई की लेखापरीक्षा पूरी होने पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की व्याख्या करते हुए एक निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। 2013-14 के दौरान हमने 49,894 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये।

संघ स्तर पर 91.01 *प्रतिशत* निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर जारी किये गये। राज्य स्तर पर 80.6 *प्रतिशत* निष्पादन समय पर था।

	जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों में जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिशतता
संघ	16425	14957	91.1%
राज्य	33469	26969	80.6%
कुल	49894	41926	84 %

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियाँ:

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियां संकलित की जाती है और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रूप में संबंधित मंत्रालय/कॉर्पोरेशन/ कंपनी को जारी की जाती है। 2013-14 के दौरान, निष्पादन

लेखापरीक्षा के रूप में निर्दिष्ट के अतिरिक्त 2,386 पैराग्राफ अनुपालन प्रतिवेदनों में शामिल किये गये थे। संघ स्तर पर 823 लेखापरीक्षा आपत्तियों में से 542 आपत्तियां को स्वीकार कर लिया गया था और लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 64 लेखापरीक्षा पैरों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। राज्य स्तर पर, अनुपालन प्रतिवेदनों में 1,563 लेखापरीक्षा पैरे शामिल किये गये थे जिनमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 629 स्वीकार कर लिये गये थे और 219 लेखापरीक्षा पैरे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिये गये थे।

।ख निष्पादन लेखापरीखा

2013-14 के दौरान 164 निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर लेखापरीखा प्रतिवेदनो को स्वीकृति दी गई। नीचे तालिका संघ तथा राज्य स्तर पर ब्यौरे दर्शाती है।

	लेखापरीक्षा उत्पाद
संघ स्तर	**23**
राज्य स्तर	**141**
जोड़	**164**

।ग वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

सीएजी का डीपीसी अधिनियम 1971 भारत के सीएजी द्वारा संघ तथा राज्य सरकारो के व्यय तथा प्राप्तियों, स्वायत्त निकायो तथा निजी क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, हमसे बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए व्यय के प्रमाणीकरण की भी अपेक्षा की जाती है।

हमने संघ तथा राज्य सरकारों, पीएसयूज, स्वायत निकायों, बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्यों के 6,812 लेखो की जांच की। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर 5,422 लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए।

	जांच किए गए लेखे	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
संघ सरकार	707@	423@
राज्य सरकार	60@@	50@@
पीएसयूज	1,462	1058
स्वायत्त निकाय	845	359
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	242	173
अन्य	3496	3359
जोड़	**6,812**	**5,422 *(80 प्रतिशत)***

@ सिविल, रेलवे, पीएण्डटी तथा रक्षा मंत्रालयों के अनुदान सम्मिलित है।

@@ राज्यों के वित्त तथा विनियोग लेखों से संबंधित

अपूर्ण लेखे की प्राप्ति, लेखांकन में त्रुटि, गलत वर्णन, लेखो के सत्यापन हेतु अभिलेखो की प्राप्ति न होने के कारण विलम्ब तथा आपत्तियों का निवारण न होना, लेखापरीक्षा आपत्तियो पर उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब तथा स्टाफ का उपलब्ध न होना लेखाओ को विलम्बित प्रमाणन के कुछ कारण थे।

।घ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लेखापरीक्षा परिणामों को प्रेषित करने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना शामिल होता है। संविधान का अनुच्छेद 151 यह दर्शाता है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनों को तैयार करेंगे और संसद या राज्य विधान मंडल, जैसा भी मामला हो; में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। हमने 2013-14 के दौरान 134 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अन्य के साथ –साथ 164 निष्पादन लेखापरीक्षाओ को कवर करते हुए) तैयार किए, 32 संसद तथा 102 राज्य विधानपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु। इनमें से 44 प्रतिवेदन राज्य

विधान विधानपालिका के समक्ष मार्च 31, 2014 के पश्चात प्रस्तुत किये गये। हमने संघ तथा राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाईयों को 2,304 सिफारिशें की। इनमें से 704 सिफारिशों को संघ तथा राज्य सरकारो द्वारा स्वीकार किया गया था।

	वर्ष के दौरान तैयार प्रतिवेदनो की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ सरकार	32@	578	224 *(38.8 प्रतिशत)*
राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश	102@@	1726	480 *(27.8 प्रतिशत)*
जोड़	134	2304	704 *(30.6 प्रतिशत)*

@ सभी 32 प्रतिवेदन 2013-14 के दौरान संसद में प्रस्तुत किए गए थे।

@@ इनमें से 58 प्रतिवेदन 2013-14 के दौरान राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए गए।

II हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

IIक लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई वसूलियां

हमारे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकन बिंदु करों के कम निर्धारण या राजकोष में विशेष हानि की तरफ इशारा करते हैं। यह कार्यकारी द्वारा संबंधित पार्टियों से वसूलियों को अनिवार्य बना देती हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई वसूलियों की चर्चा नीचे की गई है:

(₹ करोड़ में)

	बताई गई वसूलियां	स्वीकार की गई वसूलियां	प्रभावित वसूलियां
संघ स्तर	74512.09	52294.62	1463.67
राज्य स्तर	57882.1	32951.50	1536.77
जोड़	132394.19	85246.12	3000.44

लेखापरीक्षित संस्थाओं ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियों का करीब 64.4 *प्रतिशत* स्वीकार किया। सरकार ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप ₹ 3000.44 करोड़ की वसूली की जो वर्ष के दौरान वसूली के लिये बताई गई राशि का केवल लगभग 2.27 *प्रतिशत* है। जो आईएएंडएडी के कुल बजट ₹ 2921.56 करोड़ से अधिक है।

IIख निष्पादन लेखापरीक्षा

सीएजी ने 2013-14 के दौरान 164 निष्पादन लेखापरीक्षा उत्पादों को मंजूर किया। हमने संघ तथा राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित संस्थाओं को 1,322 सिफारिशें की। इनमें से लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा 364 सिफारिशों (27.5 प्रतिशत) को स्वीकार किया गया। नीचे तालिका संघ तथा राज्य स्तर पर विवरण दर्शाती है।

	लेखापरीक्षा उत्पाद	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	**23**	**225**	**31 (13.8 प्रतिशत)**
राज्य स्तर	**141**	**1,097**	**333 (30.4 प्रतिशत)**
जोड़	**164**	**1,322**	**364 (27.5 प्रतिशत)**

IIग पीएसयूज के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखों के मामले में हम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते है। 60 कम्पनियों तथा निगमों के लेखो में तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सुधार किये गये। इन परिवर्तनो का मात्रात्मक क्रियान्वयन निम्नलिखित था: (क) लेखो की टिप्पणियों में सुधार: ₹ 11,56,066 करोड़, (ख) वर्गीकरणीय चूके: ₹ 3,08,160 करोड़, (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: ₹ 4,59,582 करोड़ तथा (घ) परिसम्पत्तियो तथा देयताओ में परिवर्तन: ₹ 4,34,974 करोड़।

III प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2013-14 के दौरान संसद के समक्ष 28 प्रतिवेदन तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष 58 प्रतिवेदनो को प्रस्तुत किया गया (प्रतियां हमारी वेबसाइट www.cag.gov.in पर उपलब्ध है)। इन प्रतिवेदनों में दर्शाएं गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दर्शाए गए है:

संसद को प्रस्तुत सीएजी के प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार वित्त (2013 का प्रतिवेदन संख्या 1)

- सरकार ने केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओ के कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से राज्य/जिला स्तरीय स्वायत निकायो तथा प्राधिकरणों, सोसाइटियो, गैर-सरकारी संगठनो आदि को ₹ 1,09,173 करोड़ की केन्द्रीय योजना सहायता हस्तांतरित की। चूकि प्राप्तकर्ता के पास पड़े अव्ययित बकाया की कुल राशि अनिश्चित थी, अत: सरकारी लेखो में 'व्यय' अंतिम व्यय के अलावा 'निधियो के हस्तांतरण' को दर्शाता है।

- कुल योजना व्यय का 76 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रचालन के लिए "पूंजीगत परिसम्पत्तियो के निर्माण हेतु अनुदान" मद शीर्ष के तहत ₹ 29,189.77 करोड़ का व्यय दर्ज किया। जैसाकि अधिकतर कार्य के परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति का सृजन नहीं हुआ तथा इसका फोकस रोजगार निर्माण या मौजूदा परिसम्पत्ति में थोड़ा सुधार करने पर था, इसमें 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' के तहत सम्पूर्ण राशि का वर्गीकरण न करने का मजबूत मामला है। इसके परिणामस्वरूप सरकार के पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया।

- संचार विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान यूनिवर्सल ऐक्सेस उद्ग्रहण के लिए ₹ 6,723.57 करोड़ की कुल प्राप्तियो में से यूनिवर्सल सर्विस फंड हेतु केवल

₹ 1,687.96 करोड़ हस्तांतरित तथा संवितरित किए। ग्रामीण टेलीफोनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए बीएसएनएल को 2002-03 से 2005-06 की अवधि के लिये ₹ 6,948.64 करोड़ की राशि की लाइसेंस फीस तथा स्पेक्ट्रम प्रभारो की प्रतिपूर्ति को ध्यान में लेने के पश्चात ₹ 21,839.45 करोड़ की निधि के अन्त: शेष को सम्पूर्ण रूप से कम बताया गया था।

- अनुसंधान तथा विकास उपकर के रूप में 1996-97 से 2011-12 की समयावधि के दौरान संग्रहित कुल ₹ 3,453.55 करोड़ में से केवल ₹ 506.41 करोड़ को उपकर के उद्ग्रहण के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। उपकर कार्यवाहियां राज्य के साथ सांझा करने योग्य नहीं होती।
- 2008-12 की समयावधि के दौरान राष्ट्रीय निवेश निधि में पड़ी राशि के निवेश से अर्जित ₹ 708.27 करोड़ की कुल आय में से केवल ₹ 419.37 करोड़ की राशि को पूर्व निर्धारित कार्यो पर व्यय को पूरा करने के लिए सार्वजनिक लेखे में हस्तांतरित किया गया था।
- सार्वजनिक लेखे से भारतीय समेकित निधि (सीएफआई) में निर्धारितियों से ₹ 252.28 करोड़ की राशि के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति का हस्तांतरण न होने के फलस्वरूप सीमाशुल्क प्राप्तियो को कम बताया गया। चूंकि करो के विभाज्य मूल के सीमाशुल्क प्राप्ति निर्मित भाग को केन्द्र तथा राज्यो के बीच बांटा जाना है, अत: यह राज्यो को शेयर योग्य करो के कम हस्तांतरण को सूचित करता है।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रतिदायो पर ब्याज का भुगतान करके ₹ 34,083 करोड़ के कुल व्यय को अनिवार्य विनियजनों के माध्यम से संसद की संस्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले पांच वर्षों में व्यय किया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के लिए पत्राचार व्यय ₹ 29.19 करोड था।
- व्यय के गलत तरीके से वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 463.82 करोड़ तक पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया तथा ₹ 2172.73 करोड़ तक पूंजीगत व्यय को कम बताया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (2013 का प्रतिवेदन संख्या 6)

- अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की समयावधि को कवर करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की द्वितीय निष्पादन लेखापरीक्षा में, हमने 182 जिलो, 458 ब्लॉक तथा 3,848 ग्राम पंचायतो में इसके क्रियान्वयन की जांच की।
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार रोजगार 2009-10 में 54 दिनो से 2011-12 में 43 दिनो तक कम हुआ। 2011-12 में पूर्ण कार्यों के अनुपात में भी बहुत अधिक कमी हुई थी। बिहार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश जो ग्रामीण गरीबी का 46 प्रतिशत है, योजना के तहत रिलीज कुल निधियों के केवल 20 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है।
- 14 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में, ₹ 1,26,961.11 करोड़ राशि के 129.22 लाख कार्यों को वार्षिक योजनाओ में संस्वीकृत किया गया। इनमें से ₹ 27,792.13 करोड़ राशि के केवल 38.65 लाख कार्यों (योजनित कार्यों का 30 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण किया गया।
- मंत्रालय ने सभी शर्तों को कम किया तथा वित्तीय उत्तरदायित्वों के मानदण्डो के उल्लंघन में राज्यो को मार्च, 2011 में ₹ 1,960.45 करोड़ की राशि जारी की। 2008-12 के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्यों को बाद के वित्तीय वर्ष में उपयोग हेतु अग्रिम रूप से ₹ 4,072.99 करोड़ की राशि अनियमित रूप से जारी की गई थी। इसके अलावा, या तो गलत गणना के कारण या उनके पास उपलब्ध बकाया पर ध्यान दिए बिना 6 राज्यों को ₹ 2,374.86 करोड़ की अधिक निधि जारी की गई।
- छः राज्यो में 12,455 परिवारो को जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए थे। जॉब कार्डों पर फोटोग्राफ घोखाधड़ी तथा गलत प्रतिनिधित्व पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रस्तुत करती है। सात राज्यों में 4.33 लाख जॉब कार्डों पर फोटोग्राफ नहीं चिपकाए गए थे। 18,325 मामलो में एक ही व्यक्ति के नाम पर कई जॉब

कार्ड थे। 12,008 मामलों में जॉब कार्ड जारी करने में 51 माह तक विलम्ब देखा गया। 47,687 मामलों में कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया था।

- इसमें ₹ 128.23 करोड़ की धनराशि के संदिग्ध दुर्विनियोजना के मामले थे क्योंकि भुगतान से संबंधित कोई सहायक वाउचर रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार, 10 राज्यों में मस्टर रोल के साथ छेडछाड भी देखी गई। 12 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में, निर्धारित अनुपात से अधिक माल लागत के मामले भी देखे गए।
- जांच किए गए मामलों में माल लागत ₹ 1,594.37 करोड़ कुल कार्य लागत की अधिकतम अनुमेय 40 प्रतिशत से अधिक थी। 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जांच किए गए जिलो में, ₹ 2,252.43 करोड़ की राशि के 1,02,100 अस्वीकार्य कार्य किए गए थे।

स्मारको तथा प्राचीन कालीन वस्तुओ का बचाव तथा संरक्षण (2013 का प्रतिवेदन संख्या 18)

- लेखापरीक्षा दल द्वारा सम्पूर्ण देश में इन स्मारकों के अनुरक्षण की स्थिति को संविक्षित करने के लिए 1655 स्मारकों (एएसआई द्वारा संरक्षित कुल 3678 स्मारको में से) की संयुक्त भौतिक जांच की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण के तहत सात प्रमुख म्यूजियमों की भी लेखापरीक्षा की गई।
- एएसआई की संरक्षण नीति को 1923 के पश्चात अद्यतित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप संरक्षण कार्यों को करने के लिए स्मारको को मनमाने ढंग से चुना गया था। कई स्मारको पर किसी भी प्रकार के संरचनात्मक संरक्षण के लिए कभी भी विचार नहीं किया गया।
- एएसआई के पास इसके क्षेत्राधिकार के तहत संरक्षित होने वाले स्मारको की यथार्थ संख्या पर विश्वसनीय जानकारी नहीं थी। गलत आंकड़ों को संसद में कम से कम दो बार सम्मिलित करते हुए विभिन्न फोरम में सूचित किया गया।

- इस लेखापरीक्षा में चयनित स्मारको की संयुक्त भौतिक जांच के दौरान कम से कम 92 स्मारको को पता न लगने योग्य/लापता पाया गया था। केवल 35 स्मारको की सूचना ही 2006 से संसद को दी जा रही थी।
- एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने वाले किसी प्राचीन स्मारक एएसआई नियंत्रण के तहत केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है। हांलाकि, शब्द 'राष्ट्रीय महत्व' को परिभाषित नहीं किया जाता है। चयनित स्मारको के संरक्षण के लिए अधिसूचित होने में अत्यधिक विलम्ब था। स्मारको को अधिसूचित करने के लिए कुछ मामले 16 वर्षो से अधिक तक लम्बित है।
- स्मारक जो इस समयावधि में राष्ट्रीय महत्व खो चुके है, की अधिसूचना रद्द करने के प्रस्ताव भी वर्षो से लम्बित थे।
- 955 स्मारको में धार्मिक गतिविधियां की जा रही थी। तथापि, एएसआई के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि क्या इनके पास आवश्यक मंजूरी का विस्तारण था।
- विश्व घरोहर स्थलो को उचित देखभाल तथा संरक्षण नहीं मिला। इन स्थलों तथा इसके आसपास के स्थलो में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के कई मामले थे।
- खुदाई के लिए रिपोर्ट लेखन कार्य में काफी विलम्ब था। कुछ प्रमुख खुदाई अर्थात मथुरा, श्रावस्ती तथा रोपड़ के लिए क्रमश: 1954-55, 1958-59 तथा 1953-54 में की गई खुदाई के लिए रिपोर्ट लेखन कार्य अभी पूरा होना था। 2007-08 से 2011-12 के दौरान किए गए 113 खुदाई कार्यों में से केवल एक खुदाई रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी।
- केन्द्रीय म्यूजियमों में प्राचीन कला वस्तुओं-अधिग्रहण के प्रबंधन, कला वस्तुओं के संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा रक्षा के लिए कोई नीति नहीं है।
- प्राचीन कला वस्तुओं तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के संशोधन हेतु प्रस्तावित विधेयक 1997 से लम्बित था। प्राचीन कला वस्तुओं के अवैध निर्यात के मामलो में वृद्धि हुई थी।

- भारतीय म्यूजियम कोलकाता तथा राष्ट्रीय म्यूजियम, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त प्राचीन कला वस्तुओं की संख्या के प्रलेखन के संदर्भ में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई। इसी प्रकार की विसंगतियां एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता से प्राप्त अधिकतर सोने के सिक्को में पाई गई थी।
- प्रलेखन खराब था तथा कई म्यूजियमों में भौतिक सत्यापन का अभाव था। सुरक्षा अपर्याप्त थी जिसकी वजह से 1981 से 2012 तक स्मारकों/स्थलो से 131 प्राचील कला वस्तुएं तथा साइट म्यूजियमों से 37 प्राचीन कला वस्तुएं चुराई गई थी।
- एएसआई के पास 3678 स्मारक है जिसके लिए स्मारक परिचारक के केवल 3458 संस्वीकृत पद उपलब्घ है। इनमें से 1279 (37 प्रतिशत) पद खाली थे। पुरातत्व संस्थान के लिए संस्वीकृत पदों हेतु 1985 से नियुक्ति नियमो को प्रतिपादित करने में एएसआई विफल रहा।
- एएसआई द्वारा सूचित किए जा रहे 249 अतिक्रमणों के प्रति संयुक्त भैतिक जांच के दौरान कम से कम 546 अतिक्रमण (सरकारी एजेंसियो द्वारा 46 सहित) देखे गए। स्मारक के आस-पास अवैध निर्माण के 9122 मामले थे।
- चोरी/सुरक्षा संबंधित कई मामलो के बावजूद, स्मारकों पर (ताजमहल, आगरा तथा लाल किला दिल्ली जहां सीआईएसएफ तैनात है, को छोडकर) कोई सीसीटीवी कैमरा, धातु डिटेक्टर तथा सामान स्कैनर संस्थापित नहीं किया गया था।

आपदा प्रबंधन (2013 का प्रतिवेदन संख्या 5)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अधिनियमिति होने के छः वर्ष पश्चात भी आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय योजना नहीं बनाई गई थी। राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति ने मई 2008 तथा दिसम्बर 2012 के बीच बैठक नहीं की थी।
- एनडीएमए द्वारा विकसित राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को केन्द्रीय एजेंसियों तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाया नहीं गया था तथा लागू नहीं किया गया था।

- एनडीएमए की परियोजना प्रबंधन क्षमता को कम पाया गया था। कई मामलों में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समन्वय के अभाव को दर्शाते हुए एनडीएम तथा केन्द्रीय मंत्रालयों दोनो द्वारा क्रियानवित होने वाले एक ही प्रकार के उद्देश्यों वाली परियोजनाएं पाई गई।
- एनडीएमए डीएम अधिनियम में निर्धारित रूप में कई कार्य नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा ने गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निर्धारित भूमिका तथा पद्धतियों में महत्वपूर्ण विसामान्यता देखी। इसमें अतिव्यापन थे तथा कुछ मामलों में भूमिका डीएम अधिनियम के अनुसार नहीं थी।
- राज्यों में राज्य आपदा प्रायोजन अनुदान (एसडीआरएफ) का प्रबंधन खराब था। राज्य एसडीआरएफ के तहत एमएचए को उपयोग तथा अव्ययित बकाया का विवरण भेजने में नियमित नहीं थे। राज्यों ने दिशा निर्देशो के अनुसार एसडीआरएफ के तहत अव्ययित बकाया का निवेश नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 9 जांच किए गए राज्यों में से 5 में ₹ 477.99 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।
- राष्ट्रीय आपदा प्रायोजन अनुदान को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में व्यक्त के आलावा अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2010 से मार्च 2012 के दौरान उच्च स्तरीय समिति द्वारा रिलीज के लिए संस्वीकृत ₹ 9208.30 करोड़ में से ₹3090.43 करोड़ की अनुदान राशि को विभिन्न क्षेत्रों में मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए राज्यों को दिया गया था। कुछ संस्वीकृत राशि का 34 प्रतिशत अस्वीकार्य वस्तुओं पर था। लेखापरीक्षा ने गुजरात, असम तथा गोवा के मामले में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (अब एनडीआरएफ) जो इन राज्यों में अव्ययित थी, से ₹ 654.04 करोड़ का 'ऑन अकाउंट' रिलीज पाया।
- कई संचार परियोजनाएं वर्षो पहले मंहगे उपकरणो को खरीदने के बावजूद या तो अपूर्ण थी या परिचालन में नहीं थी। सेटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क संचार उपकरण की प्राप्ति के छः वर्षों से अधिक के पश्चात भी पूर्ण रूप से

परिचालनात्मक नहीं था। गम्भीर मौसम प्रणाली के निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग के लिए डॉपलर मौसम रडार ने ₹ 35.64 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी अच्छे परिणाम नहीं दिए।

- राष्ट्रीय आपदा प्रायोजक दल परिकल्पित रूप में उन्नति नहीं कर सका। मानक परिचालन प्रक्रियाओ को अभी अंतिम रूप दिया जाना था तथा राज्यों को सूचित किया जाना था। गैर आपदा मामलों के लिए इस दल का विषयांतर भी देखा गया। दल की प्रभावकारिता में प्रशिक्षित श्रमिको की कमी, आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं, उपयुक्त अवसंरचना तथा उपकरणों के अभाव से रूकावट आई।
- भारतीय मौसम विज्ञान संबंधी विभाग के पास भूकंप के लिए कोई आपदा प्रबंधन तथा गम्भीरता को कम करने की योजना नहीं थी। इसी प्रकार, एनडीएमए की राष्ट्रीय भूकंप जोखिम अल्पीकरण परियोजना इसकी अवधारणा से पांच वर्षों के बीत जाने के पश्चात अभी भी प्रारम्भिक चरण में थी ।
- केवल 8 राज्यों ने सितम्बर 2011 तक 29 राज्यों में लक्षित 4728 बड़े बाँधों के प्रति 192 बड़े बाँधों के लिए आपातकानील कार्यवाही योजनाएं तैयार की थी। सितम्बर 2011 तक देश में 4728 जलाशय तथा बैराज थे। केन्द्रीय जल आयोग इन जलाश्यों तथा बैराजो में से केवल 28 को अन्तर्वाह पूर्वनुमान प्रदान करता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना के मूल्यांकन अध्ययन में सूचित कमियों को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सुधारा नहीं गया था।
- सूखा प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देशो में परिकल्पित कार्यवाहियों को आपदा प्रबंधन को ओर मजबूत करने के लिए अभी किया जाना था।
- पांच राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश ने वन आग संकट प्रबंधन योजनाएं प्रस्तुत की थी जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लम्बित थी। वन आग की दुर्घटना पर यथार्थ ऑंकडो की उपलब्धता के बावजूद, इसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर योजना के लिए उपयोग नहीं किया गया। वन प्रबंधन योजना के तीव्रीकरण के तहत निधियों को आवश्यकताओं के निर्धारण के बिना जारी किया गया।

- जैविक आपदाओं के लिए, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की इन्टग्रेटिड सरवेलेंस परियोजना के पास सभी राज्यों से नियमित रूप से डाटा सूचना नहीं थी। जैविक आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिए एजेंट के शीघ्र मूल्यांकन हेतु जैव सुरक्षा स्तर (बीएसएल) प्रयोगशालाएं एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कोई बीएसएल-4 प्रयोगशाला कार्यात्मक नहीं थी। राष्ट्रीय प्रविष्टि केन्द्रो अर्थात हवाइअडडों, बन्दरगाहो तथा अन्तर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर निगरानी अपर्याप्त थी क्योंकि 44 प्रविष्टि केन्द्रो में से 23 प्रविष्टि केन्द्रो में कोई स्वास्थ्य इकाई नहीं थी। शेष प्रविष्टि केन्द्र में अवसंरचना तथा आवश्यक मजबूती का अभाव था।
- परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने सुरक्षित निपटान के लिए रेडियोधर्मी सामग्री के परिवहन हेतु अधिक संख्या में स्वीकृति जारी की थी। तथापि, इसकी जांच करने हेतु कोई उपयुक्त तंत्र नही था कि क्या इनका वास्तव में निपटान कर दिया गया था।

प्रतिपूरक वनरोपण (2013 का प्रतिवेदन संख्या 21)

- सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर 2002 में यह निर्देश दिया था कि एक 'प्रतिपूरक वनरोपण निधि' बनाई जाएगी जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, पैनल प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना निधि आदि के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियो से प्राप्त सारा धन जमा किया जाएगा। प्रतिपूरक वनरोपण निधि वन भूमि जिसे गैर वनीय उपयोग हेतु अन्य कार्य में उपयोग किया गया था, से यथार्थ के साथ-साथ अयथार्थ लाभो की हानि की क्षतिपूर्ति करने हेतु थी। ऐसी निधियों को प्राकृतिक सहायता पुनरूद्धार, वन प्रबंधन संरक्षण, संरचनात्मक विकास, वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन, लकड़ी की आपूर्ति और अन्य वन उत्पाद रक्षक उपकरण और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना था।

- सर्वोच्च न्यायलय ने मई 2006 में देखा कि काम्पा अभी भी परिचालित नही हुआ था और जब तक काम्पा परिचालित न हो जाए एक तदर्थ निकाय के गठन का आदेश दिया (ऐड हॉक काम्पा के नाम से जाना जाता है)। अदालत ने आदेश दिया कि काम्पा की ओर से वसूल की गई और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़ी हुई सारी राशि ऐड हॉक काम्पा को हस्तांतरित की जानी थी। 2006 और 2012 की अवधि के दौरान ऐड हॉक काम्पा के पास प्रतिपूरक वनरोपण निधियों में ₹ 1,200 करोड़ से ₹ 23,608 करोड़ की वृद्धि हुई।
- लेखापरीक्षा ने वन भूमि के विपथन, प्रतिपूरक वनरोपण के प्रोत्साहन में घोर विफलता, खनन के मामले में वन भूमि के अप्राधिकृत विपथन और पर्यावरणीय शासन के परिचर उल्लंघन से संबंधित विनियामक मामलों में गंभीर कमियां पाई।
- 2006-12 की अवधि के दौरान प्राप्तियोग्य 1,03,382 हेक्टेयर की गैर वन भूमि के प्रति केवल 28,086 हेक्टेयर प्राप्त किया गया जो प्राप्तियोग्य गैर-वन भूमि का केवल 27 प्रतिशत था।
- उनसे प्राप्त 23,246.80 हेक्टेयर की गैर वन भूमि मे से केवल 11,294.38 हेक्टेयर राज्य वन विभाग के नाम स्थानांतरित और परिवर्तित किया गया था। इसमें से 3,279.31 हेक्टेयर को संरक्षित वन/आरक्षित वन घोषित किया गया था।
- मंत्रालय और राज्य वन विभागों द्वारा अनुरक्षित डाटा के बीच विपथित कुल वन भूमि और प्राप्त कुल गैर वन भूमि पर आंकड़ो का अन्तर क्रमश: 3.5 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत तक का था (घटिया गुणवत्ता और असंगत डाटा से) जिसके कारण नियोजन और संचालन की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ेगा।
- मुख्य सचिव द्वारा यथा प्रमाणित किए जाने वाले वन भूमि की अनुपलब्धता या कम-उपलब्धता के मामले में, प्रतिपूरक वनरोपण को निम्नीकृत वन से

विपथित वन भूमि की दोगुना की सीमा तक लिया जाना था। यह पाया गया कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में प्रतिपूरक वनरोपण 75,905 हेक्टेयर के क्षेत्र में मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र के बिना ही प्रतिपूरक वनरोपण अनुमत किया गया था। केवल दो राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश अर्थात् चण्डीगढ़ और उत्तराखण्ड में बराबर अथवा अधिक गैर-वन भूमि प्राप्त हुई थी।

- लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण भी देखे जिनमें सर्वोच्च न्यायालय और वन्य जीव राष्ट्रीय बोर्ड से अनुमति के बिना नागार्जुन सागर श्रीसेलम वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भूमि के विपथन के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई थी। पांच अन्य मामलों में राजस्थान और ओडिशा में खनन पट्टे के अप्राधिकृत नवीकरण पाए गए थे, जहां राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त नही किया गया था, जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे।

- प्रतिपूरक वनरोपण बहुत कम 7,280.84 हेक्टेयर था जिसमें सात प्रतिशत भूमि शामिल थी जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण केवल 49,733.76 हेक्टेयर पर किया गया था और 1,01,037.35 हेक्टेयर में से 49 कि. मी और 54.5 कि. मी. की पहचान की गई थी जो 49 प्रतिशत (क्षेत्र में) था। सात राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब और राजस्थान ने गैर वन भूमि या विकृत वन भूमि मे कोई प्रतिपूरक वृक्षरोपण नही किया। इसके विपरीत असम और ओडिशा राज्यों ने गैर वन भूमि और निम्नीकृत वन भूमि दोनों में प्रतिपूरक वनरोपण के संबंध में उच्च स्तर की उपलब्धि दर्शायी।

- पट्टे का अप्राधिकृत नवीकरण, अवैध खनन, मानीटरिंग रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद खनन पट्टें जारी रखने, वन भूमि की स्थिति में

अप्राधिकृत परिवर्तन और वन मंजूरी के निर्णयों में मनमानी के कई मामले देखे गए थे। तीन विशिष्ट मामले विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं:

- मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश ने पूरे राज्य के लिए गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र के बजाय सिद्धि जिला में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जारी किया। इस अयोग्य प्रमाण पत्र के आधार पर मंत्रालय ने अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना और कोयला खनन परियोजना के मामले में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन में ससन पावर लिमिटेड को 1384.96 हेक्टेयर की गैर वन भूमि प्रदान करने से छूट दी। न केवल मंत्रालय ने शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में यथोचित तत्परता का प्रयोग किया बल्कि उसमे बिना किसी स्पष्टीकरण के मंत्रालय में सहायक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र में बताई गई कमियों की अनदेखी भी की।
- अगस्त 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र जिले में 1,083.23 हेक्टेयर के आरक्षित वन की स्थिति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन मे मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना राजस्व भूमि में परिवर्तित की और मै. जेपी एसोसिएट्स लि. को सीमेंट संयंत्र खनन और अन्य संबंधित कार्यों जैसे गैर वन उपयोग के लिए भूमि सौंप दी। गैर वन भूमि का मूल्य जो सामान्यतया विपथन के बदले में प्राप्त किया जा सकता है ₹ 133.78 करोड़ अनुमानित था।
- क्षेत्रीय कार्यालय, बैगलुरू से प्रतिकूल जांच रिपोर्ट के बावजूद मंत्रालय ने अगस्त 2006 में मै. एलरे मिनरल एवं कंपनी के पक्ष में 17.84 हेक्टेयर वन भूमि इस शर्त के साथ विपथित की कि वह अन्य सामान्य शर्तों सहित 4.86 हेक्टेयर तक की गैर वन भूमि प्रदान करेगा। मंत्रालय ने अगस्त 2008 में सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन संशोधित किया और कम्पनी को गैर वन भूमि प्रदान करने के छूट दे दी। इसके बजाय, उसने विकृत भूमि के दोगुना का प्रतिपूरक वनरोपण अनुमत किया कम्पनी द्वारा गैर वन भूमि प्रदान करने से छूट मुख्य सचिव से प्रमाणपत्र पर मांगा गया था। प्रमाणपत्र

कार्यालय या अधिकारी के किसी लेटर हेड और स्टाम्प के बिना था और प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। मुख्य वन संरक्षक गोवा सरकार ने सिद्धान्ततः केवल 17.84 हेक्टेयर के अनुमोदन के बावजूद एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 100 हेक्टेयर के कुल पट्टा क्षेत्र का उल्लेख था। ऐड हॉक काम्पा में वसूली और जमा की गई एनपीवी राशि का कोई उल्लेख नही था।

- आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में छः राज्य काम्पा/मुख्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 1,55,169.82 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा था।
- सांविधिक शर्तों और सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों के ऐसे अननुपालन के बावजूद, मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नही की गई थी। मंत्रालय ने अगस्त 2009 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान केवल तीन मामलों में पेनल प्रावधानों का प्रयोग किया ओर यह कार्रवाई भी केवल कारण बताओं नोटिस जारी करने तक सिमित थी। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निधारिंत पेनल खण्ड अवैध और अप्राधिकृत प्रथाओं पर कोई रोक लगाने में काफी हद तक अपर्याप्त और अप्रभावी था।
- ऐड हॉक काम्पा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा संग्रहित सभी राशि ऐड हॉक काम्पा खाते में प्रतिपूरक वनरोपण निधि में पूर्ण और समय पर हस्तांतरित करना सुनिश्चित करने में अप्रभावी था। ऐसा कोई आश्वासन नही है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के लिए संग्रहित सभी राशि ऐड हॉक काम्पा खाते में जमा की गई हैं यह तभी सुनिश्चित हो सकता था यदि परियोजना वार राशि देय, संग्रहित, भेजी या ऐड हॉक कम्पा के गठन से पूर्व राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग की गई और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास रखे शेष के लिए एक केन्द्रीकृत डाटा बेस बनाया जाए ऐड हॉक काम्पा के पास उपलब्ध निधि के हस्तारंण और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से संग्रहित डाटा में भिन्नता ₹ 6,021.88

करोड़ थी, जो कि ऐड हॉक काम्पा की मूल राशि का 26.32 प्रतिशत था। इसका मिलान न होन से न केवल नियंत्रणों में ढिलाई किन्तु संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए डाटा की विश्वसनीयता और पूर्णता पर संदेह भी उत्पन्न होता है।

- लेखापरीक्षा में नमूना जांच के आधार पर कुल मौजूदा मूल्य को वसूली न होना/कम निर्धारण और प्रतिपूरक वनरोपण/अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण/पेनल प्रतिपूरक वनरोपण/केचमेंट क्षेत्र उपचार योजना के लिए निधियाँ ₹ 5,311.16 करोड़ थी जोकि 31 मार्च 2012 तक ऐड हॉक काम्पा के पास कुल मूल्य राशि का 23 प्रतिशत बनता है। कुछ राज्यों में जहां गैर/कम वसूली की राशि अधिक थी में ओडिशा (₹ 1,235.26 करोड़), जम्मू और कश्मीर (₹ 861.80 करोड़), मध्य प्रदेश (₹ 512.84 करोड़), त्रिपुरा (₹ 333.19 करोड़), असम (₹ 223.28 करोड़), उत्तराखड (₹ 207.51 करोड़), गुजरात (₹ 176.02 करोड़), झारखण्ड (₹ 116.18 करोड़), मणिपुर (₹ 106.45 करोड़) और छत्तीसगढ़ (₹ 111.29 करोड़) शामिल हैं। मंत्रालय /एड-हाक काम्पा/राज्य काम्पा के पास कोई प्रणाली नही है कि वन भूमि के विपथन के लिए अन्तिम मंजूरी देने से पहले सही निर्धारण और देयों के संग्रहण को मामला-वार मानीटर किया जा सके।
- प्रतिपूरक वनरोपण कार्य के लिए 2009-12 की अवधि के दौरान ऐड हॉक काम्पा द्वारा जारी ₹ 2,925.65 करोड़ की प्रतिपूरक वनरोपण निधियों में से ₹ 1,149.81 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोडते हुए केवल ₹ 1,775.84 करोड़ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा उपयोग किया गया था। चयनित 30 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में से 11 में उपयोग शून्य से 50 प्रतिशत के बीच था।
- 17 राज्यों में ₹ 51.93 करोड़ का व्यय उन मदों पर किया गया जो राज्य काम्पा सलाहकार परिषद और राज्य काम्पा दिशानिर्देशों द्वार अनुमत नही थीं।

- ऐड हॉक काम्पा निकाय से बार बार निर्देशों के बावजूद, अध्यक्ष ऐड हॉक काम्पा द्वारा 2012 तक एक व्यापक निवेश नीति का गठन और अनुमोदन नही किया गया था। बैंक में ₹ 1998.47 करोड़ की राशि के जमा के उदाहरण थे जो बोली में भी नही थे। स्थायी जमा के मामले चालू खातों में निधियों रखने और बैंक खातों में परिपक्वता राशि जमा करने विलम्ब के कारण ब्याज की हानि के मामले थे।
- केन्द्रीय काम्पा (ऐड हॉक) ने 2006 में उसके प्रांरभ से अभी तक लेखापरीक्षित खाते प्रस्तुत नही किए हैं। यह उचित होगा यदि ऐड हॉक काम्पा में पड़ी राशि को भारत के लोक लेखे में स्थानांतरित कर दिया गए जैसा प्रतिपूरक वनरोपण निधि बिल 2008 में परिकल्पित किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में निर्देश दिए थे कि भारत संघ आठ हफ्तों में प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के निकाय के गठन और प्रबंधन से संबंधित व्यापक नियम तैयार करे। फलस्वरूप मंत्रालय ने 2004 में प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन और नियोजन प्राघिकरण के निर्माण अधिसूचित किए। तथापि यह प्राधिकरण कभी भी संचालित नहीं हुआ। कम्पा का शीघ्र संचालन आवश्यक हैं जो प्रभावी और कुशलतापूर्वक प्रतिपूरकवनरोपण सुनिश्चित करने के जनादेश का निष्पादन व्यापक संवैधानिक और कानूनी ढांचे मे कर सकता है।

खाद्यानों का भंडारण प्रबंधन एवं परिचालन (2013 का प्रतिवेदन सं. 7)

- 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान खाद्यानों की खरीद 343 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 634 लाख एम टी हो गई जिसके परिणामस्वरूप खाद्यानों के भण्डार में तीव्र वृद्धि हुई जो खरीद वाले राज्यों से खपत वाले राज्यों को खाद्यानों के अधिक परिचालन से संबंधित मुद्दों को उठाती हैं।
- एफसीआई राज्य सरकार की एजेंसियों और विकेन्द्रीकृत खरीद करने वाले राज्यों द्वारा खाद्यानों की 514 लाख एमटी औसत खरीद राज्यों को वितारित

करने के लिए भारत सरकार द्वारा 593 लाख एमटी के औसत आवंटन से कम थी।

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बफर प्रतिमान अनेकार्थी थे क्योंकि वे खाद्य सुरक्षा के अलग-अलग तत्वो (अर्थात् आकस्मिकता, मूल्य स्थिरीकरण खाद्य सुरक्षा रिजर्व लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याण योजनाएं (ओडब्ल्यूएस) का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करते। वर्तमान प्रतिमान भी केन्द्रीय पूल और उसके संघटकों के अनुरक्षित किए जाने वाले भंडार के अधिकतम तथा प्रबंधनीय स्तर का भी उल्लेख नही करते।
- उत्पादन की लागत के प्रति न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नियतन हेतु किसी विशिष्ट प्रतिमान का अनुसरण नही किया गया था। एमएसपी में वृद्धि का विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद पर उद्ग्रहित सांविधिक प्रभारों पर सीधा प्रभाव था। राज्य सरकारों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले सांविधिक तथा गैर सांविधिक दोनों प्रभारों में काफी अनतर्राज्यीय अन्तर थे इन सबके परिणामस्वरूप खाद्यानों की अधिग्रहण लागत में वृद्धि हुई।
- वर्ष 2008-09 से खाद्यानों की खरीद में काफी वृद्धि होनी प्रारंभ हो गई और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का भडांर 1 जून 2009 में 548.26 लाख एमटी से बढ़कर 1 जून 2012 में 824.11 लाख हो गया था। तथापि, 2008-09 से 2011-12 के वर्षों के दौरान एफसीआई स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता 151 लाख एमटी और 156 लाख एमटी के बीच लगभग स्थैतिक बनी रही।
- 332 लाख एमटी (मार्च 2012) के भंडारण अन्तर के प्रति, भारत सरकार/एफसीआई ने विभिन्न वृद्धि कार्यक्रमों के अन्तर्गत छः वर्ष की अवधि के दौरान केवल 163 लाख एमटी की क्षमता वृद्धि परिकल्पित की। इसमें से 34 लाख एमटी मार्च 2012 तक पूर्ण किए गए थे। एफसीआई की भण्डारण क्षमता कुछ राज्यों तक की सीमित थी।

- खाद्यान्नों को कवर्ड और प्लिंथ (सीएपी) तरीके के बजाय ढके हुए गोदामों और सीलोज़ में भण्डार किया जाना चाहिए। एफसीआई और राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा सीएपी के अन्तर्गत खाद्यान्नों की मात्रा मार्च 2010 में 66.43 एलएमटी से बढ़ कर मार्च 2012 में 87.86 एलएमटी हो गई जिससे खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा को खराब होने के जोखिम का खतरा हुआ।
- पहले-अंदर-पहले बाहर सिद्धान्त के अननुपालन के कारण, पंजाब और हरियाणा में राज्य सरकारी एजेंसियो के संरक्षण के अन्तर्गत ₹ 121.93 करोड़ तक की 1.06 लाख एमटी गेहूं खराब हो गई।
- खाली भण्डारण जगह की उपलबधता के बावजूद एफसीआई ने राज्य सरकार एजेंसियों से गेहूं की सीधी डिलीवरी नहीं ली और अग्रेषित प्रभारों पर ₹ 376 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।
- एफसीआई ने कम्प्यूटर आधारित लीनियर प्रोग्रामिंग माडल के माध्यम से खाद्यान्नों के परिचालन की योजना प्रांरभ की थी। 36,402 रेकों में से 18,615 रेकों ने सबसे मितव्यापी मार्गों का प्रयोग नही किया।
- एफसीआई द्वारा किया गया आन्तरिक लेखापरीक्षा और भौतिक सत्यापन काफी अपर्याप्त था।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (2013 का प्रतिवेदन सं. 27)

- योजना का प्रारंभ मार्च 2005 में 5 वर्षों में सभी गाँवों और बस्तियों के विद्युतीकरण, सभी घरों को बिजली उपलब्ध करवाने, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को नि:शुल्क बिजली का कनेक्शन देने के उद्देश्य से किया गया था। तत्पश्चात सभी विद्यमान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का इसमें समावेश कर दिया गया था। 2009 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1.25 लाख बिना बिजली वाले गांवो और 7.80 करोड़ ग्रामीण घरों को बिजली उपलबध कराने का लक्ष्य था जिसमें 2.34 करोड़ बीपीएल घरों को नि:शुल्क बिजली का कनेक्शन भी शामिल था।

- हमने 169 (कुल 576 में से) परियोजनाओं में कार्यक्रम कार्यान्वयन की संवीक्षा की और योजना निष्पादन और मॉनीटरिंग मे कमियां पाई। आरजीजीवीवाई ने सभी गांवो और बस्तियो के विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया, मार्च 2012 तक भी नहीं। बिना विद्युतीकरण वाले गाँवो, ग्रामीण और बीपीएल घरों के विद्युतीकरण के संबंध में मार्च 2010 तक उपलब्धियां क्रमश: 63, 27 और 44 प्रतिशत थीं।
- कार्यक्रम को बिना किसी व्यवहार्यता अध्ययन के बिना बिजली के गांवो की मौजूदा स्थिति पर अधूरे और अविश्वसनीय आंकडो ओर बीपीएल घरो को कवर किए बिना आरंभ किया गया था। कोई भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियो (जीआईए) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने से पूर्व सर्वेक्षण नही किया। सात राज्यों में बीपीएल घरो के लिए पीआईए ने 2001 की जनगणना के आंकड़ो पर 2001 से ग्रामीण जनसंख्या/बस्तियों/गांवो में विकास पर विचार किए बिना विश्वास किया। बाकी राज्यों में पीआईए ने अन्य स्रोतों से बीपीएल डाटा एकत्र किया। नियोजन स्तर पर इन अन्तरालो में ₹ 262 करोड़ तक के लागत आकलनों में अन्तर से प्रभाव पडा था।
- सीसीईए द्वारा xवीं योजना के लिए ₹ 33,000 करोड़ और XIवीं योजना के पहले दो वर्षों के कुल अनुमोदन के प्रति बजट आंकलनों और संशोधित आकंलनो के अनुसार 2004-12 के दौरान निधियों का आवंटन क्रमश: ₹ 31,338.00 करोड़ और ₹ 27,488.56 करोड़ था। एमओपी ने योजना के अन्तर्गत आंवटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया और मार्च 2012 तक आईईसी को ₹ 26,150.76 करोड़ जारी किए। 169 चयनित नमूना परियोजनाओं के संबंध में आरईसी में उपलबध सूचना के विश्लेषण से पता चला कि आरईसी द्वारा पीआईएज़ को निधियां विलम्ब से जारी की गई थीं। पीआईए और आरईसी दोनो विलम्बों के लिए उत्तरदायी थे जिसको परियोजना के निष्पादन और कार्यक्रम को प्रभावित किया। ठेके प्रदान करने में अनुचित पक्षपात और नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामले थे। नमूना जांच किए गए मामलों में पाया गया कि दो राज्यों में कुल

₹ 548.61 करोड़ मूल्य की 29 परियोजनाएं अयोग्य ठेकेदारों को सौंप दी गई थीं। इसके अतिरिक्त उच्च दरों की अनुमति, करों की कटौती न करना इत्यादि के चलते ठेकेदारों को ₹ 114.40 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया जिसके कारण भी परियोजना लागतों में उतनी ही मात्रा की परिहार्य वृद्धि हुई।

- आरजीजीवीवाई परियोजनाओं की राजस्व स्थिरता बनाए रखने के लिए फ्रेंचाइजी की नियुक्ति अनिवार्य थी, फिर भी 31 मार्च 2012 तक 17 राज्यों में, 3,53,049 गावों में से 1,75,655 गांवो में केवल 37,614 फ्रेंचाइजी नियुक्त किए गए थे। दस राज्यों में कोई फ्रेंचाइजी नियुक्त नहीं किए गए थे।
- हमने निरीक्षणों की प्रणाली और कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित गुणवत्ता निगरानी के अननुपालन के बारे में भी बताया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (2013 का प्रतिवेदन सं. 32)

- कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा संयोजित बीमा योजना (ईडीएलआई) के साथ कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लक्ष्य कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हैं। यह महत्वपूर्ण है, कि सभी स्थापनाएं जो ईपीएफ अधिनियम की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं को बिना विलम्बों के उसकी परिधि में लाया जाता हैं। ईपीएफओ से सर्वेक्षण और निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई थीं।
- ईपीएफओ ने छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्तओं पर अपेक्षित नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छूट प्राप्त स्थापनाओं ने अपने न्यासी बोर्ड (बीओटी) को ईपीएफ संचयन हस्तांतरित किया है और बीओटी ने उन्हें स्थानांतरित राशि का निवेश किया है।
- ईपीएफओं अपनी योजनाओं के स्वैच्छिक आवृतन के प्रति अधिक प्रोत्साहक नहीं था। स्थापनाओं का निरीक्षण निर्धारित लक्ष्यों से कम था।

- ईपीएफ योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को शामिल करने की वेतन सीमा ₹ 6500 थी जो जून 2001 से चली आ रही है इस प्रकार इस सीमा से अधिक वेतन वाले कर्मिकों की बड़ी संख्या ईपीएफ लाभ से वंचित हो गई।
- कर्मचारी पेशंन निधि का मूल्यांकन समय पर नहीं किया जा रहा है न ही रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से प्राप्त होती है और मूल्यांकन रिपोर्टों पर कार्रवाई में काफी विलम्ब हैं।
- मार्च 2012 तक लगभग 38.74 लाख अंशदाता खातों के अद्यतन न होने के कारण, ब्याज उंचत लेखा शेष कार्मिक भविष्य निधि अंशदाताओं को ब्याज के वितरण के लिए उपलब्ध राशि की सही छवि नही थीं।
- 70,000 से अधिक अंशदाताओ के खातो में नकारात्मक शेष दर्शाए गए थे जो अधिक आहरणों का सूचक है।
- ईपीएफओ ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश प्रतिमानों का अनुपालन नही किया।
- ईपीएफओ में राजस्व संग्रहण प्रक्रिया में कमियां थी। देयों के निर्धारण में बकाया, गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं से प्रशासनिक प्रभारों के कारण वसूली योग्य बकाया राशि, छूट प्राप्त स्थापनाओं से निरीक्षण प्रभार काफी अधिक थे।
- प्रतिवेदन में बताई गई कई कमियाँ मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को की गई कार्रवाई के माध्यम से पूर्ण आश्वासनों के बावजूद कायम थीं।

रेलवे (2013 का प्रतिवेदन सं. 25)

- ➢ लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच से ₹ 13869.86 करोड़ की वसूली योग्य शास्ति के अलावा ₹ 2486.68 करोड़ की राजस्व हानि का पता चला। निर्यात किए गए लौह पेलेट्स के मामले में ₹ 1670.57 करोड़ की वसूली कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड मैंगलोर से भी देय थीं। यह 2011-12 की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 32 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गई ₹ 1795.51 करोड़ की राजस्व हानि के अतिरिक्त थी। अभी तक रेल प्रशासन (दक्षिण पूर्व रेलवे) ने

15 मामलों में ₹ 1875.63 करोड़ के माल भाड़ा अपवंचन को स्वीकार है। मई/जुलाई 2008 में लौह अयस्क के परिवहन के लिए प्रांरभ की गई दोहरी मूल्य प्रणाली के दुरूपयोग के कारण राजस्व हानियां हुई थी। गैर घरेलू खपत के लिए लौह अयस्क के परिवहन के लिए निर्धारित माल भाड़ा दरे घरेलू खपत के लिए निर्धारित दरों से तीन गुना अधिक थीं। घरेलू दरों का लाभ लेने के लिए रेलवे ने कुछ निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुती अनिवार्य की थी। रेलवे की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विफल हो गई क्योंकि उसने संबंधित पक्षों के कुछ अनिवार्य निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुती के बिना घरेलू दर पर लाभ अनुमत किया।

- नियमों के अनुसार मालभाड़ा प्रभारों की वसूली छोटे मार्गों द्वारा की जानी है यद्यपि वास्तव मे मालभाड़ा लम्बे मार्ग से ले जाया गया हो। नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने 2010-12 की अवधि में लम्बे मार्गों द्वारा माल परिवहन करने के कारण ₹ 422.74 करोड़ की हानि का निर्धारण किया था। रेलवे ने लम्बे मार्गों के यौक्तिकिकरण और रूकावटों को हटाने के लिए सीमित कार्रवाई की थी।

- ओन योर वेगन योजना के तहत किराए पर वैगनों के परिचालन और अनुचित मॉनीटरिंग वैगनों को किराए पर देने के लिए ₹ 27.04 करोड़ तक के किराया प्रभारों का परिहार्य भुगतान किया गया था।

- गैर निर्धारित मरममतों, अनुक्षण लोको शेडों/कार्यशालाओं में/आवेरहाल पूरा करने के लिए उनके अधिक अवरोधन यार्ड में प्रतीक्षित पीओएच/पीओएच के बाद के लिए उनके अवरोधन और खराब ईंजनों को शेड में मरम्मत हेतु भेजने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 733 करोड़ की अर्जन क्षमता की हानि हुई।

- चलाते समय जब रेलगाड़ी का कोई भाग रेलगाड़ी से अलग हो जाता है तब अलगाव हो जाता है और इसके परिणास्वरूप रेलगाड़ी प्रचालन में अवरोधन के रूप में भाग क्षमता की हानि और रेलवे को परिणामी वित्तीय हानि हुई। 2007-08 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान कुल 232 रेलगाड़ियों में अलगाव

हुआ जिसके परिणामस्वरूप दो फर्मों द्वारा उपलब्ध कराए गए दोषपूर्ण घटकों के कारण चार जोनल रेलवे में ₹ 125.27 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

थलसेना और आयुध फैक्ट्रियों पर प्रतिवेदन (2013 का प्रतिवेदन सं. 30)

- जांच दल की संस्तुतियों की उपेक्षा करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 2001 और 2007 में वातानुकूल को के बिना ₹ 9083.36 करोड़ मूल्य के टैंक 'एक्स' की अधिप्राप्ति की जिससे टैंक 'X' संवेदनशील संघटकों के अवक्रमण के लिए सुभेद्य हो गया। तथापि, वातानुकूलकों की खरीद की कार्यवाही 2002 में शुरू कर दी गई थी जोकि अब तक नहीं हुई थीं।
- लगभग नौ वर्ष पूर्व ₹ 313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान करने के बावजूद पोंटून मिड स्ट्रीम ब्रिजों की आपूर्ति हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 2001 में दिया गया आदेश फलप्रद सिद्ध नहीं हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र से शान्ति रक्षण मिशनों से संबंधित वसूलियां प्राप्त करने के मामले में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच दायित्व के संबंध में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप न केवल बहुत अधिक बकाया शेषों का संचयन हुआ अपितु उससे बंद चार मिशनों से देय ₹ 73.84 करोड़ की प्रतिपूर्ति भी असंभाव्य हो गई।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए वायुसेना द्वारा हेलिकाप्टरों की अधिप्राप्ति (2013 का प्रतिवेदन सं. 10)

- ₹ 3726.96 करोड़ की कुल लागत से 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकाप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए मै. अगस्त वेस्टलैंड इन्टरनेशनल लि. यूके के साथ एक संविदा की गई थी। लेखापरीक्षा ने वायुसेना की परिचालनात्मक आवश्यकताओं, निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं और आफसेट नीति के साथ साथ फील्ड मूल्यांकन परीक्षण से निविदाकरण प्रक्रिया तक विभिन्न विचलनों पर टिप्पणी की। वार्तालाप समिति द्वारा निकाला गया बैंचमार्क मूल्य (₹ 4871.5 करोड़) अविवेकी रूप से अधिक पाया गया और हेलिकाप्टरों के लिए मूल्य संबंधी

बातचीत के लिए प्रस्तावित मूल्य (₹ 3966 करोड़) के साथ तुलना के लिए कोई यथार्थपूर्ण आधार प्रदान नही किया गया। ₹ 1240 करोड़ की लागत से 4 हेलिकाप्टरों की अतिरिक्त अधिप्राप्ति परिहार्य थी क्योंकि निर्धारित आवश्यकता मौजूदा हेलिकाप्टरों की कम उपयोगिता स्तर के अनुरूप नहीं थीं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्त (2013 का प्रतिवेदन सं. 2)

- 191 लाभ अर्जन करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों (सीपीएसईंज) द्वारा ₹ 1,27,021 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया गया जिसमें से 67 प्रतिशत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र विद्युत सीपीएईज़ द्वारा योगदान दिया गया था। इनमें से 112 सीपीएसईज़ ने वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 42,671 करोड़ तक लाभांश घोषित किया जिसमें से ₹ 27,644 करोड़ भारत सरकार को भुगतान योग्य थे। भारत सरकार को दत्त लाभांश सभी सीपीएसईज़ में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (अर्थात् ₹ 2,04,417 करोड़) पर रिटर्न के 13.52 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
- 303 सीपीएसईज़ में से 60 में इक्विटी निवेश उनकी संचित हानियों द्वारा घट गया। तथ्य यह है कि इन कम्पनियों की निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2012 तक ₹ 70.946 करोड़ तक नकरात्मक हो गई थी।
- 2011-12 के दौरान 303 सीपीएसईज़ की कुल बिक्री ₹ 17,34,909 करोड़ थी। इनमें से 121 सीपीएसईज़ ने ₹ 10,14,540 करोड़ की अपनी कुल बिक्री के प्रति ₹ 2,99,739 करोड़ की बिक्री/सेवाएं सरकारी विभागों को दी। पैंसठ सीपीएसईज़ ने ₹ 11,78,449 करोड़ की अपनी कुल बिक्री के प्रति ₹ 91,985 करोड़ तक का माल भारत से निर्यात किया या सेवाएं प्रदान की।
- 2011-12 के दौरान 51 सीपीएसईज़ द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 2,906 करोड़ का कुल व्यय किया।

- लेखापरीक्षा में 376 सीपीएसईज़ में से 258 सीपीएसईज़ के लेखों की सवीक्षा की गई थी जिन्होनें 30 सितम्बर 2012 तक वर्ष 2011-12 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए थे।
- वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीएजी ने आधार पर सीपीएसईज़ के लेखोंकी त्रिस्तटीय लेखापरीक्षा प्रणाली का प्रांरभ किया था। इससे उनके वित्तीय विवरणों त्रिस्तरीय लेखापरीक्षा का लाभकारिता पर ₹ 7357 करोड़ और परिसम्पत्ति/देयताओं पर ₹ 8291 करोड़ का कुल प्रभाव था।
- सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सात सरकारी कम्पनियों ने अपने वर्ष 2011-12 के लेखे संशोधित किए। इन कम्पनियों के वित्तीय विवरणियों पर संशोधन का प्रभाव ₹ 93.52 करोड़ तक की सीमा का था।
- इसके अतिरिक्त दो सूचीबद्ध कम्पनियों, दो मानी गई सरकारी कम्पनियों और आठ असूचीबद्ध कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अपनी रिपोर्टें संशोधित की।
- सांविधिक निगमों के मामले में जहाँ सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक हैं वहां ₹ 9,316 करोड़ की त्रुटियों का संशोधन सीएजी की लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर किया गया था। सीएजी द्वारा ₹ 1851 करोड़ की कई अन्य लेखांकन त्रुटियां भी इंगित की गई थीं।
- यद्यपि, निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, तथापि कुछ सीपीएसईज़ कुछ द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ सीपीएईज़ में स्वतंत्र निदेशकों के अभ्यावेदन पर्याप्त नही थे। 13 कम्पनियों में स्वंतत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी और 21 कम्पनियों में बोर्ड में कोई स्वंतत्र निदेशक नहीं था। 11 कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 8 कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वंतत्र निदेशक नहीं था। कम्पनियों में कोई विहसल ब्लोअर तंत्र नही था। 9 सीपीएसईज़ में लेखापरीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को नियमित सूचना देने की कोई प्रणाली नहीं थी।

- सीएसआर पर अप्रैल 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि बोर्ड की स्वीकृति के माध्यम से सीपीएसई बजट प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा जिसकी प्रतिशतता शुद्ध लाभ के 0.5 % से 5 % के बीच होगा। वर्ष 2011-12 के लिए 110 सीपीएसईज की संवीक्षा से पता चला कि 47 सीपीएसईज़ न्यूनतम सीएआर बजट/व्यय की शर्तों मे डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे थे।

संघ सरकार के वाणिज्यिक उपक्रम (2013 का प्रतिवेदन सं. 13)

- प्रतिवेदन में 15 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 38 पीएसयूज़ से संबंधित 11 विषय आधारित और 39 पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियों (वित्तीय प्रभाव: ₹ 9040.33 करोड़) शामिल हैं।
- इनमें नियमों, निर्देश पद्धतियां तथा ठेके की शर्तों आदि का अननुपालन (₹ 1333.12 करोड़), संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना (₹ 1314.66 करोड़), दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन (₹ 202.06 करोड़), अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग (₹ 23.91 करोड़) उद्देश्यों की प्राप्ति न होना/आंशिक रूप से प्राप्ति होना (₹ 65.55 करोड़) और लेखापरीक्षा के बताने पर 4 पीएसयूज़ द्वारा की गई वसूली (₹ 121.86 करोड़) शामिल हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (2013 का प्रतिवेदन सं. 17)

- प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित 239 लेखपरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 569.55 करोड़ हैं। मंत्रालय/विभाग ने मई 2013 तक ₹ 565.72 करोड़ के राजस्व की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी और ₹ 109.30 करोड़ की वसूली सूचित की थी।
- सकल घरेलू उत्पाद के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वित्तीय वर्ष 03 में 5.24 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 12 में 4.38 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए)

वित्तीय वर्ष 03 में 3.25 से वित्तीय वर्ष 12 में 1.61 हो गया तथा जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व 0.16 से बढ़कर 1.09 हो गया।

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए(1) के अन्तर्गत छूटें ₹ 1,95,950 करोड़ (सामान्य छूटों में ₹ 1,79,453 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूटों में ₹ 16,137 करोड़) अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 135 प्रतिशत थी।
- 31 मार्च 2012 को विभिन्न प्राधिकारियों के पास ₹ 54,172.65 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले अधिनिर्णय/अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित थे; सेवा कर के संबंध में यह आंकडा और भी अधिक ₹ 73,274.74 करोड़ था।
- ₹ 1 करोड़ वार्षिक से अधिक के राजस्व का भुगतान करने वाले और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु देय लगभग 50 प्रतिशत सेवा कर निर्धारितियों की 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा ने सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग करने, शुल्क/कर के कम भुगतान और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करने संबंधी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में क्रमश: ₹ 61.44 करोड़ और ₹ 478.04 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले मामले देखे। संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों, अप्रभावी कॉल बुक समीक्षा और विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी देयों की वसूली न करने के परिणामस्वरूप ₹ 30.07 करोड़ के कर दावों वाले मामले भी देखें गए।

सेवा कर (2013 का प्रतिवेदन सं. 9)

- विभाग के पास आयातित कर योग्य सेवाओं के मूल्य का विश्वसनीस अनुमान लगाने का तंत्र नहीं था।
- विभाग के पास कोई निर्धारित विशिष्ट लेखाकरण कोड या अन्य वैक्ल्पिक तंत्र नहीं था ताकि सेवाओं के आयात से संबंधित संग्रहित करों के विश्वसनीय आंकडों निकाले जा सके।

- सिस्टम इतना मजबूत नहीं था कि वह संग्रहण योग्य कर और वास्तव में संग्रहित कर के बीच के अन्तर पर सूचना प्रदान कर सके।
- विभाग के पास एनआरआई को प्रेषण से संबंधित उपलब्ध डाटा को उपयोग करने की कोई प्रणाली नही थीं।
- आयकर में निर्धारित लाइन रेमिटर/लेखाकार से प्रमाणपत्र द्वारा बचन बद्धता की प्रस्तुती की किसी आवश्यकता के अभाव में सेवा प्राप्तकर्त्ता द्वारा तदनुरूपी सेवा कर देयता को पूरा न करने पर भी आरबीआई सेवाओं के आयात पर प्रेषण अनुमत करती हैं।
- पहचानी गई पार्टियों जैसे प्राधिकृत डीलरों से वार्षिक सूचना रिटर्न प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- निर्यात उन्मुख यूनिटों और सहायक उद्यमों द्वारा सेवा कर देयता पूरा न करने से इस फ्रंट पर निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता का पता चलता हैं।
- विभाग के पास कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/आरबीआई के पास उपलब्ध विशिष्ट मूल्य के उच्च मूल्य संव्यवहरों के आंकडों को उपयोग करने की प्रणाली नहीं थी ताकि कर अपवंचन के संभव मामलों की जांच की जा सके।

सूचना के प्रयोग के माध्यम से कर आधार मजबूत करना (2013 का प्रतिवेदन सं. 4)

- 2001-01 से 2010-11 वर्ष की अवधि के दौरान आय कर निर्धारितियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि के 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी (2.62 करोड़ से 3.36 करोड़ तक)। लेखापरीक्षा ने फ्लो में और सूचना के उपयोग में कई कमियां पाई क्योंकि यह सभी एजेंसियों से प्राप्त नही हो रही थी या पैन संख्या के विवरण के अभाव में अप्रयुक्त पाई गई थी। 285 उच्च मूल्य मामलें में निर्धारण अधिकारियों ने उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया।

प्रत्यक्ष कर (2013 का प्रतिवेदन सं. 15)

- वि. व. 03 से वि. व. 12 के दौरान कारपोरेट (84 से 79 प्रतिशत) के साथ गैर कोरपोरेट (94 से 90 प्रतिशत) निर्धारितयों के लिए स्वैच्छिक अनुपालन में कमी आई।
- असंग्रहित मांग में वि. व. 08 में ₹ 1,24,274 से वि. व. 12 में ₹ 4,08,418 करोड़ की वृद्धि हुई जिसमें से वि. व. 12 में 94 प्रतिशत की वसूली मुश्किल थी। (पैराग्राफ 1.12.1 और 1.12.2)
- निपटान हेतु लम्बित संवीक्षा निर्धारण वित्तीय वर्ष 11 में 3.92 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 4.05 लाख हो गए। कुल 7.75 लाख संवीक्षा निर्धारण मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 12 में 3.7 लाख (47.7 प्रतिशत) मामलों का निपटान किया था।
- आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई निर्धारण त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से पिछले वर्षों में ₹ 2680.97 करोड़ (वि. व. 12 के ₹ 1,538 करोड़ सहित) की वसूली की।
- आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 12 में 5.50 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिनमें से हमने 2.96 लाख मामलों की जाँच की लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में 0.18 लाख गलतियां थी जो औसतन छः प्रतिशत थी।
- इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 455 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। मंत्रालय ने 311 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और 31 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की।
- इसमें निगम कर से संबंधित 325 उच्च मूल्य वाले मामले बताए गए हैं जिनमें ₹ 2,271.32 करोड़ आयकर से संबंधित 115 उच्च मूल्य मामले जिसमें ₹ 593.30 करोड़ और धनकर के 15 मामले भी जिनमें ₹ 35.19 लाख का कर प्रभाव शामिल था।

आयकर विभाग द्वारा शास्ति और अभियोजन (2013 का प्रतिवेदन सं. 28)

- आयकर विभाग ने रोकड़ लेन देन पर शास्ति प्रावधान लागू नहीं किए जिसमें ₹ 56.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। सीएजी ने पाया कि आयकर विभाग ने 27 मामलों में शास्ति कार्रवाईयां पूरी करने में विलम्ब किए जिसके कारण ₹ 4.38 करोड़ की संभावित राजस्व हानि हुई। आयकर विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों में शास्ति नहीं लगाई जैसेकि (क) आय कर रिटर्नों, कर लेखापरीखा रिर्पोट, बही खातों को भरने की आवश्यकता का अननुपालन (ख) आय छुपाना (₹ 73.20 करोड़ का कर प्रभाव) और (ग) टीडीएस/टीसीएस के लिए रिटर्न उपल्ब्ध कराने में विफलता (₹ 5.13 करोड़ की शास्ति) जिसके कारण गलत निर्धारण हुए के अलावा कर न लगाए जाने को भी उजागर किया गया था।

- अभियोजन मामलों को प्रारंभ करने में 5 से 48 वर्षों के काफी विलम्ब थे। अभियोजन मामले उन कम्पनियों पर भी चलाए जा रहे थे जो पहले से ही औद्योयोगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा परिसमाप्त या रूग्ण घोषित कर दी गई थी। सीबीडीटी अधिनियम की निरस्त धाराओं के अन्तर्गत मृत निर्धारकों इत्यादि पर मामले चला रहा है जिसके परिणास्वरूप संसाधानों की हानि हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के 11 वर्षों और कानून मंत्रालय के मत के 5 वर्षों के बाद भी 76 मामले अभी भी चल रहे हैं जिससे आयकर विभाग का कीमती समय और संसाधन नष्ट हो रहा हैं।

धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को प्रत्यक्ष कर छूटें (2013 का प्रतिवेदन सं. 20)

- आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों (ट्रस्टों) को उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए कई कर छूटें प्रदान करता हैं पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारण के दौरान छूटे अनुमत करने, अधिशेष आय के एकत्रण की मानीटरिंग ने करने और विदेशी योगदानों में त्रुटियां पाई गई थीं। अधिनियम में असंगतता

जिसके कारण गलत निर्धारण हुए के अलावा कर न लगाए जाने को भी उजागर किया गया था।

- वि. व. 09 से वि. व. 11 के दौरान न्यासो से प्राप्त 1.75 लाख आवेदनों में से आयकर विभाग ने 0.90 लाख मामले स्वीकार किए और 0.36 लाख मामले अस्वीकार किए। 0.90 लाख मामलों की संवीक्षा पर हमने 6,948 मामलों में प्रक्रियागत त्रुटिया पाई।
- न्यासो के पहचाने गए 1.37 लाख निर्धारिणों मे से (जांच: 0.17 लाख एवं सारांश 1.20 लाख)। हमने 0.81 लाख निर्धारण मामलों की जांच की (जांच: 0.15 लाख साराशं 0.66 लाख)। हमने अनियमित छूटों की आपत्तियों के 1,283 मामले उजागर किए (जांच: 1,019 और सारांश: 264) जिनमें ₹ 3,019.21 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
- आयकर विभाग ने 799 न्यासो को आवश्यक दस्तावेज जैसे ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड में उचित खण्डों, लेखापरीक्षित लेखों इत्यादि की प्राप्तियों के सत्यापन के बिना पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचनाएं प्रदान कर दी। आयकर विभाग ने यह एक सांविधिक आवश्यकता होने के बावजूद जिनके पास पेन नही था वाले 73 न्यासो को पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना जारी किए।
- 22 न्यासों ने सं. 819 करोड़ के अधिशेष संचित किये थे, जो कर से बचने के लिए धर्मार्थ उद्देश्यों के बजाए अन्य न्यासों को हस्ताँतरित किये गए थे अथवा अधिक लाभ कमाने के लिए अचल सम्पत्तियाँ बनाने के लिए प्रयोग किये गए थे।
- जमशेदजी टाटा ट्रस्ट तथा नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट ने पूँजीगत लाभों के कारण ₹ 3139 अर्जित किये थे, जो निवेश के प्रतिबंधित तरीकों में निवेश किये गए थे, जिनके परिणामस्वरूप ₹ 1066.95 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की।

- आईटीडी ने कुछ क्रिकेट एसोसिएशनों द्वारा बीसीसीआई से प्राप्त टीवी सब्सिडी की अनियमित छूट अनुमत की जिसके परिणास्वरूप ₹ 37.23 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।
- आईटीडी ने 30 न्यासों को ₹ 59.61 करोड़ के कर प्रभाव वाली अनियमित छूटें अनुमत की थीं जहाँ विशिष्ट निर्देशों के बिना प्राप्त किये गए स्वैच्छिक योगदान को आय मानने के बजाए संग्रह निधि में रखा गया था।
- आईटीडी ने 120 न्यासों को धारा 11(2) के अन्तर्गत एओ को विनिर्दिष्ट ढंग से किये गए निवेश के विवरण/प्रपत्र 10 जमा कराए बिना संचित किये गए अधिशेषों के लिए ₹ 106.10 करोड़ के कर प्रभाव वाली अनियमित छूटे अनुमत की।
- आईटीडी ने विनिर्दिष्ट अवधि के बाद 23 न्यासों के संचयों पर कर नही लगाया जिनमें ₹ 100.07 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आइटीडी ने गैर-निर्दिष्ट ढंग से निवेश किये गए संचयों के लिए 5 न्यासों को ₹ 43.35 करोड़ के कर प्रभाव वाली अनियमित छूटें अनुमत की।
- आईटीडी ने मूल्यह्रास, ऋण के भुगतान तथा पिछले वर्षो के घाटे को अनुमत करने के लिए एकरूप प्रणाली नही अपनाई।
- आईटीडी ने 240 मामलों में न्यासों को ₹ 248.39 करोड़ के कर प्रभाव वाला अनियमित मूल्यह्रास अनुमत किया।
- आईओडी के पास धारा 80जी के तहत पंजीकरण वाले सत्वों द्वारा जारी की गई प्राप्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई आन्तरिक तंत्र नही है। आईटीडी ने 24 न्यासों द्वारा प्राप्त किये गए दान की प्रति जाँच नहीं की थी।
- न्यासों के मामले में टीडीएस की कटौती सक्षम करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अतः एओज ने सात मामलों ने टीडीएस की कटौती किये बिना ही न्यासों द्वारा वहन किया गया व्यय अनुमत किया जिसमें ₹ 9.49 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

- पूरी तरह से शैक्षणिक/परोपकारी उद्देश्य के लिए विद्यमान किसी विश्वविधालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल जो पूरी तरह से अथवा पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, की आय को अधिनियम के तहत छूट प्रदान की गई है। तथापि, शब्द ''पर्याप्त रूप से वित्तपोषित' को अधिनियम मे परिभाषित नहीं किया गया है।
- आइटीडी ने न्यासों पर व्यापक डाटाबेस नही बनाया है तथा उनके रिटर्न दर्ज करने के साथ पंजीकृत न्यासों की संख्या के विश्लेषण हेतु कोई प्रणाली नही है।
- एमएचए द्वारा इसकी वेबसाईट पर उदघोषणा के अनुसार एनजीओज/न्यासो ने वि. व. 10 के दौरान विदेशी स्रोतों से योगदान के माध्यम से ₹ 10,338 करोड़ प्राप्त किये थे, क्योंकि इनका मॉनीटरन विदेशी योगदान विनियम अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत होता है। आईटीडी ने इन निधियों के उपयोग, जिनके लिये इन्हें प्राप्त किया गया था, की निगरानी के लिये कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है।

राज्यो की विधानसभाओ के लिए सी ए जी प्रतिवेदन

दिल्ली (2013 का प्रतिवेदन 1, 2, और 3)

- समुचित सांविधिक फार्म प्रस्तुत किये बिना कर की छूट/रियायती दर के अनियमित दावे के परिणामस्वरूप ₹ 404.30 करोड़ ब्याज सहित ₹ 2310.14 करोड़ के कर का कम भुगतान किया गया।
- दिल्ली जल बोर्ड सीवेज के 680 एमजीडी में से केवल 367 एमजीडी को इकठ्ठा और संसाधित कर पाया था। 543.40 एमजीडी की क्षमता वाले सीवेज संसाधनतंत्र होने के बावजूद भी शेष को बिना संसाधित किये तेज बहाव वाले नालों की सहायता से यमुना नदी में डाल दिया गया। बोर्ड ने सीवरेज ट्रीटमेंट की केवल एक एमजीडी क्षमता बढ़ाई और ₹ 1634.18 करोड़ खर्च करने के बाद भी 2007-12 के बीच केवल 900 कि. मी. सीवर लाईन बिछाई गई। औद्योगिक सीवेज हेतु सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्रों (सीईटीपीज) का वास्तविक उपयोग स्थापित क्षमता का केवल 5 से 62.50 प्रतिशत ही था जबकि संसंधित न किये गये औद्योगिक सीवेज को यमुना

नदी में छोड़ने के मामले सामने आये थे। 15 सीईटीपीज़ में से 4 को 1998 तक पूरी करना निश्चित किया गया था जो अभी भी (दिसम्बर 2012) पूरी नहीं हुई हैं।

- जनसंख्या के विश्वसनीय आंकडों की कमी के कारण से पेय जल का समान वितरण नहीं किया गया था और जल की विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति की गई। दिल्ली में 24.8 प्रतिशत घरों में पाईपलाईन न होने के कारण टैंकरों के द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही थी, जबकि 172 लीटर के निर्धारित नियम के प्रति औसत प्रति व्यक्ति आपूर्ति 3.82 लीटर प्रतिदिन थी। उपभोक्ता की ओर से जल का माप विस्तृत नहीं था क्योंकि 40 प्रतिशत से कम आपूर्त जल विगत तीन वर्षों के दौरान बिल में डाला गया था।

आंध्र प्रदेश (2013 का प्रतिवेदन 1, 2 और 3)

- प्रावधानों में बताया गया है, घोषित आउटपुट कर या अतिरिक्त इनपुट कर के अंतर्गत कम से कम दस प्रतिशत की शास्ति की किये गये दावों की उगाही नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 133.16 करोड़ जुर्माने की कम उगाही की गई।

- विधार्थियों को छात्रवृतियों की संस्वीकृति/वितरण में काफी देरी हुई। नोडल बैंक, कार्पोरेट इंटरनेट बैकिंग (सीआईएनबी) और पीडी लेखा के पास काफी बड़ी राशि (₹ 176.83 करोड़) अवितरित बची हुई थी।

- हमने आंध्रप्रदेश इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्टैक्चर कार्पोरेशन द्वारा 2006-12 के दौरान कुल भूमि आवंटन के 78 प्रतिशत को कवर कर रही 43,920 एकड़ भूमि आवंटन के 1096 मामलों की समीक्षा की। 49,046 एकड़ भूमि के लिए राज्य सरकार से हस्तांतरण आदेश प्राप्त नहीं हुये थे जिसको कार्पोरेशन पहले ही अपने अधिकार में ले चुकी थी। समीक्षा से बाजार मूल्य या अधिग्रहण मूल्य के काफी कम दरों पर प्राइवेट पार्टियों को भूमि आवंटन के मामले भी समाने आये और अन्य अनियमितताओं के कारण ₹ 363 करोड़ की हानि हुई। 2006-10 के दौरान 6,038 आवंटनों में से 4,220 आवंटनों के अंतर्गत परियोजनाँए 2 वर्षों में पूरी हो जानी चाहिए थी। चूँकि, 1,204

इकाईयों (15,292 एकड़ भूमि वाली) में अभी भी कार्यान्वयन आरंभ होना शेष था। हमारे द्वारा भूमि लागत में कटौती के बावजूद विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश के और रोजगार सृजन के लक्षित उद्देश्यों के प्राप्ति न होने के मामले भी पाये गये। दो सेज़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) के बीच आवंटित भूमियों के बीच सार्वजनिक उपयोग हेतु सड़क का महत्व सुनिश्चित किये बिना एक सड़क का निर्माण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन दो सेज़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) को विकसित करने वालों को ₹ 26.81 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

- लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड पर उन्नत अनुसंधान हेतु इंदिरा गांधी केंद्र (आईजीसीएआरएल) एक व्यवहारिक विश्वस्तरीय पशुधन अनुसंधान केंद्र का निर्माण चाहता था जिसमें मार्च 2012 तक ₹ 236.67 करोड़ का खर्च किया था जो वास्तविकता से परे था, क्योंकि यहां मूल आवश्यकताएँ (जैसे जल, बिजली, प्रवाह/सीवरेंज ट्रिटमेंट संयंत्र) उपलब्ध नहीं कराई गई थी। संरचनात्मक संपत्तियों का निर्माण 6.64 लाख स्क्वेयर फीट के भूमि क्षेत्र को सीमित उपयोग जैसे पशु डेरी और चारा फसलों की खेती के लिए रखा गया था न कि पशुधन पर अनुसंधान के लिए। बायो-टैक सेज अभी आरंभ नहीं हुई थी।
- तट रेखा (पत्तन सीमाओं से काफी दूर) के लंबे फैलाव पर एक मात्र अधिकार की स्वंतत्र अनुमति के साथ-साथ तट रेखा के साथ छोटी पत्तनों की बहुतायात को काफी राज्य की प्राइवेट तट रेखा के वस्तृत बदल दिया गया हैं। प्राईवेट पार्टियों के तरफ से कम जोखिम या खुलासे को छोड़कर परियोजना तैयार करने वालों के लिए बड़ा ऋण प्राप्त करने के लिए प्राईवेट विकासकों द्वारा ऐसी भूमियों को गिरवी रखने की सुविधा भी सरकार ने प्रदान की। निगरानी तंत्र के साथ-साथ राजस्व सहभाजन और वित्तीय प्रबंधनों में कमियां/विचलन थे।

आंध्रप्रदेश (जलयज्ञनम कार्यक्रम पर प्रतिवेदन)

- 26 मुख्य/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की नमूना-जाँच में ₹ 1,86,000 करोड़ लागत वाले 86 सिंचाई ओर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं वाले

जलयज्ञनम कार्यक्रम की समीक्षा में योजना और कार्यान्वयन दोनों में कमियां पाई गई। अव्यवहारिक योजना के परिणामस्वरूप संपतियों के निर्माण में सार्वजनिक निधि का अवरोध कर दिया गया जिससे वांछनीय लाभों को प्रदान कर पाना कठिन था। चूँकि, कृष्णा और पेन्नार नदी पर परियोजनाएं परिचारक लागत के साथ ओवर डिजाईंड थी क्योकि परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध मात्रा से काफी अधिक है। जलयज्ञनम में 74 सिंचाई परियोजनाओं में से 31 में ही सिंचाई योजनाएं चलाई गई थी और राज्य में आवश्यक बिजली की बहुत अधिक कमी और लागत के मद्देनजर, राज्य सरकार के लिए इन सभी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए लिफ्ट को चलाने के लिए और पानी छोड़ने के लिए आवश्यक बिजली उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी।

- अधिकांश नमूना जांच की गई परियोजनाओं को लिया गया और योजना आयोग से निवेश मंजूरी (24 परियोजनाओं), वन मंजूरी (21 परियोजनाओं), एमओईएफ से पर्यावरणीय मंजूरी (18 परियोजनाओं), सीडब्ल्यूसी से सैद्धांतिक मंजूरी (16 परियोजनाओं) और एमओटीए से आरएण्डआर मंजूरी (14 परियोजनाओं) जैसी आवश्यक मंजूरी लिए बिना ठेके दिए गए। 11 परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना और चार परियोजनाओं को व्यवहार्यता अध्ययन के बिना ही लिया गया था।
- ईपीसी ठेकों की निविदागत प्रक्रिया में पारदर्शिता और यथोचित श्रम का अभाव था। ठेकेदारों के पैनलीकरण हेतु निर्धारित अर्हता मापदण्ड अपनायी गई पारम्परिक निविदागत प्रणाली से कम प्रभावी था। कुछ ठेकेदारों ने अपने बीच जेवी की प्रति-स्थापना के माध्यम से बड़े पैमाने पर कार्य पैकेज लिया। कई ठेकेदारों को एकल निविदा आधार पर ठेके दिए गए थे। कई मामलों में कार्य पैकेज देने हेतु बोली मूल्य बेंचमार्क हेतु प्रयुक्त आंतरिक बेंचमार्क प्राकलन उच्च मात्रा, उच्च लागत और शुल्क/करों की छूट आदि को शामिल करने से बढ़ गए थे1 नमूना जाँच मामलों में आईबीएम मूल्य बढ़ने में इनका कुल प्रभाव ₹ 3129.51 करोड़ था।

- परियोजनाओं में देरी के साथ-साथ विशेषताओं और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के बाद विस्तृत सर्वेक्षण और जाँच तथा डिज़ाइन ने परियोजनाओं की लागत ₹ 52.116 करोड़ तक बढ़ गई (सितम्बर 2012। इन परियोजनाओं में समय और लागत बढ़ने का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण मंजूरी और प्रतिस्थापन और पुनर्वास गतिविधियों में देरी थी। सरकार किसी भी परियोजना हेतु समय पर पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकी जबकि इनमें से कई परियोजनाओं की मूल करार अवधि समाप्त हो गई थी। जबकि परिकल्पित परियोजनाओं के निष्पादन हेतु 9.19 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, सरकार मार्च 2012 तक केवल 5.97 लाख एकड़ का ही अधिग्रहण कर सकी।

बिहार (2013 की रिपोर्ट सं. 2 और 5)

- राजस्व बोर्ड के अनुमोदन के बिना जून 2009 में राज्य उत्पाद शुल्क के दरों में संशोधन से 2009-12 के दौरान थोक/खुदरा आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपयोगी वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत वैट की दर करने हेतु अधिसूचना जारी करने के कारण 43.96 करोड़ राजस्व की हानि हुई। पत्थर निर्माताओं और रोड़ी पर एंट्री टैक्स को गलत तरीके से घटाकर आठ प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दिया गया जिसके कारण ₹ 20 करोड़ की राजस्व हानि हुई।
- छः वाणिज्यिक कर क्षेत्रों में नौ डीलरों द्वारा ₹ 42.53 करोड़ के बिक्री/खरीद करोबार के छुपाव से वसूलीयोग्य जुर्माने और ब्याज सहित ₹ 18.07 करोड़ कर का कम निर्धारण हुआ। नौ वाणिज्यिक कर क्षेत्रों में 12 डीलरों द्वारा ₹ 212.81 करोड़ मूल्य के आयात वस्तुओं को छुपाने के कारण वसूलीयोग्य जुर्माने और ब्याज सहित ₹ 86.88 करोड़ के एंट्री टैक्स की कम उगाही हुई। विकास करार के अनुरूप यातायात वाहन मानते हुए स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गैर-उगाही के कारण ₹ 4.44 करोड़ की कम वसूली देखी गई।

छत्तीसगढ़ (2013 की रिपोर्ट सं. 3 एवं 4)

- खरीफ विपणन मौसम 2006-07 से 2008-09 के दौरान, मार्कफेड ने विभिन्न बैंकों को ₹ 800.58 करोड़ ब्याज का भुगतान किया जिसमें से कस्टम मिल्ड राइस कॉस्ट शीट में निर्धारित दरों के अनुसार केवल ₹ 120.43 करोड़ का क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ था। शेष ₹ 680.15 करोड़ ब्याज का भुगतान मानक से अधिक था।
  - ₹ 1975.43 करोड़ मूल्य के 7.43 लाख मी.ट. चावल और 1.91 लाख मी.ट. गेहूँ को केंद्रीय योजनाओं से राज्य योजना (मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना) में स्थानान्तरित कर दिया गया था जिसके परिणास्वरूप केंद्र सरकार से ₹ 899.12 करोड़ का गलत दावा किया गया।
  - आर्थिकरूप से कमजोर वर्गों के परिवारों हेतु अधिग्रहीत भूमि पर ₹ 182 करोड़ मूल्य के बंगलों और वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण अनुचित था।
  - समय पर लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने में विफलता के कारण ₹ 760.93 करोड़ का सब्सिडी दावा अवरूद्ध हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 186.81 करोड़ ब्याज की हानि हुई।
  - सार्वजनिक कार्यालयों के साथ समन्वय के अभाव के कारण ₹ 67.63 के स्टैम्प शुल्क और जनपद शुल्क की वसूली नहीं हुई। गलत दर लगाने, अनुमोदन पत्र के दिशा-निर्देशों/शर्तों के गैर-लागूकरण और माँग न करने के कारण ₹ 89.56 करोड़ के कुल मौजूदा मूल्य के क्षतिपूरक वनरोपण लागत की गैर वसूली/कम वसूली हुई।

गुजरात (2013 की रिपोर्ट सं. 2 एवं 4)

- इस रिपोर्ट में ₹ 348.22 करोड़ वाले कर के गैर/कम उगाही, जुर्माना, ब्याज इत्यादि से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 73 पैराग्राफ निहित हैं।
- केंद्र सरकार की तटीय सुरक्षा योजना में अवैध सीमापार गतिविधियों की जांच करने और इसे रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों की पेट्रोलिंग और सर्विलांस हेतु बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की परिकल्पना की गई थी। चयनित

जिलो में, पूर्ण किए गए 50 पुलिस स्टेशनो तथा चेकपोस्टो में से 36 अपरिचालित रहे क्योंकि पुलिस कार्मिको को नियोजित नहीं किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचने से पूर्व फिशर्मेन को सावधान करने के लिए 46.16 करोड़ (मई 2008) की लागत पर पोत ट्रेकिंग तथा चेतावनी यंत्र प्रणाली पर आधारित सेटेलाइट को स्थापित नहीं किया गया था। फिशर्मेन/पोतो पर नजर रखने के लिए नॉव आवगमन टोकन प्रणाली को प्रभावी पाया गया।

हरियाणा (2013 की रिपोर्ट 1 एवं 2)

- उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करने तथा अन्तर-विभागीय डाटाबेस के विनिमय की प्रणाली स्थापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अपंजीकृत निर्माण करारों से निर्माण करार कर (₹ 283.88 करोड़) की वसूली नहीं हुई। निर्माण करार कर (₹ 88.26 करोड़) की कम वसूली भी देखी गई थी।
- वर्ष 2011-12 के दौरान नमूना जांच से 9,130 मामलों में ₹ 2,866.67 करोड़ के कुल राजस्व के कम निर्धारण/कम उदग्रहण/उद्ग्रहण न होने/राजस्व हानि का पता चला। विभाग ने 6,619 मामलों में ₹ 1,765.33 करोड़ का कम निर्धारण स्वीकार किया तथा 190 मामलों में 2.67 करोड़ वसूली किए।
- निर्धारण प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित उनके दिशा-निर्देशों को प्राप्त करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1303.16 करोड़ के कर तथा जुर्माने का उद्ग्रहण नहीं हुआ।
- बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण मजदूरो के कल्याण के लिए संग्रहित उपकर के रूप में ₹ 634.71 करोड़ की कुल प्राप्ति के प्रति 2007-12 के दौरान कल्याण योजनाओं पर केवल ₹ 15.11 करोड़ का व्यय किया गया था।
- राज्य में 29.72 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर सिंचाई सामर्थ्य के निर्माण के प्रति केवल 21.13 लाख हेक्टेयर सिंचाई सामर्थ्य का उपयोग किया गया।

हिमाचल प्रदेश (2013 की रिपोर्ट 1)

- वर्ष 2012-13 के दौरान किए राज्य कर/वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टैम्प तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल तथा यात्री कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य गैर-कर प्राप्तियों की 241 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना जांच ने 780 मामलों में ₹ 1023.30 करोड़ के कुल राजस्व का कम निर्धारण, कम उदग्रहण दर्शाया। सम्बंन्धित विभाग ने 516 मामलों में ₹ 779.17 करोड़ के कम निर्धारण तथा अन्य कमियो को स्वीकार किया तथा 2012-13 के दौरान 183 मामलों में ₹ 266.53 करोड़ का संग्रहण किया।

जम्मू एवं कश्मीर (2014 की रिपोर्ट सं. 1 एवं 2)

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि (निवासियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना) अधिनियम 2001 (रोशनी अधिनियम) के तहत सरकार ने उर्जा क्षेत्र के लिए संसाधन बनाने के लिए निवासियो को 20,64,792 कनाल राज्य भूमि की बिक्री द्वारा ₹ 25,448 करोड़ के संसाधन संग्रहण का अनुमान लगाया था। राज्य सरकार द्वारा गठित नियम अधिनियम के प्रयोजन, कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्यों के विपरीत पाये गए थे। मार्च 2012 तक 3,84,160 कनाल भूमि के हस्तांतरण के अनुमोदन के बाद भी, ₹ 317.54 करोड़ की माँग के प्रति केवल ₹ 76.24 करोड़ वसूल किये गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गये 547 मामलों में 666 कनाल भूमि के हस्तांतरण मूल्य में रिबेट/छूट की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 225.26 करोड़ की हानि हुई। क्रियान्वयन तंत्र में कुछ सर्वांगी चूक भी लेखापरीक्षा द्वारा दर्शायी गई थीं जिनके परिणामस्वरूप विवेकाधीन शक्तियों के दुरूपयोग के जोखिम पर कमजोर नियंत्रण था। भूमि हस्तांतरण स्टैम्प शुल्क प्रभारित किये बिना ही किये गए थे। कृषि भूमि के रूप में गैर-कृषि भूमि का लागत-मुक्त हस्ताँतरण, प्रमाणित राजस्व अभिलेखों का संदर्भ लिए बिना हस्ताँतरण आवेदनों का स्वेछाचारी निपटान, भूमि मूल्य में उन्हें अधिक रिबेट उपलब्ध कराने के विचार से पारिवारिक जायदाद का विखण्डन तथा निवासियों का गलत वर्गीकरण, भूमि मूल्य का स्वेच्छाचारी

निर्धारण तथा भूमि के अवैध हस्ताँतरण के उदाहरण देखे गए थे। अधिनियम के तहत 3,48,160 कनाल के हस्तांतरण के बाद भी, नये अतिक्रमण निरंतर जारी है यथा नवम्बर 2006 में 20,64,972 कनाल के प्रति मार्च 2013 में अतिक्रमण के सार्वजनिक भूमि का क्षेत्र 20,46,436 कनाल था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अर्थात उर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधन जुटाना, प्राप्त नहीं हुआ था जबकि राज्य ने काफी सार्वजनिक भूमि हस्तांतरित कर दी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कारण दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सतर्कता जाँच प्रारम्भ कर दी गई थी।

- जे एण्ड के वैट अधिनियम के तहत देय राशियों की छूट तथा माफी की समीक्षा पर, हमने ऐसी औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत की गई ₹ 118 करोड़ की अनियमित माफी देखी जो पंजीकृत नहीं थी, टर्नओवर के रिटर्न दर्ज नहीं किये गये थे, अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किये गए थे अथवा माल के गलत वर्गीकरण के कारण अधिक माफी का दावा किया था।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹ 375.72 करोड़ राशि की कार्यक्रम निधि 163 अनियमित रूप से अयोग्य सड़क परियोजनाओं के निर्माण पर खर्च किये गए थे। 140 परियोजनाओं के निर्माण का कार्य ₹ 578.22 करोड़ की लागत पर 33 अनुभवहीन/अयोग्य ठेकेदारों के आंवटित किया गया था। निविदा प्रक्रिया में उचित सर्तकता की कमी के कारण 42 परियोजनाओं में संविदा का अनाधिकृत सबलेटिंग हुआ जिसमें ₹ 102.96 करोड़ का व्यय शामिल था।

झारखण्ड (2013 की रिपोर्ट 1 एवं 5)

- 2013 की रिपोर्ट 1 मे ₹ 485 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले कर/शुल्क न/कम लगाने हानि से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 25 पैराग्राफ शामिल है जिनमें से ₹ 311 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियां लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत की गई हैं।
- 2013 की रिपोर्ट 5 में ₹ 633.61 करोड़ के वित्तीय प्रभाव की कर/शुल्क न/कम लगाने/हानि से संबंधित एक संवीक्षा सहित 27 पैराग्राफ है जिनमें

से ₹ 513.04 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियां सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 14 वाणिज्यिक कर सर्कलों में पंजीकृत 34 डीलरों के बिक्री/खरी टर्नओवर के निर्धारण में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹ 280.70 करोड़ की कर और शास्ति नही/कम लगाई गई।

कर्नाटक (2013 की रिपोर्ट 4)

- भद्रा रिज़रवायर परियोजना में नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर ₹ 1,003.33 करोड़ खर्च करने के बावजूद लगभग 2,132 हेक्टेयर का सफरिंग टेल एडं एरिया का 9,118 हेक्टेयर बिना जल आपूर्ति के पड़ा रहा। केवल मुख्य और शाखा नहरों के अतिसंवेदनशील पहुंच को आधुनिक बनाने की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बावजूद कम्पनी ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना मुख्य और शाखा नहरों की पूरी स्ट्रेच को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया। 103 कि. मी. की पूरी लम्बाई नहर के सीधे किनारे जोकि मुख्यत: पथरीली स्तर की है की कंक्रीट लाइनिंग औचित्यपूर्ण नही थी और प्रकार किए गए परिहार्य व्यय को निर्धारित नही किया जा सकता।

- ठेकाकरण प्रतिस्पर्धी नही था और पीपी अधिनियम कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक अधिप्राप्ति अधिनियम के उल्लघंन में था। निविदा कम्पनी के साथ नामांकित वर्ग-I ठेकेदारों की ही पहुंच तक सीमित थी जिन्होने निर्धारित पूर्व योग्यता मानदंड पूरे किए थे जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी दर पूर्ववर्ती हो गई। निविदा आंमत्रित करने के बाद मात्रा में परिवर्तन के साथ कार्य का क्षेत्र बदल गया था। तत्कालता के तर्क के अन्तर्गत कई ठेके एकल निविदा आधार पर दिए गए थे।

केरल (2013 की रिपोर्ट 1 एवं 3)

- इस रिपोर्ट में अपंवचन उन्मुख सामान पर वैट लगाने और उनके संग्रहण ग्रहण/कर ब्याज और शास्ति इत्यादि न कम लगाने पर एक निष्पादन

लेखापरीक्षा सहित 39 पैराग्राफ है जिसमें ₹ 304.66 करोड़ शामिल है। महानियंत्रक पेटेंट ओर ट्रेडमार्क वाणिज्यिक कर विभाग के पास उपलब्ध डाटा के साथ सीमाशुल्क विभाग महानियत्रंक पेटेंट और ट्रेडमार्क से प्राप्त सूचना की दो तरफा जांच से पता लगा कि 56 डीलरों ने अपना टर्नओवर कम बताया था जिसके परिणास्वरूप ₹ 211.26 करोड़ का कम कर लगाया गया।

- विलम्ब और उच्च दरों की मुश्किलों पर काबू पाने के लिए सरकार ने पीएसयूज़ को ठेकेदार और बाद में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य सौंपने का निर्णय लिया। हमने पाया कि इन पीएसयूज़ ने ठेकेदारों से कार्य निष्पादित करवाया। नमूना जाचं से पता लगा कि सरकार ने 128 कार्यों पर ₹ 104.81 करोड़ की हानि उठाई अधिक देयता की जिसकी लागत ₹ 888.50 करोड़ थी।

मध्य प्रदेश (2013 की रिपोर्ट 1)

- इस रिपोर्ट में 247.82 करोड़ के कर, ब्याज शास्ति इत्यादि न/कम लगाने से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 50 पैराग्राफ हैं। विभाग/सरकार ने ₹ 115.54 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की जिसमें से ₹ 34.05 लाख की वसूली की जा चुकी है।
- 1,70,881 मामलों के संबंध में ₹ 288.46 करोड़ (1 अप्रैल 2011 तक बकाया का 54.44 प्रतिशत) का बकाया पांच बर्षों से अधिक से वसूली के लिए लम्बित था।
- 1,70,881 मामलों के संबंध में ₹ 288.46 कर का वाणिज्यिक कर बकाया पांच वर्षों से अधिक से वसूली के लिए लम्बित था। विभागीय चूकों के परिणामस्वरूप 31 मामलों में ₹ 28.44 करोड़ के देय की उगाही नही हुई।
- ₹ 875.38 करोड़ के उत्पाद शुल्क वाली स्पिरिट/विदेशी शराब अरक्षित पड़ी रही क्योंकि समर्थ प्रतिभूतियों सहित बैंक गारंटी/बांड प्राप्त किए बिना विभाग द्वारा अनियमित निर्यात/परिवहन अनुमत किया गया था। अनधिकृत शराब पर ₹ 20.25 करोड़ का उत्पाद शुल्क भी वसूला नही गया था।

महाराष्ट्र (2013 की रिपोर्ट 1, 3 एवं 5)

- इस रिपोर्ट में कर, शुल्क ब्याज और शास्ति इत्यादि न/कम लगाने से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 42 पैराग्राफ हैं जिनमें ₹ 233.59 करोड़ शामिल था।
- मुम्बई में 1940 से पहले की कई पुरानी इमारते हैं और किराएदरों द्वारा दत्त किराया बोम्वे रेंट होटल और लांजिग हाऊसस रेंट कन्ट्रोल अधिनियम, 1947 के अनुसार 1940 पर स्थिर है। चूंकि मकान मालिक बहुत कम किराया प्राप्त करते हैं वह भवनों के रखरखाव में रूची नही दिखाते हैं और कई भवन गिरने की कगार पर थे। मुम्बई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को 1971 में बोम्बे रिपेयार्स एडं रिकंस्ट्रशन अधिनियम 1969 के अन्तर्गत खतरनाक उपकर भवनों की मरम्मत या पुन: निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया था। 2007-12 की अवधि को कवर करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि चिन्हित किये गए 19642 उपकर भवनों में से बोर्ड ने केवल 1482 उपकर भवनों का पुन: निर्माण अथवा पुन: विकास किया था उपकर भवनों के पुननिर्माण तथा पुनविकास में विलम्बों तथा परिणास्वरूप लक्ष्यों को पूरा करने में कमी के कारण एक ओर उपकर भवनों से 7,872 पट्टेदारों का विस्थापन हुआ जिन्होने एक वर्ष से 25 वर्षों से भी अधिक की अवधि के लिए पारवहन सदनों पर कब्जा जारी रखा जबकि दूसरी ओर विकासकों से प्राप्त 627 अधिशेष सदन आवंटन के बिना 20 वर्षों से अधिक के के लिए खाली पडे रहे। आवंटन में परिदर्शिता तथा निष्पक्षता के मुद्दे भी देखे गए थे। उपकर तथा सेवा प्रभारों की खराब वसूली का बोर्ड के वित्तों पर प्रभाव पड़ा था।
- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पट्टों की नमूना जाँच से कुछ अनियमितताँए सामने आई जिनके कारण राजस्व का घाटा, अस्वीकृत प्रयोजनों के लिए पट्टे की भूमि का प्रयोग तथा पट्टेदारे द्वारा शर्तों तथा निबन्धों के भारी उल्लंघन के बावजूद पट्टे का पुनर्ग्रणन ना करना हुआ। छह मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण पूरा ना करने के कारण लगभग ₹ 276.36 करोड़ का अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम वसूल नही किया गया था। प्रचलित बाजार मूल्य पर विचार किये बिना एक प्लाट के पट्टे के लिए आरक्षित मूल्य

निर्धारित करने के परिणास्वरूप ₹ 205.91 करोड़ के पट्टा प्रीमियम का घाटा हुआ।

उड़ीसा (2013 की रिपोर्ट 4)

- सामान्य प्रशासन विभाग ने होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान तथा गैर-सरकारी संगठनों की स्थापना हेतु निजी निकायों के साथ साथ व्यक्तियों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों को 2000-12 के दौरान भुवनेश्वर शहर में 337 मामलों में 464.479 एकड़ भूमि का आवंटन किया। इसमें से 183.449 एकड़ (39 प्रतिशत) भूमि गैर-सरकारी सत्त्वों को आंवटित की गई थी। 164 (49 प्रतिशत) आँवटनों की नमूना जाँच में हमने देखा कि भूमि के आवंटन की प्रक्रिया में एक परिभाषित नीति, प्रक्रिया, नियम अथवा मानदण्ड का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप स्वेच्छाचारी आवंटन हुए। आवेदनों के निपटान, भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम पर छूट की संस्वीकृति, भूमि प्रयोग योजना में परिवर्तन तथा अतिक्रमित भूमि के पुनर्ग्रहण में एकरूपता नही थी। भूमि के आवंटन पर भुगतान योग्य प्रीमियम को अन्तिम बार 1998 में संशोधित किया गया था। 2009 में बाजार दरों के संदर्भ में बैचमार्क दर निर्धारित की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप 1998-2009 के दौरान आवंटन प्राप्त कर्त्ताओं को अनुचित लाभ का विस्तारण हुआ। राजधानी शहर में भूमि मूल्य में निरंतर वृद्धि के बावजूद संबंधित क्षेत्रों की भूमि के प्रचालित बाजार मूल्य पर विचार ना करने तथा प्रीमियम में संशोधन ना करने के परिणामस्वरूप सरकार को 1998-2009 की अवधि के दौरान ₹ 251.92 करोड़ का घाटा हुआ।

राजस्थान (2013 की रिपोर्ट 2)

- 2011-12 के दौरान नमूना जाँच किये गए 47,716 मामलों में लगभग ₹ 3,119.98 करोड़ के कम निर्धारण, करों का उद्ग्रहण कम/ना करना एवं राजस्व की हानि, माँग उठाने में विफलता तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला। संबंधित विभागों ने 17,146 मामलों में संलिप्त ₹ 1,110.74

करोड़ के कम निर्धारण तथा अन्य कमियाँ स्वीकार की जिनमें से ₹ 1,013.90 करोड़ वाले 3,896 मामलों को स्वयं वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा में तथा शेष को पिछले वर्षों में दर्शाया गया था।

तमिलनाडु (2013 की रिपोर्ट 1)

- वर्ष 2011-12 के दौरान नमूना जाँच से 2,330 मामलों में ₹ 852.86 करोड़ राशि के कम निर्धारणों, कम उदग्रहण, राजस्व की हानि तथा अन्य आपत्तियों का पता चला। डीलरों को मूलभूत/महत्त्वपूर्ण जाँच किये बिना तथा पीएएन प्राप्त किये बिना जो अनिवार्य था, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये गए थे। इसने डीलरों द्वारा बिल ट्रैडिंग गतिविधियों को बढ़ावा दिया जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि विभाग ने स्वयं 1,037 डीलरों को 'बिल ट्रेडर्स' के रूप में चिन्हित किया था तथा अतीतलक्षी ढंग से आरसी निरस्त किये थे।

उत्तर प्रदेश (2013 की रिपोर्ट 1 एवं 3)

- उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन ने 48,551.088 एकड़ भूमि अधिग्रहण की थी जिसके प्रति हस्ताँतरण पत्र केवल 27,745.588 एकड़ भूमि के लिए कार्यान्वित किया गया था। कार्पोरेशन ने बुलन्द शहर में 1993 में अधिग्रहीत 1200.483 एकड़ भूमि तथा अप्रैल 1999 से अप्रैल 2005 के दौरान अधिग्रहीत 2,584.292 एकड़ भूमि का प्रत्यक्ष कब्जा संरक्षित नही किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 297.29 करोड़ का अवरोधन हुआ। कार्पोरेशन ने विकास के लिए 248 संविदाए क्रियान्वित की थी जिनमें से 201 संविदाए बिना किसी औचित्य के लघुअवधि निविदा ज्ञापनों तथा ₹ 63.37 करोड़ मूल्य की 33 संविदाएं ऐसी निविदा हेतु किसी अनुज्ञप्ति के बिना ही अति लघु अवधि निविदा ज्ञापनों के प्रति क्रियान्वित की गई थी। 40 संविदाओं की संवीक्षा से पता चला कि निविदाओं को निम्न स्तरीय स्टाफ द्वारा अन्तिम रूप दिया गया था तथा मुख्य अभियंता तथा प्रबंन्ध निदेशक ने निविदा दस्तावेजों तथा तुलनात्मक विवरणों पर हस्ताक्षर नही किये थे तथा अनुमोदन अलग से टिप्पणी पत्रों पर प्रदान किया था।

130 संविदाओं को बिना किसी औचित्य के कार्य को समूह में विभाजित करके अन्तिम रूप दिया गया था तथा 107 संविदाए उन्हीं गैर-निष्पादन कर्ता ठेकेदारों को प्रदान की गई थीं। पाँच सामुहिक आवासीय प्लॉट का आरक्षित मूल्य नियमों के उल्लघंन में निर्धारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 110.10 करोड़ का घाटा हुआ। आठ सामुहिक आवास तथा उप वाणिज्यिक प्लॉट का आवंटन निर्धारित प्रणाली के विरूद्ध किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्य पर ₹ 152.29 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई जो सर्किल दर पर ₹ 24.50 करोड़ बनती है।

- उत्तर प्रदेश पावर कारर्पोरेशन ने बाड़ा, इलाहाबाद में 3x660 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के वित्तपोषण, विकास, निर्माण, शुरूआत, अपनाने संचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और 25 वर्ष की अवधि के लिये डीआईएससीओएम को बिजली की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित (जून 2007) की। हमने पाया कि कॉरर्पोरेशन को बिजली खरीद के लिए उच्च दर पर बोली को अंतिम रूप देने के कारण ₹ 10,831.82 करोड़ की आवर्ती हानि उठानी पड़ेगी।
- हमने पाया कि वितरण फ्रेंचाइजी करार को अंतिम रूप देने की बोली मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताँये थी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आगरा के लिए अनुपूरक करार में मार्च 2012 तक ₹ 421.12 करोड़ तक हानि पहले ही हो चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप एटीएंड सी हानि को कम करने के उद्देश्य की गैर-पूर्ति के अतिरिक्त ठेके के बचे हुये 18 वर्षों में ₹ 4601.12 करोड़ की अतिरिक्त हानि होगी।
- वर्ष 2011-12 के दौरान 1,356 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 4,878 मामलों में कुल मिलाकर ₹ 1,754.31 करोड़ के राजस्व का कम निर्धारण/कम उगाही/हानि का पता चला। संबंधित विभाग ने कम निर्धारण और 637 मामलों में शामिल ₹ 33.83 करोड़ की अन्य कमियों को स्वीकार किया और 2011-12 के दौरान 326 मामलों में ₹ 3.79 करोड़ एकत्र किये।

IV नीतियों, नियमों, कानून में परिवर्तन और लेखापरीक्षा के कारण हुए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

आर्थिक प्रभाव के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर नीति कानून नियमों में किये गये परिवर्तन और सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

IV ए संघ लेखापरीक्षा

(i) रक्षा सेवाओं में चिकित्सा स्थापनाओं का निष्पादन (2012-13 की रिपोर्ट 8 संघ सरकार - रक्षा सेवाऐ)

सभी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेस (एएफएमएम) अस्पतालों ने न केवल आरएफपी (प्रस्ताव के लिये अनुबंध) बल्कि एसओ (आपूर्ति आदेशों) में भी प्रतिस्थापना के खंड डालने के लिये परामर्श जारी किये है। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों को आपूर्तिकत्ताओं से अंडरटेकिंग लेना भी अपेक्षित है कि सभी अप्रयुक्त स्टॉक को नये स्टॉक से प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।

(ii) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में 'घ' स्तर मरम्मत और रखरखाव सुविधाओं का अनुपयुक्त निष्पादन: (2008-09 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का पैरा 2.8)

सरकार ₹ 89.27 करोड़ की लागत पर एचएएल में 'घ' स्तर के रडार सुधार सुविधाओं की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि एचएएल के घटती परियोजना लागत और मजबूत रूपये के परिणामस्वरूप एकत्रित लाभ को आगे बढ़ाया। परियोजना निष्पादन के समय, एचएएल पर्याप्त लाभ प्राप्त करने और निर्णीत हर्जाना न लगाने के संबंध में ₹ 9.37 करोड़ तक अनिर्जित लाभ का उपभोग करने में भी सक्षम था।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा मामले की ओर ध्यान दिलाने पर कम परियोजना लागत के लिये रूपये के संवर्धित मूल्य (इआरवी) के कारण

₹ 5.84 करोड़ की राशि और परिणामस्वरूप एचएएल से कम लाभ तत्व प्राप्त किये गये और भविष्य में ऐसे मामलों को निपटाते समय संदर्भ के लिए नोट किये गये।

(iii) रक्षा सेवाओं में चिकित्सा स्थापनाओं का निष्पादन (2012-13 की रिपोर्ट 18 संघ सरकार-रक्षा सेवाऐं)

1. सभी एएफएमएस अस्पतालों को उचित योजना, खरीद, और ओवरस्ट किंग को कम करने और उनकी परिणामी समाप्ति के लिए औषधि/दवाईयों का समय से वितरण के लिये सलाह दी।
2. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, अधिनियम, 2008 के अनुसार औषधि के गुणवत्ता आश्वासन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) संशोधित की जा रही है।
3. 46 मिलिट्री अस्पतालों (एमएच) के आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के अंतर्गत कवर न किये गये एमएच के लिये प्रस्ताव रखा गया, एएमडब्ल्यूपी-2014-15 में कार्य शामिल करने के माध्यम से कम भंडारण स्थान के बारे में बताया जा रहा है। 1484 मध्यम एम्बुलेंस की कमी को पूरा करने के लिये, 1325 के लिये प्रस्ताव प्रक्रियाधीन बताया गया।
4. इसीएचएस की स्टाफिंग के संशोधित स्केलिंग पद्धित का मामला और संविदात्मक कर्मचारियों के प्राधिकारण में संशोधन एमओडी में वित्त मंत्रालय के साथ सलाह के लिये विचाराधीन है।
5. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्राप्ति भुगतान, व्यय और दवाओं के शेष स्टॉक की निगरानी के लिये सभी ईसीएचएस पीसी में संस्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, कुछ नीतियों को ईसीएचएस लाभार्थियों को मेडिकल स्टोर आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करने के लिये डीजीएएफएमएस द्वारा लागू करने के लिये कहा गया है।
6. पहले से न सोचे गये क्षेत्रों में अस्पतालों को सूची में सम्मिलित करने पर बल देने, एमओए हस्ताक्षर न करने वाले अस्पातलों के साथ एमओए के नवीकरण और सीजीएचएस मनोनयन चिकित्सा सुविधाओं को ईसीएचएस की सूची में

सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करने सहित भारत सरकार द्वार संशोधित मनोनयन (अन्य अस्पतालों की) प्रक्रिया निर्धारित की गई।

IV बी राज्य लेखापरीक्षा

(i) **आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना : मार्च 2013 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2014 की रिपोर्ट सं. 1)**

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन

- सरकार ने आधार से जोड़ने के माध्यम से आवश्यक वित्तीय नियंत्रणों की व्यवस्था तथा अनिश्चिताओं के समाधान का आश्वासन दिया।

(*पैरा 2.4*)

- सरकार ने इनपुट स्तर पर प्रमाणीकरण नियंत्रणों को सुदृढ़ करने तथा विभाग के पास उपलब्ध कई डाटाबेसों के एकीकरण का आश्वासन दिया

(*पैरा 2.5.1*)

इन्दिराम्मा आवास योजना का कार्यान्वयन

- सरकार ने डाटाबेस त्रुटियों पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

(*पैरा 3.4*)

- सरकार ने प्रत्यक्ष भण्डार के साथ सह-संबंध स्थापित करने के लिए लॉजिस्टिक साफ्टवेयर के विकास तथा सीआरओ के सृजन का आश्वासन दिया।

(पैरा *3.7.2.3*)

सिविल आपूर्ति विभाग की कार्य पद्धति

- सरकार ने राशन कार्डों की नियमित जॉच तथा नकली राशन कोर्डों को हटाने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया। (*पैरा 4.6.1.3*)

- सरकार ने आवंटनों तथा वितरण में पारदर्शिता तथा समन्वय लाने के लिए पीडीएस प्रचालनों के कम्प्यूटीकरण का आश्वासन दिया। (*पैरा 4.7.2*)
- सरकार ने आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबों को वितरित करने के लिए नियत पीडीएस चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का दुरूपयोग/विचलन ना हो, सभी आयुक्तों को आवधिक जॉच करने के निर्देश दिये गए थे। (*पैरा 4.7.3*)
- ***इन्दिरा आवास योजना का कार्यान्वयन***
- सरकार ने आश्वासन दिया कि कुछ ही महीनों में सभी अयोग्य मामलों को छांट लिया जाएगा तथा राजस्व वसूली अधिनियम लागू करते हुए वसूली प्रारंभ की जाएगी। (*पैरा 5.2.6)*

(ii) तमिलनाडु पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रोमोशन कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा जमा कराए गए ₹ 250 करोड़ के जमा के समयपूर्व समापन करने मे आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 5 करोड़ की हानि हुई। लेखापरीक्षा आपत्ति पर कम्पनी ने भविष्य में अनुबन्धों में एक उपयुक्त खण्ड शामिल करना स्वीकार किया।

(iii) झारखण्ड: वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट सं. 2

(पैरा सं. 2.3.8.1): घरों में कनैक्शन के बिना ग्रामीण पाईप से जल आपूर्ति योजना के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर, विभाग ने एक आदेश जारी किया (सितम्बर 2013) कि कोई योजना पूरी नहीं समझी जाएगी जब तक 50 प्रतिशत घरों को घरेलू जल कनैक्शन न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

पैरा 3.4.9: लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर, राज्य सरकार ने राजस्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 564 पद संस्वीकृत किये।

(iv) **गुजरात राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन: बोलियों का अनुचित मूल्यांकन**

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन फर्मों के बीच मूल्य तुलना एक समान रूप से नहीं थी क्योंकि फर्म ए तथा फर्म टी प्रस्तावित नकद छूट पर उनका कुल मूल्य जानने हेतु विचार किया गया था परन्तु फर्म वी द्वारा प्रस्तावित 30 दिनों की उधार अवधि पर विचार नहीं किया गया था। तीनों फर्मों के कुल मूल्य की तुलना करते समय, मूल्यों की तुलना नकद छूट पर विचार किये बिना करनी चाहिए या फिर एल-। लागत जानने के लिए उधार अवधि के कारण ब्याज लागत मे अनुमानित बचत को घटाया जाना चाहिए। इसके कारण, कारपोरेशन ने तीनों फर्मों को समान मूल्य का भुगतान किया परन्तु 30 दिनों की उधार अवधि केवल फर्म वी से प्राप्त की। चूंकि फर्म ए तथा फर्म टी द्वारा प्रस्तावित कुल मूल्य मे नकद छूट को पहले ही सम्मिलित किया गया था, इसलिए उन्होंने कोई उधार अवधि नहीं दीं तथा भुगतान न्याधार की सुपुर्दगी के प्रति किए गए थे। अत: कार्पोरेशन ने फर्म ए तथा फर्म टी से प्राप्त ना की गई 30 दिनों की उधार अवधि पर ब्याज खो दिया था। प्रबंधन/सरकार (सितम्बर 2013) ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कारपोरेशन ने नयी निविदा आमंत्रित करते समय (अक्तूबर 2013) विसंगति को ठीक करने के लिए भुगतान की शर्त को सुधारा।

(v) **हरियाणा: विवेकाधीन अनुदानों का अनियमित संवितरण (राज्यपाल के सचिव, हरियाणा की जाँच रिपोर्ट 2012-13)**

हरियाणा विवेकाधीन अनुदान (व्यय का विनियम) नियमावली 1969 को दिनांक 13 अगस्त 2013 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है। इन नियमों के नियम 3 तथा 4(2) को उपरोक्त अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया।

(vi) पंजाबः आवास संवर्धक के प्रति अनुचित पक्षपात

लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन में, जीएएडीए ने 19.11.2013 को संवर्धक के साथ एक एक संशोधित अनुबंध किया। तदनुसार, विकासक एलएसी के निर्णय की उदघोषणा के समय तक अनुमानतः इडीसी की समायोजित राशि पर प्रोदभूत ब्याज तथा दण्डिक ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी है। संशोधित अनुबंध ने 14.01.2013 को किये गए अनुबंध का स्थान ले लिया।

V लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही

इससाई 10 सुझाव देता है कि साई के पास अनुवर्ती कार्यवाही हेतु स्वतंत्र पद्धतियां होनी चाहिएं जो यह सुनिश्चित कर सके कि लेखापरीक्षित संस्थाओं ने उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों को उचित ढंग से समझा है और उन पर सुधारात्मक कार्यवाही कर ली गई है। लेखा और लेखापरीक्षा विनियम 2007 में यह प्रावधान है कि संबंधित विभाग के सरकार के सचिव अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) जो पीएसी/कोपू के प्रस्तुतीकरण हेतु, लेखापरीक्षा में शामिल नहीं है, पर की गई स्व व्याख्यात्मक कार्यवाही टिप्पणी (टिप्पणियों) तैयार करेगा। कार्यवाही टिप्पणी दर्शाती है कि क्या

- लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिये गये तथ्य और आंकड़ें स्वीकार्य हैं;
- लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताई गई वे परिस्थितियां जिनमें अनियमितताएं हुई;
- दायित्व निर्धारण हेतु की गई कार्यवाही और कार्यवाही को पूरा करने हेतु संभावित समय सीमा;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों और सिफारिशों पर प्रस्तावित या की गई कार्यवाही; और
- भविष्य में ऐसे मामलों के घटित होने से बचने के लिए प्रस्तावित या की गई उपचारात्मक कार्यवाही।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2014 तक की गई कार्यवाही टिप्पणी की स्थिति दर्शाती है:

	31 मार्च 2014 के अंत तक प्रतीक्षित एटीएन	वर्ष के दौरान निपटाये गये एटीएन
संघ स्तर	1014	1196
राज्य स्तर	11405	1089
कुल	12419	2285

अध्याय 4

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ – लेखा एवं हकदारी

सविधान का अनुच्छेद 149 संघ तथा सरकार के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ निर्धारित करता है। वर्तमान रूप से हम राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और तैयार करने, जीपीएफ लेखाओं के रखरखाव एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, मासिक सिविल लेखे, वित्त लेखे और विनियोग लेखे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। 2013-14 के दौरान इस स्कंध के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र और उपलब्धियों की चर्चा नीचे की गई है:

I नवप्रवर्तन तथा पहल

पीएजी(ए एवं ई) ओडिशा

1. **ई-समाधान**: एजी तथा राजकोष दोनों में लेखांकन गतिविधियों के कम्प्यूट्रीकरण के मद्देनजर राज्य सरकारों के सहयोग से मानवीय समाधान के स्थान पर विभागीय आँकड़ो के ई-समाधान की शुरूआत की जा रही है। यह व्यय का समय पर समाधान सुनिश्चित करेगा।

2. **जीपीएफ ई-विवरण** (ए) 3.10.2013 को ओडिशा राज्य सरकार के सभी अभिदाताओं के जीपीएफ ई-विवरण तथा पुश एसएमएस सेवा प्रांरभ की गई है, जो एजी (ए एवं ई) कार्यालय की वेबसाईट http://www.agodisha.gov.in. के माध्यम से उपलब्ध है। अभिदाता पंजीकरण के पश्चात विवरण देख/डाउनलोड/प्रिंट कर सकता है। इसके अलावा अभिदाता इस कार्यालय द्वारा उनके अंशदान अथवा आहरण पोस्ट करते ही एसएमएस के माध्यम से अपनी मासिक अपडेट प्राप्त कर सकता है। अभिदाताओं के पक्ष में कोई प्रत्यक्ष लेखा विवरण जारी किये जाने की आवश्यकता नही है। इस सुविधा के साथ अभिदाता मासिक आधार पर जीपीएफ शेष की जानकारी प्राप्त सकता है जो पहले केवल वर्ष के अन्त में ही संभव थी। एक अतिरिक्त सुविधा

के रूप में डीडीओ को भी विवरणों की सत्यता की जाँच करने के लिए उनके भुगतान नियंत्रण के अधीन अभिदाताओं के खाते को देखने/डाउनलोड/प्रिंट करने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सुरक्षा उपाय के रूप में विवरणों में उन पर चिपकाए गए स्कैन किए गए हस्ताक्षर भी हैं। 2013-14 के लिए वार्षिक डाटा 30.06.2014 को अपलोड किया गया था, जो प्रत्येक वर्ष मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य तिथि से एक महीना पहले हैं।

3. **पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर का अंकरूपण:** पुराने पीपीओ रजिस्टर नष्ट होने की स्थिति में हैं। अत: 1998 तक के मैनुअल पेंशन डाटा का अंकरूपण करने के लिए एक सेल गठित की गई है जो इन पेंशन रजिस्टरों में नोट हैं। यह लगभग 1.7 लाख हैं। कार्य प्रगति पर हैं तथा दिसम्बर 2015 की समाप्ति तक पूरा होने के लिए निर्धारित है।

4. **एचबीए का इलैक्ट्रोनिक डाटाबेस:** एलटीए (एचबीए) अवधि के कम्प्यूट्रीकरण से पहले कर्जदार विवरणों की पहचान एक कठिन कार्य था क्योंकि बहुत सारे मैनुअल ब्रॉडशीट्स का संदर्भ लेना पड़ता था। इन कठिनाईयों से निपटने के लिए एचबीए का एक इलैक्ट्रानिक डाटाबेस निर्मित किया जा रहा है। इसी प्रकार एचबीए विवरणों के पूरा होने के बाद एमसीए विवरण भी लिए जाएगें।

एजी (ए एवं ई)-I उत्तर प्रदेश

1. इच्छुक अभिदाताओं को **एसएमएस अलर्ट सेवा** के माध्यम से उनके जीपीएफ खाते की नवीनतम स्थिति प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

2. कार्यालय में प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों, अन्तिम भुगतान/**समाधान मामलों की स्थिति ऑनलाईन** जानी जा सकती है।

3. सर्वर की धीमी गति की समस्या सुलझाने के लिए **जीपीएफ साफ्टवेयर** को 8(i) से 11 (जी) में अपग्रेड किया गया है।

4. **एफपी माडयूल** कार्यन्वित किया गया है तथा सभी अन्तिम भुगतान/समाधान मामले इसके माध्यम से संबंधित किये जा रहें हैं।

एजी (ए एवं ई) त्रिपुरा

1. **पंजीकृत अभिदाताओं को एसएमएस:** कर्मचारी एसएमएस सुविधा के माध्यम से मासिक जमा, आहरण, वार्षिक स्थिति तथा अथ एवं अन्त: शेष के अद्यतित विवरण प्राप्त करते हैं।

2. **ऑनलाईन जीपीएफ सूचना:** अभिदाता इस कार्यालय द्वारा उन्हें आवंटित पिन तथा जीपीएफ खाता संख्या का प्रयोग करके वार्षिक जीपीएफ विवरण की हार्ड कॉपी ऑनलाईन देख तथा ले सकते हैं।

3. **ऑनलाईन जीपीएफ अन्तिम भुगतान सूचना:** अन्तिम भुगतान हेतु आवेदन करने वाले सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को जीपीएफ अन्तिम भुगतान प्रक्रिया से अद्यतित सूचना ऑनलाईन प्रसारित की जाती है।

4. **पेंशन धारको को एसएमएस:** जो अपने पेंशन प्रस्तावों के साथ मोबाईल नम्बर उपलब्ध करा रहें हैं, वे अपने मोबाईल पर अपने संसाधित पेंशन मामलों की स्थिति प्राप्त कर रहें हैं।

5. **वेब आधारित ऑनलाईन शिकायत पंजीकरण प्रणाली:** एजी द्वारा संपादित किसी हकदारी कार्य (जीपीएफ एवं पेंशन) से शिकायत रखने वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाईन अभिलिखित कर सकता है।

एजी (ए एवं ई) पश्चिम बंगाल

1. छह क्षेत्रों अर्थात एआईएस अधिकारी, यूजीसी/एआईसीटीई, राज्यपाल/मंत्री/ व्यक्तिक स्टाफ, केरल पीएससी सदस्य, न्यायपालिका इत्यादि में फैले राज्य सरकार के लगभग 50000 सरकारी राजपत्रित अधिकारियों के हकदारी कार्यों की देखभाल के लिए, एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) द्वारा विकसित जीईएमएस (राजपत्रित हकदारी प्रबंधन प्रणाली) से वेतन पर्चियाँ सृजित की जाती हैं। साफ्टेवयर कार्यान्वयन फरवरी 2013 से क्षेत्र वार प्रारंभ किया गया था। वेतन छुट्टी तथा पेंशन मामलों को संसाधित करने के लिए माडयूलों के अतिरिक्त राजपत्रित हकदारी लाभों के संदर्भ में नियमों, महत्वपर्ण सरकारी आदेशों परिपत्रों तक आसान पहुँच रखने के लिए स्टैटिक रैफरेन्स माडयूल भी उपलबध कराया गया हैं। वाउचर पोस्टिंग माडयूल

का विकास तथा परीक्षण अभी पूरा हुआ है तथा इस माडयूल में प्रक्रिया इस वर्ष के अन्त तक प्रारंभ होने की आशा हैं।

2. जीईएमएस की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता राज्यसरकार के एसएमएस मार्ग के माध्यम से राजपत्रित अधिकारियों के साथ एसएमएस संचार हेतु प्रावधान है। यह सुविधा औपचारिक रूप से 26 दिसम्बर 2013 को हमने भारत के माननीय सीएजी के दौरे के दौरान प्रांरभ की थी।

पीएजी (ए एवं ई) कर्नाटक

निधि समूह

1. ओरेकल 8 आई से ओरेकल प्लेटफार्म 11 जी में लेखाओं का स्थान्तरण 2013-14 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

2. तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजों अर्थात फॉक्सप्रो, ओरेकल 8 आई डाटाबेस का ओरेकल 11 जी में एकीकरण अन्तिम चरण में है।

II हमारा लेखा निष्पादन

II ए लेखा स्कंध के लिए कार्ययोजना

राज्य के एजी (ले. व हक.) निर्धारित समय-सीमा के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:

1. मासिक सिविल लेखे;
2. वित्त एवं विनियोग लेखे;
3. एक दृष्टि में लेखे;
4. व्यय की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट;
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी वार व्यय ऑकड़े, चेतावनी पर्ची; और
6. अनुदानवार अधिक व्यय।

इन दस्तावेजों के समय पर प्रतिपादन और प्रस्तुतीकरण पर क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर मॉनीटरिंग की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजकोषों की प्रणाली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही है, राजकोष निरीक्षण भी किये जा रहें हैं। मुख्यालय स्तर पर भी इन सभी गतिविधियों की निगरानी की जा रही हैं तथा डीएआई (जीए) स्तर पर त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट (केआरए) के माध्यम से संबंधित पी/एजीज को उपयुक्त टिप्पणियाँ सूचित की जाती हैं।

II बी समयबद्धता

आईएएडी के 27 लेखा कार्यालयों को राज्य सरकारों को मासिक लेखे प्रस्तुत करना था। हालांकि 16 लेखा कार्यालयों ने समय पर मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत किए जबकि 11 लेखा कार्यालयों द्वारा मासिक सिविल लेखे देरी से प्रस्तुत किए गए। वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत 351 मासिक सिविल लेखाओं में से, 250 लेखे समय पर प्रस्तुत किये गए थे, जबकि 101 लेखे विलम्बित थे। देरी करने वाले मुख्य लेखा कार्यालयों मे नौ पूर्वोत्तर राज्य, तीन राज्य केंद्रीय क्षेत्र से थे जो राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली यूनिटों के कोषागारों/मण्डलों/अन्य लेखाओं से लेखाओं की विलम्बित प्राप्ति, स्टाफ की कमी, साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की तकनीकी समस्याओं तथा कठिन/खराब सड़क सम्बन्धता के कारण से थे।

II सी पूर्णता

प्रस्तुत किए गए 97.17 *प्रतिशत* मासिक सिविल लेखे सभी पहलुओं से पूर्ण थे। 27 में से 23 लेखा कार्यालयों ने राज्य सरकारों को पूर्ण मासिक लेखे प्रस्तुत किए थे। चार लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए मासिक लेखे अपूर्ण थे क्योंकि कोषागारों आदि से लेखाओं की देर से प्राप्ति के कारण कोषागारों को मासिक लेखाओं से अलग कर दिए गए थे।

II डी राज्य सरकारों को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखों में देरी के प्रस्तुतीकरण के कारण

लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब के मुख्य कारण कोषागारों/मंडलों तथा राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली यूनिटों द्वारा देरी से लेखे की प्राप्ति, कर्मचारियों की कमी और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में तकनीकी समस्याएं थीं। कोषागारों द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में देरी का कारण कभी-कभी खराब और दुर्गम सड़क मार्ग भी हैं। लेखे से कोषागारों/डिविजनों को अलग रखने का कारण लेखाओं की देरी से प्राप्ति था।

III कोषागार निरीक्षण

कोषागार का निरीक्षण यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि कोषागार निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच का पालन कर रहे हैं। एजी (ले व हक) राज्य सरकार के लेखें का संकलक और तैयार करने वाले रहा है, जो कोषागारों में आंतरिक नियंत्रक तंत्र की जांच करता है। कोषागारों के निरीक्षण करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोषागारों द्वारा प्रारंभिक लेखे को तैयार करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णत: अनुपालन और विभिन्न जांच की जाती है।

कोषागारों के साथ-साथ उप कोषागारों के स्तर पर निरीक्षण किया जाता है। हमने 99.53 *प्रतिशत* नियोजित कोषागार/उपकोषागार का निरीक्षण किया। राज्य सरकारों ने हमारी 59.76 *प्रतिशत* सिफारिशें मान ली जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टें	की गई सिफारिशें	मान ली गई सिफारिशें
कोषागार	1078	1079	1053	1444	863
उप कोषागार	1049	1038	848	-	-
कुल	**2,127**	**2,117**	**1,901**	**1444**	**863**

III ए 2013-14 के दौरान कोषागार निरीक्षणों के मुख्य निष्कर्ष

हमने अबस्ट्रेक्ट कन्टिन्जेन्ट (एसी) बिलों/डीसी बिलों के उदाहरणीय विलम्ब/गैर प्रस्तुति, पेंशन लाभों का अधिक भुगतान, पेंशन जाँच रजिस्टर तथा बैंक डाटा के बीच मेल ना होना, ग्रेचुईटी भुगतान आदेशों मे दर्शायी गई विभागीय देयताओं का अधिक भुगतान, अयोग्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अनियमित/अधिक भुगतान, निर्धारित समयावधि में जीपीएफ अन्तिम भुगतान अधिकारों का भुगतान ना करना, सरकारी प्राप्तियों को राज्य की समेकित निधि के बजाए व्यक्तिगत लेजर खाते में क्रेडिट करना, जीपीएफ खातो के अन्तिम ब्याज की गणना में माईनस शेष को निकालने के लिए प्रणाली में प्रावधान ना होना, जीपीएफ शेषों के संबंध में माईनस शेष पर दाण्डिक ब्याज की गणना हेतु प्रावधान ना होना आवास किराये की वसूली ना होना, वर्ष के अन्त में व्यय की अधिकता, 3 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े व्यक्तिगत जमा लेखाओं में शेष को राजस्व जमा में क्रेडिट ना करना, आवश्यकता से अधिक स्टाम्पों का भण्डारण इत्यादि उदाहरण हेतु राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन में विचलन देखे। ऐसे सभी मामलों को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था।

IV हकदारी कार्यों से संबंधित हमारा निष्पादन

IV ए निपटाए गए पेंशन मामले

आईएएण्डएडी में 19 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा पेंशन प्राधिकार जारी किया जाता है। इन कार्यालयों ने 4,69,393 पेंशन और संशोधन मामले निपटाए। मामलों को निपटाने में लिया गया औसत समय 25 दिनों (आँध्रप्रदेश तथा मेघालय) से 65 दिनों (त्रिपुरा) के बीच था। जबकि 12 कार्यालयों में पेंशन मामलों की प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं था, बाकी कार्यालयों में 3 दिनों से 15 दिनों के बीच औसत विलम्ब था। संशोधन मामलों की अधिक प्राप्ति, विभागों से उत्तर/स्पष्टीकरण की देर से प्राप्ति, वर्ष के अन्त में नये पेंशन मामलों का अधिक प्रवाह, स्टाफ की कमी पेंशन मामलों के संसाधन में विलम्ब के लिए कुछ कारण थे।

IV बी सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रखरखाव

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में लेखा एवं हकदारी कार्यालय राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (जीपीएफ) के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2013-2014 के दौरान हमने 23 ले.व हक. कार्यालय के माध्यम से 37,71,013 जीपीएफ खातों का रख रखाव किया। 36,42,984 जीपीएफ खातों के संबंध में अर्थात् 96.6 *प्रतिशत* लेखा पर्चियां समय से जारी की गई थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुरक्षित जीपीएफ लेखाओं की संख्या	समय पर जारी की गई लेखा पर्चियों की संख्या
37,71,013	**36,42,984**

V ग्राहक शिकायतों का समाधान करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय/उठाए गए नये कदम

हम अपने ग्राहकों को निश्चित समय के अन्दर सेवाएं प्रदान करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं। हम इस प्रयास में उनके सहयोग की अपेक्षा से पणधारकों के साथ बातचीत करते हुए पर्याप्त सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहे हैं। इस सेक्शन में कुछ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा किए गए पहल का वर्णन किया गया है।

V ए महाराष्ट्र-I:

जीपीएफ अन्तिम भुगतान अनुज्ञप्ति तथा पत्राचार हेतु अवधारित, विकसित एवं स्वचालित कार्य प्रवाह आधारित जीपीएफ हकदारी प्रबंन्धन प्रणाली (जीईएमएस), कार्यालय वेबसाईट पर जीपीएफ पर्ची डाउनलोड करने की आयोजित सुविधा तथा अभिदाताओं और पेंशनरों को जीपीएफ एवं पेंशन की अनुज्ञप्ति की सूचना देने हेतु एसएमएस सेवा तथा जीईएमएस के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कार्य में गुणवत्तात्मक सुधार एवं एमआईएस रिपोर्टों के माध्यम से कार्य की प्रगति/लम्बन की प्रभावशाली निगरानी के परिणामस्वरूप समय पर सुधारात्मक कार्यवाही हुई है। वाउचर विवरण कैप्चर करते समय जीपीएफ पोस्टिंग के एकीकरण के परिणामस्वरूप पार्ट वान्ट/फुल वान्ट मदो में संचयन मे काफी कमी हुई है। आईएफएमएस: इलैक्ट्रानिक पेंशन पेपर डाटा की प्राप्ति हेतु विकसित इन्टरफेस

तथा साई पेंशन एप्लीकेशन के साथ इसका एकीकरण राज्य सरकारों से इलैक्ट्रानिक पेंशन डाटा प्रतीक्षित है।

कम्प्यूटीकरण अवधि अर्थात 1993-94 से पहले के लगभग 25 लाख पृष्ठों के सभी लेजर कार्डों का अंकरूपण प्रारंभ किया गया है।

सीसीओज/डीडीओज हेतु व्यय के ऑनलाईन समाधान हेतु कार्यालय वेबसाईट पर एक सुविधा विकसित की गई है।

एसी/डीसी बिलों के आयोजन, गुम हुए क्रेडिट/पोस्ट ना किये गए जीपीएफ अंशदान द्वारा अन्य अग्रसक्रिय उपाय किये गए हैं।

V बी महाराष्ट्र-II:

इस अवधि के दौरान, जिला आयुक्त के साथ सहयोग से आयुक्तालय नान्देड़, वर्दा, प्रभानी, अमरावती तथा औरंगाबाद में पाँच पेंशन अदालत कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद नागपुर के सहयोग से सभी 19 जिलों के शिक्षा अधिकारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इन कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने पहले ए जी कार्याल्य में पूर्ण अवस्था में पेंशन मामले प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ओडियों विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से स्थानीय भाषा (मराठी) में पेंशन मामले तैयार करने तथा ए जी कार्यालय में इनकी प्रस्तुति की कार्यप्रणाली की विस्तार से व्याख्या की गई थी।

आन्तरिक रूप से एक नया जीपीएफ अन्तिम भुगतान मॉड्यूल विकसित किया गया है। एफपी मामलों का सूचीकरण, ब्याज गणना तथा अन्तिम भुगतान अनुज्ञप्ति पहले से मुद्रित लेखन सामग्री पर वीएलसी जीपीएफ प्रणाली से सृजित की जा रही है।

V सी हरियाणा:

दो दिन में शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत सेल महालेखाकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है तथा शिकायतें पणधारक की पूरी संतुष्टि तक अन्तिम निपटान पर ही निपटान की गई हैं। जिसके परिणास्वरूप शिकायतों की प्राप्ति नगण्य ही हैं।

6 महीने के भीतर सेवानिवृत होने वाले अभिदाताओं की सूची पहले ही विभाग को भेजी गई है ताकि वे जीपीएफ अन्तिम भुगतान का मामला भुगतान से पहले ही भेज सकें।

अन्तिम भुगतान मामलों की अनुज्ञप्तियाँ लगभग 70 प्रतिशत मामलों में सेवानिवृति से काफी पहले ही जारी की गई हैं। 98 प्रतिशत मामलों में भुगतान पूरे मामले की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर अधिकृत किये गए हैं।

अन्तिम भुगतान मामलों की स्थिति वेबसाईट पर अद्यतित की जा रही है।

V डी त्रिपुरा:

कार्यालय राज्य सरकार कर्मचारियों को प्रसारित कर रहा है (i) पंजीकृत अभिदाताओं को एसएमएस जहाँ कर्मचारी एसएमएस सुविधा के माध्यम से मासिक जमा, आहरण, वार्षिक स्थिति तथा अथ एवं अन्त जहाँ शेष के अद्यतित विवरण प्राप्त करते हैं। (ii) ऑनलाईन जीपीएफ सूचना जहाँ अभिदाता इस कार्यालय द्वारा उन्हें आबन्टित पिन तथा जीपीएफ खाता संख्या का प्रयोग करके वार्षिक जीपीएफ विवरण की हार्ड कॉपी ऑनलाईन देख तथा ले सकते हैं। (iii) ऑनलाईन जीपीएफ अन्तिम भुगतान सूचना जहाँ अन्तिम भुगतान हेतु आवेदन करने वाले सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को जीपीएफ अन्तिम भुगतान प्रक्रिया से अद्यतित सूचना ऑनलाईन प्रसारित की जाती है। (iv) पेंशन धारको को एसएमएस जहाँ जो अपने पेंशन प्रस्तवों के साथ मोबाईल नम्बर उपलब्ध करा रहें हैं, वे अपने मोबाईल पर अपने संसाधित पेंशन मामलों की स्थिति प्राप्त कर रहें हैं। (v) वेब आधारित ऑनलाईन शिकायत पंजीकरण प्रणाली जहाँ एजी द्वारा संपादित किसी हकदारी कार्य (जीपीएफ एवं पेंशन) से शिकायत रखने वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाईन अभिलिखित कर सकता हैं।

V ई उत्तराखण्ड:

मई 2013 में विकसित जीपीएफ इन्टरफेस जो कार्यालय की एक बड़ी उपलब्धि है। जीपीएफ इन्टरफेस राज्य सरकार डाटाबेस से रीड ओनली एक्सेस हेतु प्रयुक्त होता हैं।

जीपीएफ इन्टरफेस प्रयोग करने के लाभ : (i) कार्य करने की तेज गति (ii) सटीकता में वृद्धि (iii) पार्टवान्ट/फुल वान्ट की कमी (iv) पोस्ट ना किये गए मदों की कमी (v) गुम हुए क्रेडिटों की कमी (vi) मानवीय डाटा प्रविष्टि की और आवश्यकता नही हैं (vii) अनुसूचियों की प्राप्ति में विलम्ब का कार्य की गति पर कोई बुरा प्रभाव नही हैं।

कार्य वेबसाईट पर व्यय के ऑनलाईन समाधान हेतु व्यय के ऑनलाईन समाधान के लिए सीसीओज/डीडीओज के लिए एक सुविधा विकसित की गई है।

V एफ कर्नाटक:

निधि समूह में ओरेकल 8 आई से ओरेकल 11 जी में लेखाओं का स्थानान्तरण 2013-14 के दौरान पूरा था तथा तीन अलग अलग साफ्टेवयर पैकेजों अर्थात् फॉक्सप्रो, ओरेकल 8 आई डाटाबेस का ओरेकल 11 जी में एकीकरण अन्तिम चरण में हैं।

जीई समूह में, जीई कार्यप्रणाली का कम्प्यूटीकरण पीएजी (ए एवं ई) केरल के कार्यालय से एनआईसी द्वारा विकसित जीईएमएस साफ्टेवयर को कस्टमाईज करके प्रांरभ किया गया है।

कार्यालय वेबसाईट और संबंधित राज्य सरकार के एचआरएमएस पर इस समूह द्वारा दी गई राजपत्रित अधिकारियों के शेष अवकाश के ब्यौरे होस्ट करने के लिए कार्यवाही।

V जी मेघालय:

पेंशन धारक की शिकायतों (यदि कोई हैं) का पेंशन ऑनलाईन शिकायत सेल के शाखा अधिकारी/समूह अधिकारी द्वार सीधें ही समाधान किया जाता है। कार्यालय

भवन के प्रथम तल पर एक शिकायत पेटिका रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त समूह अधिकारी प्रत्येक वीरवार को पण धारको की शिकायतें व्यक्तिगत रूप से सुनता हैं जिसके परिणामस्वरूप कोई शिकायत नहीं हैं तथा पण धारक संतुष्ट हैं।

राजपत्रित, पेंशन तथा जीपीएफ कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए कार्यालय ने पेंशन जीपीएफ तथा वेतन पर्ची मसलों के संपादन की स्थिति मासिक आधार पर कार्यालय वेवसाईट पर होस्ट करना प्रारंभ किया हैं। प्रत्येक कार्य के तहत तीन स्थिति रिपोर्ट होस्ट की जाती हैं। पहली रिपोर्ट ब्यौरों के साथ जैसे प्राप्ति की तिथि, अन्तिम रूप देने की तिथि, संग्रह की तिथि इत्यादि के साथ महीने के दौरान अन्तिम रूप दिए गए मामलों के बारे में हैं। ये विवरण उपलब्ध करा कर यह सुनिश्चित किया जाता हैं कि मामले प्रेषित हो गए है तथा ग्राहक अपने मामलों का पता करने में सक्षम है। दूसरी रिपोर्ट में वे मामले शामिल हैं जो सूचना/विभाग की कमी के कारण कार्यालय/विभाग को वापस भेज दिए गए हैं। इससे संबंधित ग्राहक अपने मामलों की स्थिति से अवगत होने में सक्षम हुए हैं तथा अपने संबंधित कार्यालय में अपने मामलों का अनुसरण करने में भी सक्षम हुए हैं। तीसरी सूची में मामलों की एक सूची शामिल है जो प्रक्रिया के अधीन हैं।

V एच छत्तीसगढ़:

कार्यालय ने इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाईट में वर्ष 2013-14 के दौरान तथा पिछले 11 वर्षों के लिए अभिदाताओं की जीपीएफ खाता पर्ची चढाई हैं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रति दोनों, जीपीएफ अभिदाताओं को उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि प्रत्येक अभिदाता जीपीएफ में अपने शेष को तुरंत जान सके तथा अपनी आवश्यकतानुसार इसे डाउनलोड कर सके।

कार्यालय ने अभिदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाईन शिकायत निपटान प्रणाली की शुरूआत की है जिससे वे जीपीएफ संबंधी समस्याओं के निपटान के लिए इस कार्यालय को सीधे ही संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यालय द्वारा ऐसी शिकायतों का निपटान प्राथमिक आधार पर किया जा रहा है तथा एक महीने के अन्दर शिकायतों का उत्तर दिया जा रहा है।

इस कार्यालय द्वारा अपनाए गए उपरोक्त उपायों के कारण, शिकायतों की संख्या काफी कम हो गई है।

V आई उत्तर प्रदेश-I:

निधि विंग में, इच्छुक अभिदाताओं को एसएमएस अलर्ट सेवा के माध्यम से उनके जीपीएफ खाते की नवीनतम स्थिति प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस कार्यालय में प्राप्त ऑनलाईन शिकायतों, अन्तिम भुगतान/समाधान मामलों की स्थिति ऑनलाईन पता की जा सकती है। एफपी मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है तथा अन्तिम भुगतान/समाधान के सभी मामले इसके माध्यम से संसाधित किये जा रहे हैं।

V जे नागालैण्ड:

साई पेंशन पैकेज कार्यान्वयन ने इस कार्यालय में पेंशन धारकों को ऑनलाईन शिकायत पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध कराया हैं। शिकायतें शाखा अधिकारी एवं समूह अधिकारी की ई-मेल आईडी के माध्यम से समायोजित/प्राप्त की जा रहीं हैं। यह पेंशन के लिए आईसीटी आधारित शिकायत निपटान समाधान है। जीपीएफ तथा जीई अनुभागों के लिए सार्वजनिक शिकायत सेल समूह अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत स्थापित किया गया है जहाँ जीपीएफ तथा वेतन पर्ची की सेवाओं से संबंधित शिकायतें/आरोप प्राप्त किये जाते हैं।

V के असम:

एक पीआरजी सेल खोला गया है जहाँ पेंशन धारकों/परिवार पेंशन धारकों को उनके पेंशन/परिवार पेंशन मामलों तथा अन्य हकदारी संबंधित शिकायतों की स्थिति उपलब्ध कराई जाती है। पेंशन/परिवार पेंशन/जीपीएफ के अन्तिम भुगतान की माह-वार निपटान स्थिति अगस्त 2013 से स्थानीय दैनिकों सहित सभी मुख्य समाचार पत्रों तथा कार्यालय की वेबसाईट में भी प्रकाशित की जा रही है। मासिक रूप से निर्धारित पेशनों तथा जीपीएफ के अन्तिम भुगतान के मामलें भी कार्यालय की वेबसाईट पर डाले जा रहें हैं। अनुपालन के ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा भी इस साईट पर उपलब्ध है। पेंशन मामलों/परिवार पेंशन मामलों को तेजी से

सुलझाने के लिए इन मामलों के प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश 28.02.2013 को सभी आयुक्तों तथा विभागाध्यक्षों को भेजे गए हैं तथा 12.03.2014 को असम ट्रिब्यून समाचारपत्र में प्रकाशित किये गए हैं।

गुम हुए क्रेडिटों की मंजूरी की प्रक्रिया के बारे में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कोषागार अधिकरियों, तथा असम सरकार के जीपीएफ अंभिदाताओं को सूचित करते हुए 22.07.2014 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

V एल केरल:

छह क्षेत्रों अर्थात एआईएस अधिकारी, यूजीसी/एआईसीटीई, राज्यपाल/मंत्री/ व्यक्तिक स्टाफ, केरल पीएससी सदस्य, न्यायपालिका इत्यादि में फैले राज्य सरकार के लगभग 50,000 सरकारी राजपत्रित अधिकारियों के हकदारी कार्यों की देखभाल के लिए, एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) द्वारा विकसित जीईएमएस (राजपत्रित हकदारी प्रबंधन प्रणाली) से वेतन पर्चियाँ सृजित की जाती हैं। साफ्टेवयर कार्यान्वयन फरवरी 2013 से क्षेत्र वार प्रारंभ किया गया था।

वेतन, अवकाश और पेंशन मामलों के संसाधन के लिये मोड्यूल के अतिरिक्त राजपत्रित पात्रता लाभ के संदर्भ में उचित नियमों, महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों, परिपत्रों तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिये भी स्थाई संदर्भ मॉड्यूल है। जीईएमएस के अन्य महत्वपूर्ण सुविधा राज्य सरकार के एसएमएस गेटवे के माध्यम से राजपत्रित अधिकारियों को एसएमएस संचार का प्रावधान है। यह सुविधा 26 दिसम्बर, 2013 को माननीय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दौरे के दौरान औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। यद्यपि, लाभ सभी राजपत्रित अधिकारियों की मोबाइल संख्या उपलब्ध न होने के कारण अब केवल सीमित संख्या के अधिकारियों तक सीमित है।

V एम. पश्चिम बंगाल:

1.4.2013 से पार्टी के लाभ के लिये 3 वर्ष की राजकोष निरीक्षण रिपोर्ट की प्रविष्टि सहित प्रत्येक राजकोष निरीक्षण पार्टी को लैपटॉप प्रदान किये गये हैं। राजकोष

अधिकारियों के साथ वार्षिक बैठक शुरू की गई। उठाये गये सक्रिय कदम हैं (i) राज्य सरकार के वित्त विभाग और निदेशालय राजकोष और लेखा के साथ बैठक (ii) राजकोष अधिकारियों के समक्ष मामला उठाने के लिये विशेष राजकोष निरीक्षण पार्टी का गठन (iii) 21.6.2013 को आयोजित एंट्री कांफ्रेंस में मुद्दे को उठाना और (iv) विभाग के साथ विडियों क्रांफ्रेस करना।

सभी अनुभागों को साई पेंशन परियोजना के दायरे में लाया गया। इसके परिणामस्वरूप सिंगल विंडो से पेंशनभोगियों के लिये जानकारी का प्रसार हुआ और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले की बेहतर निगरानी हुई।

अध्याय 5

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानक में परिकल्पना है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रणाली होनी चाहिए। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों के लिए व्यावसायिक मानकों और पद्धतियों दोनों के महत्व के बारे में सतर्क हैं। यह सभी व्यवसायियों द्वारा असमान परिस्थितियों में अनुकरणीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और उस सीमा तक गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के लिए बेंचमार्क का कार्य करता है।

I सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की थी। गसब का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने में गुणवत्ता को बढाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदनों में सुधार के मद्देनजर लेखाकरण मानकों का निरूपण और सिफारिश करना है। गसब में सरकार(केन्द्रीय और राज्य), व्यावसायिक लेखाकरण संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक और अकादमी के बहुपक्षीय पणधारियों में से उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व वाले 16 सदस्य शामिल हैं।

गसब को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं:

- जवाबदेही तंत्रको बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदन के मानकों की स्थापना और सुधार करना;
- मानकों का निरूपण करना और प्रस्तावित करना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदनों की उपयोगिता को सुधारेगें;
- मानकों को अद्यतन रखना और शासकीय वातावरण में बदलाव को दर्शाना;
- मानकों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

- लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के विशेष क्षेत्रों पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है; और
- वित्तीय प्रतिवेदनों में निहित सूचना की प्रवृति और उद्देश्य की सामान्य समझदारी में सुधार करना।

रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) कहा जाता है और यह सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के विधानमण्डल द्वारा अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं। प्रोदभूत आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार वित्तीय प्रतिवेदन मानक (आईजीएफआरएस) कहा जाता है और यह गसब द्वारा अनुमोदित तिथि से पायलट अध्ययन के लिए सिफारिशकर्ता बन गई। पणधारियों के परामर्श से विकसित मानक, संविधान के प्रावधानों के अनुसार विचार करने और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

Iक अधिसूचित आईजीएएस

मार्च 2014 तक, निम्नलिखित तीन आईजीएएस अधिसचूचित किए गए है:

- *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति* पर आईजीएएस 1: *प्रकटीकरण अपेक्षाएं,* सरकार द्वारा दिसम्बर 2010 में अधिसूचित की गई थी।
- *सहायता अनुदान* पर आईजीएएस 2: लेखाकरण और वर्गीकरण, को सरकार द्वारा मई 2011 में अधिसूचित किया गया था।
- *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम* आईजीएएस 3, सरकार द्वारा फरवरी 2012 में अधिसूचित किए गए थे।

Iख सरकार के विचाराधीन आईजीएएस

सरकार के विचाराधीन आईजीएएस और आईजीएफआरएस की सूची नीचे दी गई है:

- *विदेशी मुद्रा लेन-देन और विनियम दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ पर* आईजीएएस *7*

- *सरकार की अन्य देयताओं सार्वजनिक ऋण पर* आईजीएएस 10: *प्रकटीकरण अपेक्षाएं*
- आईजीएएस 9: *इक्विटी में सरकारी निवेश* (25 सितम्बर 2013 को आयोजित 29वीं बोर्ड बैठक के दौरान अनुमोदित)
- आईजीएएस: *नकद प्रवाह विवरण* (पुन: गिने जाने हेतु)

Iग सरकार के विचाराधीन आईजीएफआरएस

चार आईजीएफआरएस जिसको गसब द्वारा बनाया गया है और विचार हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया है; आरंभ में यह पायलट अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन देने के ***सुझावों*** के रूप में होगा और सरकार द्वारा उनकी अधिसूचना की तिथि से अनिवार्य होगा। बनाए गए आईजीएफआरएसज़ का विवरण निम्नलिखित है:

- आईजीएफआरएस 1: *वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण* (25 सितम्बर 2013 को आयोजित 29वीं बोर्ड बैठक के दौरान अनुमोदित)
- *संपत्ति, संयंत्र और उपकरण* पर आईजीएफआरएस 2
- *विनिमय लेन-देन से राजस्व* पर आईजीएफआरएस 3
- *इन्वेंटरी* पर आईजीएफआरएस 4
- *आकस्मिक परिसम्पत्तियों और आकस्मिक देयताओं* पर आईजीएफआरएस 5: *प्रकटीकरण अपेक्षाएं*

II लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और मार्गदर्शन:

IIक व्यवसायिक कार्य के लिये तकनीकी बोर्ड का गठन:

लेखांकन नीति और उनके क्रियान्वयन और लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सलाह देने के लिये व्यवसायिक कार्य के लिये तकनीकी बोर्ड का गठन किया गया है जो लेखापरीक्षण वातावरण में परिवर्तन; लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में विस्तार, आने वाली लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने पर जोर को ध्यान

में रखते हुये आवश्यक है। बोर्ड से मामले की चर्चा करने से पूर्व सभी पणधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगकर परामर्शक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

II ख लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबधन रूपरेखा (एक्यूएमएफ):

लेखापरीक्षण मानकों, विशेष रूप से इंटोसाइ लेखापरीक्षा मानक, एसोसाइ दिशानिर्देशों और लागू वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते समय गुणवत्ता प्रबंधन अर्थात नेतृत्व और निर्देश, नैतिक आवश्यकताऐं, मानव संसाधन प्रबंधन, लेखापरीक्षा निष्पादन, ग्राहक और पणधारक संबंध और निरंतर सुधार को ध्यान में रखने के लिये, एक्यूएमएफ जारी किया गया है।

II ग मार्गदर्शन नोट्स:

क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये और लेखापरीक्षा प्रक्रिया से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन नोट्स जारी किये गये थे:

- **लेखापरीक्षित संस्थाओं से बातचीत**

मार्गदर्शन नोट लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान बातचीत की स्थिति निर्धारित करता है। उद्देश्य लेखापरीक्षित संस्थाओं से व्यवसायिक कार्यकारी संबंध बनाये रखने और बनाना था, लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लेखापरीक्षित संस्थाओं की प्रभावी बातचीत और भागीदारी सुनिश्चित करना था।

- **लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गोपनीयता**

मार्गदर्शन नोट ने संसद/राज्य विधान मण्डलों में प्रस्तुत करने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लीकेज रोकने के लिये पालन किये जाने प्रोटोकॉल और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये मामले पर जोर दिया।

- **लेखापरीक्षा शब्दावलियों के प्रकार**

  मार्गदर्शन नोट लेखापरीक्षा जैसे वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रकार परिभाषित करने के लिये सही लेखापरीक्षा शब्दावली के प्रयोग के महत्व को उजागर करता है और व्यावसायिकता और स्पष्टता के लाभ के लिये, प्रतिवेदन की संरचना में या लेखापरीक्षा योजना बनाते समय लेखापरीक्षा या जिला लेखापरीक्षा पर आधारित सीसीओ, विषयक लेखापरीक्षा जैसी वैकल्पिक शब्दावली का प्रयोग कम करता है।

II घ इस्साई अनुपालन मूल्यांकन टूल (आईसीएटी):

विभाग ने सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक (इस्साई) को अपनाने का निर्णय लिया। इस्साई के विकास में भारत के सीएजी ने सक्रिय भागीदार के रूप में वर्ष 2013-14 के दौरान अपने निष्पादन लेखांकन कार्य और वित्तीय लेखांकन कार्य पर इस्साई निष्पादन मूल्यांकन किया।

इस मूल्यांकन के भाग के रूप में, निर्धारक ने आईसीएटी में निर्धारित मानदंड के प्रति विभाग में प्रचलित पद्धति की तुलना की। आईसीएटी के मूल्यांकन के निष्कर्ष संशोधित निष्पादन लेखांकन दिशानिर्देशों में और वित्तीय साक्ष्य लेखापरीक्षा दिशानिर्देश-राज्य सरकार लेखों में उचित रूप से बताये गये हैं।

II ड. एडीबी परियोजना के मानकीकृत टीओआर

विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के टीओआर के मानकीकरण के पश्चात् बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं (इएपी) की लेखपरीक्षा की प्रक्रिया संगत बनाने के भाग के रूप में, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखापरीक्षा के लिये टीओआर के माननकीकरण के मामले पर विचार किया गया। अब, सभी नई एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लेखापरीक्षा प्रमाणन मानकीकृत टीओआर में उपलब्ध प्रावधान को ध्यान में रखते हुये किया गया था।

III गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा प्रक्रिया का एक आवधिक मूल्यांकन है। इसका उद्देश्य साई को एक उचित आश्वासन प्रदान करना है कि साई का लेखापरीक्षा कार्य व्यावसायिक और लागू विधिक मानकों के अनुरूप है। गुणवत्ता आश्वासन व्यक्ति द्वारा दिया जाता हैं जो प्रक्रिया का भाग नहीं है जिनकी वे समीक्षा कर रहे है। इसे साई अथवा अन्य साई द्वारा आंतरिक रूप से किया जाना चाहिए। वर्ष 2011-12 में बाह्य पीअर रिव्यू किया गया और बाह्य पीअर रिव्यू टीम ने सितम्बर 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

IIIक आंतरिक पीअर रिव्यू

हम गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के भाग के रूप में लेखापरीक्षा कार्यालयों का पीअर रिव्यू भी करते हैं। ये ''पीअर रिव्यू के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन'' पर दिशा-निर्देशों द्वारा शासित किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में पीअर रिव्यू के लिए बचे 13 कार्यालयों में से 9 लेखापरीक्षा कार्यालयों की महानिदेशक/प्रधान महालेखाकारों द्वारा पीअर रिव्यू की गई थी। निरीक्षण विंग इन पीअर रिव्यू का समन्वय करता है। पीअर रिव्यू रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही संबंधित कार्यात्मक विंग द्वारा की जाती है।

IIIख अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्ष निरीक्षण

निरीक्षण विंग ने 3 वर्षीय चक्र में शाखा कार्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया और आईए एंड एडी के लेखापरीक्षा कार्यलयों का पीअर रिव्यू भी किया।

निरीक्षण

पिछले वर्ष निरीक्षण रिपोर्ट के फॉर्मेट और चैकलिस्ट/दिशानिर्देशों को दोनों लेखापरीक्षा और ए एंड ई कार्यालयों के संबंध में संशोधित किया गया था और इन लाइनों पर अब निरीक्षण किया जा रहा है। लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिये, रिपोर्ट 5

विभिन्न परिमाणों को कवर करती है अर्थात: कार्यालय निष्पादन, लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा पद्धति, गुणवत्ता नियंत्रण, पणधारक प्रबंधन, प्रबंधन और सहायता संरचना। ए एंड ई कार्यालयों के लिये, रिपोर्ट कार्यालय निष्पादन, लेखे, निधि, पेंशन और जीई विंग, प्रशिक्षण, पणधारक प्रबंधन/संचार प्रबंधन और सहायक संरचना और प्रशिक्षण संस्थानों के लिये कार्यालय निष्पादन, प्रशिक्षण, छात्रावास सुविधा, प्रबंधन और सहायता संरचना कवर करती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 31 मुख्य कार्यालयों (ए एंड ई-16, लेखापरीक्षा-4, केन्द्रीय-2, सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-1 और प्रशिक्षण संस्थान-8) का 275 पार्टी दिनों का प्रयोग करते हुये निरीक्षण किया गया था।

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	की गई सिफारिशों की संख्या	अगस्त 2013 तक कार्यान्वित सिफारिशों की संख्या	अनुपालन की प्रतिशतता
33	31	1639	686	42

अध्याय 6

हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

इससाई 10 निर्धारित करता है कि साई के पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त मानव, सामग्री और मौद्रिक संसाधन होने चाहिए। उन्हें अपने बजट का प्रभावी रूप से प्रबंधन और उसे उचित रूप से आवंटित करना चाहिए।

I हमारा वित्तीय प्रबंधन

हमने 2013-2014 में ₹ 2921.56 करोड़ खर्च किया। घटकवार व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

I क व्यय के घटक

हमने अपने संसाधनों का 87.13 *प्रतिशत* 'वेतन' और पारिश्रमिक तथा 4.46 *प्रतिशत* 'यात्रा' पर व्यय किया। इस प्रकार कुल व्यय 91.59 *प्रतिशत* सीधे हमारे मानव संसाधन पर खर्च हुआ।

(₹ करोड़ में)

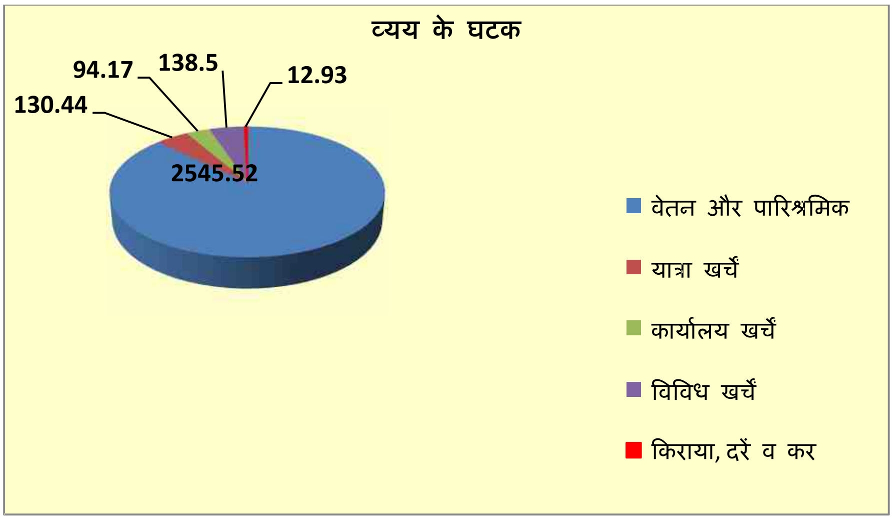

I ख कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट को छोड़कर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग पर किये गये समग्र व्यय वोटेड है। सिविल लेखा कार्यालयों के बाद सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों ने सबसे अधिक व्यय किया। हमने कुल 61.61 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा पर खर्च किया (मुख्यालय छोड़कर)। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 33.77 *प्रतिशत* था।

कार्यालयों की श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की *प्रतिशतता*
मुख्यालय कार्यालय	95.12	3.26
विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय	24.57	0.84
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	1,357.26	46.46
डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	85.74	2.93
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	160.08	5.48
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	58.58	2.01
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	113.69	3.89
एनएएए शिमला	10.46	0.36
आईसीआईएसए, नोएडा	1.71	0.06
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान	14.75	0.50
विभागीय कैंटीन	11.61	0.40
सिविल लेखा कार्यालय	986.71	33.77
यूएन लेखापरीक्षा	1.28	0.04
जोड़	**2921.56**	**100**

I ग लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का आवंटन

> ***लेखापरीक्षा कार्यों पर लेखापरीक्षा के लिए बजटीय आवंटन***
>
> *बजट किए गए प्रत्येक एक लाख रूपये के लेनदेन (राजस्व और व्यय) में से लेखापरीक्षा के लिए केवल ₹ 33 ही आवंटित किए गए थे।*

2013-14 के दौरान संघ और राज्य सरकारों के ₹ 55,28,022.62 करोड़ के संयुक्त बजटीय राजस्व और व्यय के प्रति लेखापरीक्षा करने के लिए कुल बजट ₹ 1,805.088 करोड़ था। प्रतिशतता के रूप में स्पष्ट करते हुए 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा पर व्यय संघ और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय का कुल भाग 0.033 *प्रतिशत* था। व्यय के उपरोक्त आंकडों में केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेन देन, स्वायत्त निकायों, पर्याप्त मात्रा में सरकारी अनुदानों द्वारा वित्तपोषित निकायों, ऋणों और संघ और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के लेन देन, जिनकी लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है को शामिल नही किया गया है।

II हम अपने मानव संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। इससाई 40 निर्धारित करता है कि साई को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए कि उसके पास अपना कार्य प्रभावशाली रूप से करने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं। 2013-14 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकासों में निम्नलिखित शामिल थे:

- 2013-14 के दौरान स्टाफ विंग का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग था। डिविज़नल लेखाकारों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों एवं डाटा एंट्री आपरेटरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को की गई समस्त मांग 2013-14 के दौरान पूरी कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप समूह 'ग' सवंर्ग में कमी का काफी हद तक समाधान हुआ।

- विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी, यदि कोई हो, के कारण कार्य प्रभावित न हो।

III हमारे लोग

हमारी श्रमशक्ति मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत है:

श्रेणी	संख्या
आईए एण्ड एएस	580@
पर्यवेक्षीय संवर्ग	15770
लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	26,072
बहुविधि कार्य स्टाफ	5,717
जोड	**48,139**

@ विभाग में कार्य कर रहे इन 580 आइए एंड एएस अधिकारियों के अतिरिक्त, 114 आईए एंड एस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है।

आईएएंडएडी में करीब 33.96 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धन और पर्यवेक्षीय स्तर पर हैं और लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ 54.16 *प्रतिशत* है। कुल संख्या का केवल 11.88 प्रतिशत (एमटीएस) है जो विशुद्ध रूप से कार्य में सहायता करता है। 68,374 की संस्वीकृत संख्या के प्रति वर्तमान में केवल 70.41 *प्रतिशत* स्टाफ ही विभाग में कार्य कर रहा है। हमने वर्ष के दौरान लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ की श्रेणी में 6001 लोगों की भर्ती की। इससे काफी हद तक कमी दूर करने में सहायता मिली।

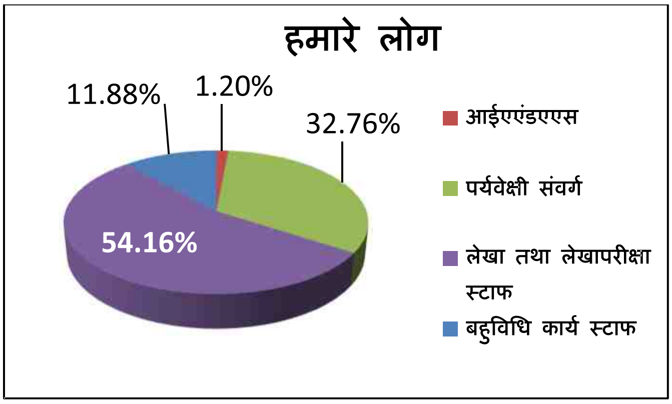

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा (आई ए एंड ए एस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आईएएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। यह सेवा भारत सरकार की समूह 'ए' सेवा कहलाती है।

पर्यवेक्षी संवर्ग – राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह ख राजपत्रित) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा है। सामान्य रूप से अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उर्त्तीर्ण करने के बाद ही सहायक लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति की जाती है।

लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ – यह संवर्ग डॉटा एन्ट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों से बनता है और हमारी कुल श्रमशक्ति का 54.09 *प्रतिशत* है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या लिपिकों के सहायक संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुविधि कार्य स्टाफ – विभिन्न आईएएडी कार्यालयों में सभी सहायता कार्य, मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) द्वारा किया जाता है।

IV अर्हता

वर्ग 'ख' और 'ग' संवर्गों में हमारे अधिकारी और कर्मचारी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 111 डॉक्ट्रेट, 1012 व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त अधिकारी, 4983 स्नातकोत्तर और 28,933 स्नातक हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में बारह डॉक्ट्रेट, 236 व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त[5] अधिकारी, 302 स्नातकोत्तर और 143 स्नातक हैं।

V भर्तियाँ

हमने 2013-14 में 6,021 कार्मिक भर्ती किए। लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ श्रेणी में बड़ी संख्या में भर्तियाँ (6001) की गई। हमने लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ श्रेणी में 99.67 प्रतिशत लोग नियुक्त किये।

VI लिंग संतुलन

साथ में दी गई तालिका विभाग के विभिन्न कैडर्स में लिंगानुपात दर्शाती है। आईएएण्डएस में महिलाओं का अनुपात अधिकतम है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरूष	% (प्रतिशत)
आईएएंडएएस	171@	523@	24.64
लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ	7579	34263	18.11
मल्टीटास्किंग स्टॉफ	774	4943	13.54
कुल	**8524**	**39729**	**17.67**
@ इन आंकड़ों में प्रतिनियुक्ति पर 114 आई ए एंड ए एस अधिकारी शामिल हैं।			

VII स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ और पर्यवेक्षण सवंर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 228 स्टाफ एसोसिएशन और पाँच आल इंडिया फेडरेशन हैं। 2013-14 के दौरान भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा

[5] इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईए, सीआईएसए आदि।

विभाग मुख्यालय के शीर्ष स्तर पर फेडरेशनों और उच्च प्रशासनिक स्तर के बीच 14 बैठकें हुई। राज्य स्तरीय बैठकें संबंधित क्षेत्रीय स्तर सेवा संघ के साथ प्रधान महालेखाकारों/ महालेखाकारों द्वारा आयोजित की गई थी।

VIII व्यासायिक क्षमता विकास

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ससंद और राज्य विधानमंडलो को प्रतिवर्ष 150 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास साई इंडिया में सेवारत विभिन्न पदों मे करीब 48,000 कार्मिक है। व्यापक रूप से कर्मचारियों के लेखापरीक्षा कौशल को बढ़ाने और क्षेत्र के ज्ञान के अद्यतन के लिए, विभाग की प्रशिक्षण संरचना में मुख्यत: भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए शिमला में, राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी है, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र नोएडा मुख्यत: दुनिया भर में साई के प्रतिभागियों की आवश्यकतओं को पूरा करता है। हमारे पास पर्यवेक्षक संवर्गों और लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के लिए नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं। पर्यावरण लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यक्रम के संचालन के लिए मई 2013 में जयपुर में स्थापित पर्यावरण लेखापरीक्षा और स्थायी विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का उदघाटन किया गया था।

IX नए भर्ती किए गए अधिकारियों का प्रशिक्षण

सीधे भर्ती भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा और सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (डीआरएएओ) सेवा में स्थायीकरण से पहले व्यापक और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं। भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारी 104 सप्ताह का प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रशिक्षण में 15 सप्ताह का आधार पाठयक्रम, 70 सप्ताह का व्यवसायिक प्रशिक्षण दो चरणों में, तीन सप्ताह का अध्ययन दौरा और 16 सप्ताह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण (सीटीएसी समिति के निर्णय के आधार पर 19 सप्ताह तक बढाया गया) शामिल है। सेवा में स्थायीकरण से पहले अधिकारियों से विभागीय परीक्षा (भाग I और भाग II) उत्तीर्ण करना अपेक्षित है। अधिकारी प्रोन्नति पर या पार्श्विक भर्ती के माध्यम से भी भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा

सेवा ज्वॉइन कर सकते हैं। वे तीन सप्ताह की अवधि का राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी (एनएए) शिमला, में आधार प्रशिक्षण लेते हैं।

सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (डीआरएएओ) परिवीक्षार्थी जब नियुक्त होते है क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में सात माह का प्रशिक्षण लेते हैं। इसमें तीन माह का आधार प्रशिक्षण, उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक माह का जॉब प्रशिक्षण और तीन माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण शामिल है। एएओ के रूप में स्थायीकरण से पहले उनसे अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है।

x सेवा में प्रशिक्षण

हमारे संगठन के अधिकारी और स्टाफ व्यापक रूप से लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और आईटी में प्रशिक्षित हैं। नई पद्धतियाँ कार्यान्वित करने और वर्तमान प्रथाओं के साथ अपने मानव संसाधनों को अद्यतन करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभाग के 12 प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने कर्मिकों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आन्तरिक प्रशिक्षण का संचालन अपेक्षित है।

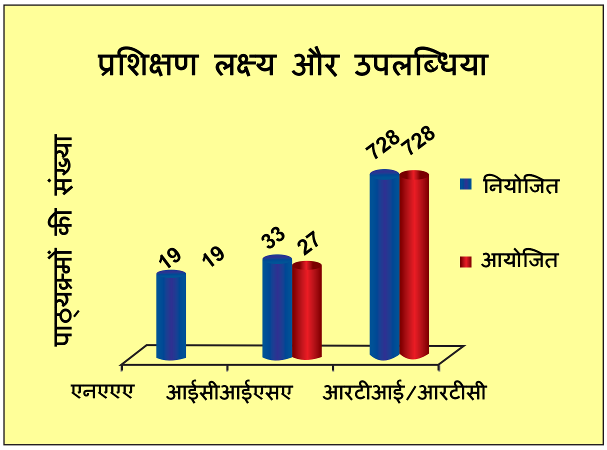

जबकि एनएएए, शिमला ने 19 पाठ्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य प्राप्त किया, आरटीआईज़ ने भी 728 पाठ्यक्रम करवाने का लक्ष्य प्राप्त किया, एनएएए, शिमला ने वर्ष के दौरान 450 आईएएडंएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और आरटीआईज़ ने 12,786 लोगों को प्रशिक्षण दिया; आईसीसा, नोएडा ने 803 लोगों को प्रशिक्षण दिया। क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी क्षमता बढाने की कार्यालय विशिष्ट अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु अवधि के आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

XI श्रेष्ठता के केन्द्र

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सभी आरटीआई/आरटीसी उनको आवंटित विषयों के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं। श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में आरटीआई ढांचागत प्रशिक्षण मॉड्यूल, विषय अध्ययन और अन्य पठन सामग्री के विशिष्टकरण के निर्दिष्ट क्षेत्र पर अधिक जोर देकर विकास करते हैं। वह विशिष्टिकरण के निर्धारित क्षेत्र पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न संस्थानों के लिए श्रेष्ठता के परिभाषित क्षेत्र इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	आरटीआई/आरटीसी	श्रेष्ठता का क्षेत्र
1	आरटीआई, जम्मू	रक्षा लेखापरीक्षा
2	आरटीआई, जयपुर	निष्पादन लेखापरीक्षा और सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा
3	आरटीआई, कोलकाता	स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा
4	आरटीआई, मुम्बई	निगम प्रशासन, नगर निगमों की वित्तीय लेखापरीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग
5	आरटीआई, नागपुर	धोखाधडी और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली तकनीकों की लेखापरीक्षा
6	आरटीआई, चेन्नई	अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा
7	आरटीआई, रांची	लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा
8	आरटीआई, इलाहाबाद	गसब और बजट (जीएफएस 2001)
9	आरटीआई, शिलांग	लागू वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के अनुसार स्वायत्त जिला परिषदों में प्रमाणन लेखापरीक्षा
10	आरटीसी, बैंगलोर	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
11	आरटीसी, हैदराबाद	स्थानीय निकाय और सामाजिक लेखापरीक्षा
12	आरटीसी, नई दिल्ली	सूचना प्रौद्योगिकी

XII अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केन्द्र

अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा) अप्रैल 2002 में संचालित की गई। इस केन्द्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और सूचना पद्धति में उत्कृष्टता और सूचना पद्धतियों की लेखापरीक्षा के लिए केंद्र के रूप में विकसित किया गया। आईटी प्रशिक्षण के अतिरिक्त लेखापरीक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का भी आयोजन यहां किया जाता है।

प्रशिक्षण गतिविधियां:

भारत सरकार के छात्रवृति कार्यक्रमों जैसे आईटीईसी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग), एससीएएपी (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकन सहयोग कार्यक्रम), और सीपी (कोलंबो योजना) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये गये है:

- भारत सरकार जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण करती है और अन्य सरकारों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढाने के लिए
- लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ आने और अपने विचार तथा अनुभवों को साझा करने के लिए विभिन्न साईज हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराने के लिए
- लेखापरीक्षा में वर्तमान सर्वोच्च पद्धतियों हेतु विवरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न साईज से प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने और उभरते लेखापरीक्षा विषयो पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए
- सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानो (साईज) से वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों और अफ्रीका, मध्य एशिया , दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पेसिफिक और पूर्वी यूरोपियन क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है। आईसीसा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए अनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा आईसीसा आईएएण्डएडी अधिकारियों के साथ आईएएस, आईएफएस, रक्षा अधिकारियों, लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय जैसे अन्य सेवाओं/विभागों के लिए भी राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2013-14 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम:

i. **अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

- पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर अं.प्र.का.
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की अं.प्र.का. लेखापरीक्षा
- आईटी परिवेश में अं.प्र.का. लेखापरीक्षा
- अं.प्र.का. निष्पादन लेखापरीक्षा
- सामाजिक क्षेत्र योजनाओं पर अं.प्र.का. लेखापरीक्षा
- अं.प्र.का. वित्तीय एवं विनियामक लेखापरीक्षा
- साई अफगानिस्तान हेतु 'अनुपालन लेखापरीक्षा' पर विशेष पाठ्यक्रम

ii. **केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

- भारतीय प्रशासनिक सेवा से अधिकारियों के लिये 'निष्पादन लेखापरीक्षा' का पाठ्यक्रम।
- डीएएनआईसीएस अधिकारियों के लिये 'वित्तीय प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारियों के लिये 'लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों के लिये 'वित्तीय प्रबंधन और लेखापरीक्षा जागरूकता' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आईसीएआर के अधिकारियों के लिये 'वित्तीय प्रबंधन और लेखापरीक्षा जागरूकता' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

iii. **आईए एवं एडी के अधिकारियों के लिए नियमित सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है:**

- ई शासन की लेखापरीक्षा
- पीपीपी की लेखापरीक्षा
- इपसास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- संयुक्त राष्ट्र के लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दूतावास लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ओरेकल 11जी के लिए डीबीए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- एसएपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

- नेटवर्क सुरक्षा और प्रबंधन – केवल लेखो के लिए रेड हैट लिनक्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आईटी परिवेश में लेखापरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ई शासन की लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की लेखापरीक्षा

XIII अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र

''अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी)'' नामक प्रशिक्षण सुविधा इंटोसाई के लिए विश्व प्रशिक्षण सुविधा के रूप में जयपुर में स्थापित की गई है। इस केन्द्र के उद्देश्य हैं:

(i) प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढाना।
(ii) ज्ञान का प्रसार और सहभाजन।
(iii) पर्यावरण नीति अनुसंधान का केन्द्र होना।
(iv) पर्यावरणीय अध्ययन पर व्यवसायिक प्रमाणीकरण देना।

आईसीईडी, जयपुर की एक ग्रीन भवन के रूप में भी कल्पना की गई थी और इसके डिज़ाइन और निर्माण में कई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे भवन के कार्बन फुटप्रिन्ट को कम किया जा सके। इसका उदघाटन मई 2013 में भारत के उप-राष्ट्रपति, श्री हामिद अंसारी द्वारा किया गया था।

XIV प्रकाशन

ज्ञान को साझा करने के प्रयास के एक भाग के रूप में हमारे संगठन के कार्यात्मक विंगों और कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्र और जर्नल प्रकाशित किए जाते हैं। आईसीईडी का एक त्रैमासिक समाचार पत्र 'ग्रीन फाइल्स' पर्यावरण के क्षेत्र में विकास को दर्शाता है; प्रत्यक्ष कर विंग ''रुपी ट्रेल'' नाम से एक त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विकास को दर्शाया जाता है।

ई-जर्नल के रूप में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा के जर्नल को पुनर्जीवित किया गया, फिर से सामने लाया गया और नया नाम दिया गया। जर्नल का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र के साथ-साथ विभाग में मुख्य कार्य, सर्वोत्तम

अभ्यास का विस्तार करते हुये आंतरिक संचार माध्यम के रूप में कार्य करना है। जर्नल का अंतर्राष्ट्रीय डेस्क से नई नीति पहल और सूचना को उजागर करता है। जर्नल का पहला संस्करण नवम्बर 2013 में जारी किया गया था।

XV हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते हैं?

सूचना प्रणाली (आईएस) विंग विभिन्न कार्यात्मक विंगों द्वारा निर्धारित गतिविधियों के कम्प्यूट्रीकरण के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह सीएजी की वेबसाईट, सीएजीएसपीएस (इंट्रानेट) और अन्य संबंधित वेबसाईटों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य पहलों में मैनुअलों का डिजीटाइज़ेशन/प्रकाशन/नियम पुस्तिकाएं, पाँच सेवाओं सहित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क(वीपीएन) अर्थात् 184 कार्यालयों में वीडियों कांफ्रेसिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल (वीओआईपी), फैक्स इंटरनेट और ई-मेल, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के पीएओज़ में ई-भुगतान का कार्यान्वयन शामिल है।

1. विभाग के सभी पीएओज़ के लेखांकन कार्य के कंप्यूटरीकरण के लिये कंप्यूटरीकृत लेखांकन (कॉमपेक्ट) सॉफ्टवेयर कार्यान्वित करने का निर्णय लिया था। 1.04.2013 से सभी पीएओं ने सफलतापूर्वक एप्लिकेशन कार्यान्वित की तथा मासिक डाटा को ई-लेखा, जो प्रधान पीएओ द्वारा मासिक लेखाओं को समेकित करने के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है, में अपलोड करना प्रारंभ किया जा चुका है।

2. विभाग ने ई-भुगतान सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

3. एनआईसी ने डीडीओ कार्य का कंप्यूटरीकरण करने के लिये कॉम्प डीडीओ एप्लिकेशन उन्नत की। पैकेज में डीडीओ की सभी आवश्यकताऐं शामिल हैं और कॉम्पैक्ट के साथ एकीकरण करने की भी सुविधा है जिसके परिणामस्वरूप ई-भुगतान का क्रियान्वयन सरल हुआ। डीएआई ने तीन चरणों में आईए एंड एडी (करीब 180) के सभी डीडीओज में परियोजना का कार्यान्वयन अनुमोदित किया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान चरण-I क्रियान्वित किया जायेगा।

4. केरल के लिये जीई सॉफ्टवेयर के विकास के लिये परियोजना कार्यान्वित की। जीई पैकेज कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से ही विशिष्ट रूप से निर्मित किया जा रहा है और कार्यान्वयन के लिये अन्य राज्यों में अध्ययन किया जा रहा है।

5. मेल सेवा को एनआईसी मेल सर्वर में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान सभी आईएएएस अधिकारियों को इंटरनेट और ई-मेल सेवा प्रदान की गई थी।

6. क्षेत्रीय कार्यालयों की सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताऐं उपलब्ध बजट के वित्तीय बाध्यताओं के अंदर पूरा किया गया था।

7. आईडिया सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया गया था और क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया गया था। आईडिया 9.1 सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण भी दिया गया था।

8. सार्वजनिक इंटरनेट पर विडियों नामक तकनीक प्रयोग करते हुये विभाग में विडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी) सफलतापूर्वक की जा रही है। इस वर्ष जुलाई से लगभग 10 वीसीज की गई है।

वीएलसी प्रणाली का तकनीकी उन्नयन: सभी 27 राज्यों ने 40 कार्यस्थलों (27 राज्यों) में लीनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर 3-टियर में ओरेकल 8आई से ओरेकल 11जी में सफलतापूर्वक स्थानांतरण कर लिया है।

लेखा कार्यालयों में: सभी लेखा कार्यालयों में ओरेकल प्लेटफार्म पर वाउचर लेवल कम्प्यूटराइज़ेशन कार्यान्वित किया गया। इससे लेखाओं पर एमआईएस मज़बूत हुआ है। अन्य हकदारी कार्य जैसे जीपीएफ खातों का रखरखाव, (आईवीआरएस सहित), पेंशन को अन्तिम रूप देना और राजपत्रित हकदारी का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

प्रशासनिक कार्य: हमारे कार्यालयों में कई प्रशासनिक कार्य कम्प्यूट्रीकृत हैं जैसे वेतन नामावली, व्यय की मासिक समीक्षा, पुस्तकालय, डाक आदि। सीएजी कार्यालय में एकीकृत डाक प्रबंधन प्रणाली को एनआईसी के सहयोग से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यालय: हमारे लेखापरीक्षा कार्यालय लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यक्रम, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और आपत्तियों का पता लगाने, लेखापरीक्षिती डाटाबेस के रख-रखाव आदि के लिए आईटी का प्रयोग करते हैं।

XVI राजभाषा को बढावा देने के लिए हमारे प्रयास

XVI क प्रकाशन

हमने मुख्यालय से वर्ष के दौरान राजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के चार अंक प्रकाशित किये। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिये हिन्दी की पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं।

XVI ख हिन्दी कार्यक्रम

(क) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को आदेशों के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिये उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चार तिमाही बैठकें आयोजित की।

(ख) मुख्यालय में 13.09.2013 से 30.09.2013 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। कार्यालय के दैनिक काम-काज में हिंदी के प्रयोग के प्रचार के लिये कई प्रतियोगितायें आयोजित की गई। हिन्दी पखवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगितायें भी आयोजित की गई।

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिये मंत्रालय/विभाग के लिये इंदरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

(घ) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया।

(ड.) संसदीय राजभाषा समिति ने मुख्यालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया।

XVI ग अनुवाद

जैसा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अतंर्गत अपेक्षित है प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ हिंदी में अनुवाद किए गए :

(क) सभी प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्तियाँ;

(ख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन और सदन या संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात;

XVII अवसंरचना विकास

समस्त भारत में विभिन्न स्टेशनो पर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के उपयोग के लिये आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:-

निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी और उद्घाटित की गई है;

(i) इंटरनेशलन सेन्टर फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईसीईडी), जयपुर (मई 2013 में उद्घाटन किया गया)।

(ii) एजी (ले.एवं ह.) बैंगलुरू-एजी के लिए एनेक्सी भवन (ले.व ह.)।

अध्याय 7

संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम

साई इंडिया का अभियान उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेहिता, पारदर्शिता और सुशासन को बढावा देना और पणधारकों अर्थात विधायिका, कार्यकारी और जनता को स्वतंत्र आश्वासन देना है कि सार्वजनिक निधियों का प्रभाविकता से और अभीष्ठ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह परिवेश के ज्ञान को आवश्यक बनाता है जिसमें लेखापरीक्षित इकाई कार्यरत है। लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षित इकाईयो के साथ अनवरत जुडना पड़ता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ज्ञान सहभाजन को सरल बनाने के लिए संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करते है। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित की गई संगोष्ठियों और कार्यक्रमों पर नीचे चर्चा की गई है।

नवीन एवं अक्षय उर्जा पर पणधारकों की कार्यशाला

नवीन एवं अक्षय उर्जा पर पणधारकों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 24 सितम्बर 2013 को नई दिल्ली के मुख्यालय में किया गया था। पणधारकों की कार्यशाला का आयोजन देश में नवीन एवं अक्षय उर्जा के उत्पादन के संवर्धन और विकास में सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए और इस क्षेत्र में सभी पणधारकों की चिन्ताओं को समझने और बोर्ड के साथ विचार करने हेतु किया गया था।

कार्यशाला की अध्यक्षता नवीन एवं अक्षय उर्जा हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा की गई थी। कार्यशाला में प्रमुख पणधारकों ने भाग लिया जिसमें नवीन एवं अक्षय उर्जा मंत्रालय, विनियामक एजेंसियां, पीएसयूज, राज्य नोडल एजेंसिया, अक्षय उर्जा क्षेत्र से एनजीओज के चयनित विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यशाला ने नवीन एवं अक्षय उर्जा प्रौद्योगिकियों के परिदृश्य का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन प्राप्त करने में सहायता की है। कार्यशाला के दौरान विवेचन ने निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने में सहायता की थी।

"जीपीएफ प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रणालियों" पर कार्यशाला

सरकारी लेखा विंग ने सीएजी कार्यालय में 03.02.2014 से 04.02.2014 तक "जीपीएफ प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रणालियां" पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई थी, हालांकि मुख्य क्षेत्र थे:(i) जीपीएफ लेखों का प्रमाणीकरण (ii) वीएलसी-जीपीएफ इंटरफेस (iii) वर्तमान जीपीएफ पोस्टिंग में सुधार करना (iv) पूर्व-कम्प्यूटराइज्ड अवधि/फोक्स प्रो अवधि के गुम क्रेडिटों/अनपोस्टिड मदों का प्रबंधन (v) एफपी मामलों/समाधान मामलों की समय पर प्राप्ति और संसाधन को सुनिश्चित करना (vi) आईसीटी एवं अभिदाता शिकायतों का प्रबंधन। 10 पीएएसजी/एजी (ले.एवं ह) कार्यालयों ने कार्यशाला में भाग लिया और कार्यशाला के दौरान विवेचन के आधार पर "जीपीएफ प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रणालियां" को ड्राफ्ट किया गया और अगली टिप्पणियों हेतु पांच ले एवं हक कार्यालयों को परिपत्रित किया जाता है।

"वित्त एवं विनियोजन लेखों को तैयार करना" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरकारी लेखा विंग ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 8 ले एवं हक कार्यालयों के लिए 'वित्त एवं विनियोजन लेखों को तैयार करना" पर छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम 10.03.2014 से 15.03.2014 तक 6 दिनों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग में आयोजित किया गया था।

प्रतिस्पर्धा कानून के ज्ञान के प्रयोग पर 'वेबिनार'

पणधारको की लेखापरीक्षा के दौरान प्रतिस्पर्धा कानून के ज्ञान के प्रयोग पर अर्धदिवसीय ''वेबिनार'' भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के सहयोग से प्रशिक्षण विंग द्वारा 27 सितम्बर 2013 को आयोजित किया गया था। यह पणधारकों के साथ जुड़ने और परिवेश, जिसमे लेखापरीक्षित संस्थान कार्य करते है, को समझने और सराहने की हमारी पहलों का भाग था। दिल्ली के विभाग में नियुक्त सभी आईए एण्ड एएस अधिकारियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया था। डॉ. साधना शंकर, सलाहकार सीसीआई (कानून) ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिस्पर्धा कानून के मौलिक बारीकी की जागरूकता के साथ लेखापरीक्षा अधिकारियों की प्रखर दक्षता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने लेखापरीक्षा अधिकारियों की बहु-आयामी भूमिका पर भी जोर दिया और सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्रकिया में प्रतिस्पर्धा रोधी प्रणालियों के व्याप्त प्रचार पर बल दिया।

श्री आर.एन सहाय, सलाहकार (इको) ''सार्वजनिक अधिप्राप्ति एवं प्रतिस्पर्धा कानून'' पर बोले और डॉ साधना शंकर, सलाहकार (कानून) ने ''प्रतिस्पर्धा कानून का विहंगावलोकन'' विषय पर भाषण दिया। वेबकास्ट को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लाभ के लिए सीएजी कार्यालय वेबसाइट पर डाला गया था।

अध्याय 8

प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क

सीएजी के प्राथमिक पणधारक संसद, राज्य विधानमंडल एवं जनता हैं। संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एक लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) है जो साई इण्डिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जॉंच करती है। सीएजी के अन्य प्रमुख पणधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय तथा साई इण्डिया द्वारा संचालित लेखापरीक्षा की विषय वस्तु में विशेष रूचि रखने वाले संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं।

अपने पणधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं पणधारकों के साथ हमारा संपर्क हमें उन अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है जो पणधारकों को साई इण्डिया से हैं एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही के कार्य को अर्थ प्रदान करती हैं। हमारी एक प्रलेखित सूचना नीति है जो बाहरी पणधारकों के साथ हमारे संपर्क का मार्गदर्शन करती है।

I सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

सीएजी के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिदेश के ढांचे में लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं फोकस में सुधार के लिए सुझाव देने एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में उसे सलाह देने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में नेतृत्व एवं निर्देशन को बढावा देने के लिए एवं तदनुसार लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजित मुख्य यंत्रों में से एक है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति, विभाग से उप नियंत्रक – महालेखापरीक्षक, अपर उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक सम्मिलित हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड छह बार पुनर्गठित किया गया था (2001, 2003, 2006, 2009, 2011 और 2013)। सातवें बोर्ड का कार्यकाल जुलाई 2015 तक है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्ष 2013-14 के दौरान दो बार बैठके हुई अर्थात 12 नवम्बर 2013 और 11 मार्च 2014 को। बोर्ड ने सीएजी के अधिदेश, नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2020 टेलिकोम कम्पनियों की सीएजी लेखापरीक्षा और पीपीपी परियोजनाओं के लेखापरीक्षा पर उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निजी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर बल दिया।

II राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

समान पद्धतियों पर प्रधान एजी/एजी की अध्यक्षता में राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य होते है। बाहरी सदस्यों को प्रख्यात शिक्षाविदों, व्यावसायिको और सेवानिवृत सिविल कर्मचारियों में से नामित किया जाता है राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षाओं की प्रभाविकता को बढ़ाना है जिसमें लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों से जानकार और अनुभवी व्यावसायिकों के बीच व्यावसयिक चर्चा हेतु फोरम उपलब्ध कराकर लेखापरीक्षा रिपोर्टों को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन सभी राज्यों में किया गया है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठके भी वर्ष में दो बार होती है। बोर्ड का पुनर्गठन दो साल में एक बार किया जाता है। वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठके लगभग सभी राज्यों में आयोजित की गई थी।

III लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयाँ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य पणधारकों में से एक हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाईयों को दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं।

लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा शंकाओं एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार एवं कार्यवाही करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक क्रमबद्ध प्रकृति की सतत् अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा की चिंताओं की सूचना दी जाती है।

लेखापरीक्षित इकाईयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

IV लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधान सभा के पटल पर रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। सीएजी प्रतिवेदन चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करता है। सीएजी एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। पीएसी/कोपू अपनी जाँच पर आधारित सिफारिशों वाला प्रतिवेदन प्रकाशित करती हैं। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर कार्यकारिणी से सूचना अपेक्षित होती है। तब समिति एक कार्यवाही रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बैठकों में चर्चा न की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, कार्यकारिणी से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँच की गई कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2013-14 में केन्द्रीय पीएसी/कोपू ने 39 बैठकें की और 42 पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा की जिसकी व्याख्या नीचे दी गई है:

विंग का नाम	वर्ष 2013-14 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
वाणिज्यिक	11	8
रक्षा एवं संचार	6	2
रेलवे	5	6
रिपोर्ट केंद्रीय/एबी	8	21
आरए-आईएनडीटी (सीमाशुल्क)	2	2
सीआरए(सीई/एसटी)	2	1
सीआरए(डीटी)	5	2
जोड़	**39**	**42**

राज्य पीएसीज़/कोपू की 2013-14 के दौरान 665 बार बैठकें हुई एवं 1350 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	2013-14 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/ निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
केन्द्रीय क्षेत्र	183	178
पूर्वी क्षेत्र	72	93
उत्तरी क्षेत्र	134	287
पूर्वोत्तर क्षेत्र	80	285
पश्चिमी क्षेत्र	118	377
दक्षिणी क्षेत्र	78	130
जोड़	**665**	**1350**

V शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संपर्क

हम अनेक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टेण्डर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यवसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए विभाग के प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं।

VI मीडिया के साथ संपर्क

बाहरी पणधारियों के लिए हमारी संचार नीति के अनुसार, सीएजी संचार नीति से संबंधित मामलों में निर्णय एवं मीडिया के साथ संपर्क करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी है। उनकी अनुपस्थिति में, डीएआई एवं संचार नीति का प्रभारी अधिकारी मीडिया से संपर्क करेगा। ऐसा संपर्क विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण यदि कोई है, जारी करने के विषय में सूचना के प्रसार के उद्देश्य से होता है जो पणधारियों की मूलभूत सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा मीडिया सहित किसी बाहरी संस्था द्वारा तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण अथवा मिथ्यावर्णन को दूर करने के लिए आवश्यक है।

मुख्यालय कार्यालय में मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता वाला संचार नीति सैल प्रिंट/इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा जनता के साथ प्रभावशाली संचार व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता है। राज्यों/यूटीज में, प्रधान महालेखाकार अथवा महालेखाकार स्तर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जहाँ राज्य में

कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है, मीडिया के साथ प्रभावशाली संचार व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।

हम संसद एवं विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के उपरान्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किए जाने के बाद एक मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जाता है। संसद/राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु को दर्शाते प्रैस सार भी जारी किये हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये जाते है। हमने चयनित निष्पादन लेखापरीक्षाओं के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संक्षिप्त सार की सूचना देने के लिए छोटी पुस्तिकाएं (नोडी बुक्स) भी प्रकाशित की है।

अध्याय 9

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

साई इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी हैं। मुख्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध डिवीजन अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ बातचीत के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

क. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इन्टोसाई)

ख. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियन संगठन (एसोसाई)

ग. वैश्विक कार्यकारी ग्रुप (अब वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम) एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निकाय

घ. अन्य साईज़ के साथ द्विपक्षीय संबंध

ङ. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

क. इंटोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इन्टोसाई) बाह्य सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है। इन्टोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। यह संघ राष्ट्रो की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्शक स्थिति वाला गैर-सरकारी संगठन है। वर्तमान में इन्टोसाई में इसके सदस्यों के रूप में 192 साईज़ हैं। इसके अलावा, इसमें विश्व बैंक सहित 5 सहयोगी सदस्य है।

इन्टोसाई में चार मुख्य समितियां है जो इसके चार नीतिगत ध्येयों को प्राप्त करने के लिए संवाहक है। यह समितियां निम्न है;

1. व्यावसायिक मानदंड समिति (पीएससी)
2. क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी)
3. ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवाओं पर समिति (केएससी)
4. वित्त और प्रशासनिक समिति (एफएसी)

इन्टोसाई के साथ हमारी भागीदारी

इन्टोसाई के साथ हमारी भागीदारी निम्नलिखित स्तरों पर है:

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ज्ञान सहभाजन एवं ज्ञान सेवाओं पर इन्टोसाई समिति ध्येय 3(केएससी) और इसकी संचालन समिति के अध्यक्ष है। नौ कार्यकारी दल, एक टास्क फोर्स और सरकारी लेखापरीक्षण का अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल (आईजेजीए) केएससी के अम्ब्रेला के अन्तर्गत कार्य करते हैं। कार्यकारी दल/टास्क फोर्स विशेष क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश और सर्वोत्तम पद्धतियों को तैयार करने के लिए समर्पित है। वर्तमान में केएससी मुख्य समिति में 104 सदस्य और तीन पर्यवेक्षक हैं। हम ज्ञान सहभाजन समिति www.intosaiksc.org. की वेबसाइट का भी रखरखाव करते है।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआईटीए) पर इन्टोसाई कार्यकारी दल का भी अध्यक्ष है। आईटी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी (डब्ल्यूजीआईटीए) का गठन आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में साईज के हितों के समाधान हेतु 1989 में किया गया था। डब्ल्यूजीआईटीए का ध्येय अनुभवों को साझा करने और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए सूचना और सुविधाओं को उपलब्ध कराकर सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और लेखापरीक्षा में उनके ज्ञान एवं कौशल को विकसित करने में साईज की सहायता करना है वर्तमान में, डब्लयूजीआईटीए में 42 सदस्य और दो पर्यवेक्षक है।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विभिन्न इन्टोसाई समितियों/उप-समितियों /कार्यकारी दलों/टास्क फोर्स के सदस्य है।
- हमने एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, ऑनलाइन इन्टोसाई सहयोग तंत्र (आईसीटी), को विकसित और उसका अनुरक्षण किया, जोकि इन्टोसाई का वर्क वैंच है और जिसे उसके स्वयं के स्थानों से सामान्य परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए ग्रुप द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

साई-इंडिया की सक्रिय भागीदारी के साथ इन्टोसाई के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर चर्चा नीचे की गई है।

5वीं केएससी संचालन समिति बैठक

ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवाओं (केएससी) पर इन्टोसाई समिति की एक संचालन समिति है जिसमें कार्यकारी दलों एवं टास्क फोर्स के अध्यक्ष, सरकारी लेखापरीक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल के संपादक और छः पर्यवेक्षक शामिल है। केएससी की मुख्य समिति इंटोसाई कॉंग्रेस के संयोजन में त्रैवार्षिक बैठके करती है जबकि संचालन समिति प्रत्येक वर्ष बैठक करती है।

5वीं केएससी संचालन समिति की बैठक 16 और 17 सितम्बर 2013 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और केएससी के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। बैठक में संचालन समिति के सदस्य साईज़ से 17 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

केएससी संचालन समिति ने अद्यतित इन्टोसाई नीतिगत योजना 2011-1016 के अनुक्रमानुसार उनके द्वारा निष्पादित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संबंध में केएससी के अन्तर्गत कार्यकारी दलों एवं टास्क फोर्सो द्वारा प्राप्त की गई प्रगति की एक साथ समीक्षा की थी।

16 और 17 सितम्बर 2013 को आयोजित की गई 5वीं केएससी संचालन समिति

आईटी लेखापरीक्षा के इन्टोसाई कार्यकारी दल और निष्पादन लेखापरीक्षा संगोष्ठी

आईटी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी दल (डब्ल्यूजीआईटीए) अपनी वार्षिक बैठके आयोजित करता है जिसमें सदस्य चालू परियोजनाओं की स्थिति को प्रस्तुत करते है और भावी परियोजनाओं पर चर्चा और निर्णय करते है। इसके अलावा, डब्ल्यूजीआईटीए एक विषय जो सामयिक और अधिकतम सदस्यों से संबंधित है का उपयोग करते हुए अपनी वार्षिक बैठक के साथ निष्पादन लेखापरीक्षण संगोष्ठी आयोजित करता है।

आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी दल की 22वीं बैठक का आयोजन 22 से 23 अप्रैल 2013 तक आयोजित की गई 7वीं निष्पादन लेखापरीक्षा संगोष्ठी के संयोजन से 25 से 26 अप्रैल 2013 तक विलनिअस लिथुआनिया में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और कार्यकारी दल के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। बैठक में 23 सदस्य साईज़ से 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कार्यकारी दल ने डब्ल्यूजीआईटीए कार्य योजना (2011-13) के अनुसार शुरू की गई परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्टों पर चर्चा की।

आईटी लेखापरीक्षा पर इन्टोसाई कार्यकारी दल की 23वीं बैठक का आयोजन 10-12 फरवरी, 2014 को कुवैत में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता श्री शशि कांत शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और कार्यकारी दल के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। 23वीं बैठक में 30 सदस्य देशों से 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सदस्य साईज़ ने विभिन्न परियोजनाओं पर अपनी प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत की और आईटी लेखापरीक्षा पर उदीयमान मामलों पर अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान-निष्पादन उपाय फ्रेमवर्क (साई-पीएमएफ) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 23 से 27 सितम्बर 2013 तक नई दिल्ली में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए निष्पादन उपाय फेमवर्क (साई-पीएमएफ) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन श्री शंकर नारायण, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने किया और इसमें प्रशिक्षओं के रूप में 18 देशों से आए 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया जबकि 4 प्रतिनिधियों ने समन्वयक और सह-समन्वयक के रूप में भाग लिया था। साई पीएमएफ, इंटोसाई की स्थापित अच्छी पद्धतियों (आईएसएसएआईज़, साईज के मूल्य एवं लाभों पर फ्रेमवर्क और इन्टोसाई समुदाय द्वारा विकसित की गई अन्य मार्गदर्शक सामग्री) के प्रति अपने निष्पादन का वस्तुपरक तरीके से मूल्यांकन करने में साईज की सहायता करता है। साई पीएमएफ में परिमेय सूचकों का सेट और गुणात्मक निष्पादन रिपोर्ट शामिल है और इसे विभिन्न उपागमों नामत: स्व-मूल्यांकन, पीअर समीक्षाओं या बाह्रय मूल्यांकनों का उपयोग करते हुए लागू किया जा सकता है।

XXIवीं इन्टोसाई कॉग्रेस (आइएनसीओएसएआई)

इंटोसाई कॉग्रेस (आईएनसीओएसएआई) इंटोसाई का सर्वोच्च अंग है और इसमें सभी सदस्य शामिल है प्रत्येक तीन वर्षो में यह नियमित बैठके आयोजित करता है जिनकी अध्यक्षता मेजबान साई द्वारा की जाती है। यह सभी इंटोसाई सदस्यों को अनुभवों को साझा करने, मामलों पर चर्चा करने, और विश्वसनीय सरकारी जवाबदेही में सुधार करने के लिए समाधानों और सिफारिशों को पांरित करने के लिए अवसर देता है। प्रतिभागियों में सदस्य साईज के साथ-साथ संघ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों, विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एवं व्यावसायिक संगठनों को शामिल किया गया है।

XXI आईएनसीओएसएआई के साथ-साथ संबंधित कार्यक्रमों अर्थात सरकारी बोर्ड बैठक, समितियों/कार्यकारी दलों/टास्क फोर्स की बैठकों की मेजबानी 17 से 26 अक्तूबर, 2013 तक बिजिंग में पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा की गई थी। बैठक का उदघाटन श्री लियू जेयी, चीन के महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया था और इसमे 159 सदस्य साई देशों और आईएनटीओएसएआई के सहायक सदस्यों से 599 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आईएनसीओएसआई 2013 में निम्नलिखित दो विषयों पर चर्चा की गई है:

विषय -I: राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और राष्ट्रीय शासन; और

विषय-II: साईज़ की भूमिका और वित्त नीतियों की दीर्घावधि-निरंतरता की सुरक्षा

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने ज्ञान सहभाजन समिति (केएससी), आईटी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी दल (डब्ल्यूजीआईटीए) और आईएनसीओएसएआई में इंटोसाई समन्वय साधन (आईसीटी) की रिपोर्टें प्रस्तुत की।

आईएसएसएआईज सामंजस्य परियोजना ग्रुप का 5वां प्रचालन सत्र

आईएसएसएआई सामंजस्य परियोजना ग्रुप के 5वें प्रचालन सत्र की मेजबानी 8 से 11 अप्रैल 2013 तक चण्डीगढ़, भारत में साई-इंडिया द्वारा की गई थी। बैठक में 10 सदस्य साईज से 15 प्रतिनिधियों सहित साई-इंडिया से तीन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। परियोजना ग्रुप ने इन्टोसाई के व्यावसायिक मानदण्डों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की और स्तर 4 आईएसएसएआईज़ के लिए करार ड्राफटिंग को भी अंतिम रूप दिया।

डब्ल्यूजीआईटीए/आईडीआई आईटी लेखापरीक्षा हस्तपुस्तिका को अंतिम रूप देने के लिए बैठक

डब्ल्यूजीआईटीए/आईडीआई आईटी लेखापरीक्षा हस्तपुस्तिका को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की मेजबानी 29 जुलाई से 7 अगस्त 2013 तक राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी (एनएएए), शिमला, हिमाचल प्रदेश में साई-इंडिया द्वारा की गई थी जिसमे डब्ल्यूजीआईटीए और आईडीआई के प्रतिनिधियों ने आईटी लेखापरीक्षा पर हस्पुस्तिका को अंतिम रूप दिया था।

ख. एसोसाई

1978 में स्थापित किया गया सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियन संगठन (एसोसाई) इंटोसाई के सात क्षेत्रीय कार्यकारी दलों में से एक है। इसने नई दिल्ली में अपनी पहली सभा के साथ 1979 में कार्य करना आरम्भ किया था। इसकी मौजूदा सदस्यता 45 है।

भारत के सीएजी 2012 में जयपुर में आयोजित, पिछली सभा के मेजबान होने के नाते एसोसाई के अध्यक्ष है।

भारत एसोसाई का सनदी सदस्य है। हम 2018 तक एसोसाई के शासन बोर्ड में बने रहेंगे (2012 से 2015 तक एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में और 2015 से 2018 तक अविरत अध्यक्ष के रूप में)।

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के सम्पादक के रूप में हम वर्ष में दो बार एसोसाई जर्नल का प्रकाशन करते है।

ग. वैश्विक कार्यकारी दल एवं अन्य बहुपक्षीय निकाय

वैश्विक कार्यकारी दल की 14वीं बैठक

2000 में गठन किया गया वैश्विक कार्यकारी दल (अब वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम) उनकी सरकारों एवं कार्यालयों से संबंधित वर्तमान एवं उभरते मामलों पर संगठित किंतु सूचित चर्चाओं और सूचना सहभाजन और ध्यानपूर्वक कार्य करने हेतु अवसरों को खोजने के लिए प्रति वर्ष बैठक के लिए 19 महालेखापरीक्षकों के चयनित दल को निर्धारित करता है। वैश्विक कार्यकारी दल की 14वीं बैठक का आयोजन 10 से 13 अप्रैल 2013 तक टोकयो, जापान में किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में "साइबर सुरक्षा" विषय पर देश का शोध पत्र और पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया। सदस्यों ने वैश्विक कार्यकारी दल का नाम वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम (जीएएलएफ) में बदलने का निर्णय लिया। जीएएलएफ की पहली बैठक मई 2014 में मेक्सिको सिटी में आयोजित की गई थी।

XXII राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक सम्मेलन

XXII राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक सम्मेलन को 24 से 27 मार्च 2014 तक माल्टा में आयोजित किया गया था। XXII राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक सम्मेलन में श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। सम्मेलन का मुख्य विषय "लेखापरीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्टिंग और संचारण की प्रभाविकता को सुधारने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को सुरक्षित करना था। विषय के निम्नलिखित उप-विषय थे:

(i) प्रभावी साई रिपोर्टों के लिए साई की स्वायत्तता को सुनिश्चित करना; और

(ii) मुख्य श्रोतागण को लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रभावपूर्ण संचारण।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने दूसरे उप-विषय पर कार्रवाई आरम्भ की। यह भी निर्णय किया गया कि XXIII राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक सम्मेलन 2017 में भारत में आयोजित किया जाएगा।

घ. अन्य साईज़ के साथ द्विपक्षीय संबंध

वर्तमान में हमारे 16 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों अर्थात चीन, भूटान, ब्राजील, कुवैत, मालदीव, मंगोलिया, ओमान, पोलेण्ड, वेनेजुएला, रूस, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कम्बोडिया, वियतनाम, इरान और युक्रेन के साथ समझौता ज्ञापन है। नियमित द्विपक्षीय विनिमय, जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेकन्डमेंट कार्यशाला आदि चीन, कुवैत और पोलेण्ड की साईज के साथ आयोजित किए गए थे। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठको के ब्यौरे निम्निलिखित है:

XXI इन्टोसाई कांग्रेस के दौरान द्विपक्षीय बैठकें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 25 अक्तूबर 2013 को बीजिंग, चीन में आयोजित की गई XXI इन्टोसाई कांग्रेस के दौरान साई-यूक्रेन के साथ समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किया था। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, नेपाल और भूटान के साईज़ के साथ शिष्टाचार बैठकों में भी भाग लिया।

5वीं इंडो-कुवैत संगोष्ठी

भारत और कुवैत की साईज़ के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के संरक्षण के अन्तर्गत 5वीं इंडो-कुवैत संगोष्ठी "लेखापरीक्षा में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता" विषय पर 29 अप्रैल से 2 मई 2013 तक शिलांग, मेघालय में आयोजित की गई थी। साई-इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता श्री ए.के. सिंह, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी। साई-कुवैत के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता श्री मुहम्मद आबैद अल-दौसारी, निदेशक द्वारा की गई थी। दोनों साईज ने लेखापरीक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के संवर्घन में प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए अपने मत प्रस्तुत किए। साई-कुवैत के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में साई-इंडिया में मुख्यालयों का भी दौरा किया और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से मुलाकात की।

4थी इंडो-चीन यंग लेखापरीक्षक फोरम

भारत और चीन की साईज के बीच किए गए एमओयू के अनुसार 4थी इंडो चीन यांग लेखापरीक्षक फोरम का आयोजन (i) नागरिकों के जीवन में सुधार करने में सार्वजनिक लेखापरीक्षा की भूमिका (ii) पर्यावरण लेखापरीक्षा, विषयों पर 9 से 10 दिसम्बर 2013 तक राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री सुहासिनी एस गोटमरे, वरिष्ठ डीएजी द्वारा किया गया था। साई-चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री सीयूआई जेन लोंग, महानिदेशक द्वारा किया गया था।

ङ. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

यूएन लेखापरीक्षक बोर्ड (यूएनबीओए)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को 1 जुलाई 2014 से छह वर्षों की अवधि के लिए यूएन लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त (नवम्बर 2013) किया गया है। लेखापरीक्षक बोर्ड के वर्तमान सदस्य निम्नानुसार है:

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अवधि 30 जून 2020 को समाप्त होगी)
- यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अवधि 30 जून 2016 को समाप्त होगी)
- यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अवधि 30 जून 2018 को समाप्त होगी)

भारत का लेखापरीक्षा पोर्टफोलियों निम्नलिखित है:

1. संयुक्त राष्ट्र शान्ति रक्षण प्रचालन (यूएनपीकेओ)
2. संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (युनिसेफ)
3. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनयू)
4. संयुक्त राष्ट्र संयुक्त स्टाफ पैंशन निधि (यूएनजेएसपीएफ)
5. पर्यावरण बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क करार (यूएनएफसीसीसी)
6. मरूस्थलीकरण के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र करार (यूएनसीसीडी)
7. संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (यूएनआईटीएआर)
8. संयुक्त राष्ट्र उंचत खाता
9. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों के भाग (खरीद, एचआरएम, मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय)

संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं

वर्तमान में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बाह्रय लेखापरीक्षक हैं :

1. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लयूएफपी) [जुलाई 2010 से जून 2016]
2. अन्तराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) **[** जुलाई 2010 से जून 2016**]**
3. विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) **[**जुलाई 2012से जून 2018**]**
4. अन्तर्राष्ट्रीय आणविक उर्जा संस्था (आईएईए) **[**जुलाई 2012 से जून 2016**]**
5. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) **[**2000 के बाद से**]**

संयुक्त राष्ट्रों और इसके तकनीकी समूह के बाह्रय लेखापरीक्षकों का पैनल

संयुक्त राष्ट्र के बाह्रय लेखापरीक्षकों (लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य) और इसकी विशेष संस्थाओं में ''संयुक्त राष्ट्र के बाह्रय लेखापरीक्षकों का पेनल'' शामिल है। यह पैनल विश्व की लेखाकरण/लेखापरीक्षण पद्धतियों में विकास के मामलों के समाधान करने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करता है। हम संयुक्त राष्ट्र के बाह्रय लेखापरीक्षक और इसकी विशेष संस्था होने के नाते 1993 से पैनल के सदस्य रहे है। सीएजी 2011 से 2013 तक पैनल के अध्यक्ष थे और महानिदेशक (आईआर) उस अवधि के दौरान पैनल के तकनीकी समूह के संयोजक थे।

अनुबंध I

31 मार्च 2014 तक संगठनात्मक चार्ट

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

सीएजी के सचिव

1.	*उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (प्रशासन एवं स्टाफ)	महानिदेशक (एसएमयू) महानिदेशक (प्रशिक्षण) महानिदेशक (आईआर) महानिदेशक (स्टाफ) महानिदेशक (मुख्यालय)	प्रधान निदेशक (आईएस एण्ड आईटी) प्रधान निदेशक (परीक्षा) प्रधान निदेशक (राजभाषा) प्रधान विधिक सलाहकार	एसी(पी) एसी(एन) निदेशक(का.) निदेशक(अ.सं.) निदेशक(नि.)
2.	*उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	महानिदेशक (रक्षा एवं संचार) महानिदेशक (रेलवे) महानिदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा)		
3.	*उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (वाणिज्यिक एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड)	महानिदेशक (वाणिज्यिक-I) प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक)	महानिदेशक (वाणिज्यिक-II)	
4.	*उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (रिपोर्ट केन्द्रीय और स्थानीय निकाय)	महानिदेशक (आरसी) सांख्यिकीय सलाहकार	प्रधान निदेशक (आरसी) प्रधान निदेशक (एलबी एवं एबी)	
5.	*उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (सरकारी लेखे और अध्यक्ष, गसब)	महानिदेशक (जीए) प्रधान निदेशक (जीए)	प्रधान निदेशक(गसब-I) प्रधान निदेशक(गसब-II) प्रधान निदेशक(गसब-III)	
6.	*अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	महानिदेशक (सीआरए) प्रधान निदेशक (सीआरए) प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	प्रधान निदेशक (एसटी) प्रधान निदेशक (सी. शु.)	
7.	*अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (पूर्वी क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) 4 राज्य: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल)	प्रधान निदेशक (पूर्वी क्षेत्र)	
8.	*अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक* (केन्द्रीय क्षेत्र)	महानिदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र) 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	प्रधान निदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र)	

9. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र)	महानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) 4 राज्य: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा	प्रधान निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र)	
10. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र) 8 राज्य: अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा	प्रधान निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	
11. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र)	महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र) 6 राज्य: दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा	प्रधान निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)	
12. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दक्षिणी क्षेत्र एवं पीपीजी)	महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) 2 राज्य: कर्नाटक एवं केरल	प्रधान निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र)	महानिदेशक (पीपीजी)
13. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (निरीक्षण)	प्रधान निदेशक (निरीक्षण)		

टिप्पणी: **क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख म.नि./प्र.म.ले./प्र.नि./म.ले. होते हैं जो संबंधित डीएआई/एडीएआई को रिपोर्ट करते हैं।**

अनुबंध II

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय

I लेखापरीक्षा कार्यालय-संघ और संघ राज्य क्षेत्र
क. सिविल
1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, बैंगलोर
6. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चंडीगढ़
7. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, हैदराबाद
9. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, लखनऊ

11. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई

12. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली

टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की लेखापरीक्षा, महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय, चडीगढ के कार्यक्षेत्र में आती है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई के कार्यक्षेत्र में आती है। दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली से संबंधित लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद के कार्यक्षेत्र में आती है।

ख. रक्षा

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ, चण्डीगढ़
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ, पुणे
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, नौसेना, मुम्बई
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियां, कोलकाता

ग. डाक एवं दूर संचार

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूर संचार, दिल्ली

घ. रेलवे

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलास पुर
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, गुवाहाटी
7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बैंगलुरू
9. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
11. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वी रेलवे, कोलकाता
12. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
13. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन इकाइयों और मेट्रो रेलवे, कोलकाता
14. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुंबई
15. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, मुंबई
16. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

17. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे-वाणिज्यिक, नई दिल्ली

18. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

ङ. वाणिज्यिक

1. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, बेंगलुरू

2. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई

3. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

4. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, कोलकाता

5. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता

6. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, मुंबई

7. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, मुंबई

8. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली

9. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड -II, नई दिल्ली

10. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड -III, नई दिल्ली

11. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड -IV, नई दिल्ली

12. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, रांची

च.	**विदेश स्थित**
1.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, लंदन
2.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वाशिंगटन डीसी
3.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, कुआला लम्पुर, मलेशिया
4.	निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, रोम, इटली
5.	निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, जिनेवा (जुलाई 2012 से बंद)
II	**लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य**
1.	प्रधान महालेखाकार (जीएडंआरएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2.	महालेखाकार (ईएडंआरएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
3.	महालेखाकार, अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर
4.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहटी
5.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
6.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
7.	महालेखाकार, गोवा, गोवा
8.	महालेखाकार (ईएडंआरएसए) गुजरात, अहमदाबाद

9. महालेखाकार (जीएडंएसएसए) गुजरात, राजकोट

10. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ़

11. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला

12. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर

13. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, रांची

14. प्रधान महालेखाकर (जीएडंएसएसए), कर्नाटक, बेंगलुरू

15. प्रधान महालेखाकर (ईएडंआरएसए), कर्नाटक, बेंगलुरू

16. प्रधान महालेखाकर (जीएडंएसएसए), केरल, तिरूवनंतपुरम

17. महालेखाकर (ईएडंआरएसए), केरल, तिरूवनंतपुरम

18. प्रधान महालेखाकर (जीएडंएसएसए), मध्य प्रदेश, ग्वालियर

19. महालेखाकर (ईएडंआरएसए), मध्य प्रदेश, भोपाल

20. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई

21. महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

22. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-III, महाराष्ट्र, मुंबई

23. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल

24. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग

25. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मिजोरम, आइजोल

26. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड, कोहिमा

27. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली

28. महालेखाकार (जीएडंएसएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर

29. प्रधान महालेखाकार (ईएडंआरएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर

30. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब, चंडीगढ़

31. प्रधान महालेखाकार (जीएडंएसएसए), राजस्थान, जयपुर

32. महालेखाकार (ईएडंआरएसए), राजस्थान, जयपुर

33. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम, गंगटोक

34. प्रधान महालेखाकार (जीएडंएसएसए), तमिलनाडु और पुडुचेरी, चेन्नई

35. प्रधान महालेखाकार (ईएडंआरएसए), तमिलनाडु, चेन्नई

36. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला

37. प्रधान महालेखाकार (जीएण्डएसएसए), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

38. महालेखाकार (ईएण्डआरएसएसए), उत्तर प्रदेश, लखनऊ

39. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
40. प्रधान महालेखाकार (जीएण्डएसएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
41. महालेखाकार (ईएण्डआरएसएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
III लेखा और हकदारी कार्यालय – राज्य
1. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), असम, गुवाहटी
3. महालेखाकार (ले. व ह.), बिहार, पटना
4. महालेखाकार (ले. व ह.), छत्तीसगढ़, रायपुर
5. महालेखाकार (ले. व ह.), गुजरात, राजकोट
6. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), हरियाणा, चंडीगढ़
7. महालेखाकार (ले. व ह.), हिमाचल प्रदेश, शिमला
8. महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर
9. महालेखाकार (ले. व ह.), झारखंड, रांची
10. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), कर्नाटक, बैंगलुरू
11. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), केरल, तिरूवन्नतपुरम

12. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
13. महालेखाकार (ले. व ह.)-II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
14. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-I, महाराष्ट्र, मुंबई
15. महालेखाकार (ले. व ह.)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
16. महालेखाकार (ले. व ह.), मणिपुर, इंफाल
17. महालेखाकार (ले. व ह.), मेघालय, शिलांग
18. महालेखाकार (ले. व ह.), नागालैंड, कोहिमा
19. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), ओडिसा, भुवनेश्वर
20. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), पंजाब, चंडीगढ़
21. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), राजस्थान, जयपुर
22. व. उप महालेखाकार (ले. व ह.), सिक्किम, गंगटोक
23. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), तमिलनाडु, चेन्नै
24. महालेखाकार (ले. व ह.), त्रिपुरा, अगरतला
25. महालेखाकार (ले. व ह.)-I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
26. महालेखाकार (ले. व ह.)-II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

27. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), उत्तराखंड, देहरादून

28. महालेखाकार (ले. व ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

IV प्रशिक्षण संस्थान

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला
2. महानिदेशक, सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नोयडा (यू.पी.)
3. पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत् विकास के लिए आंतरिक केंद्र, जयपुर
4. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
5. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै
6. विशेष कार्य अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद
7. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
8. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
9. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता
10. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
11. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
12. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची

13. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलाँग
14. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलुरू@
15. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली@@

@प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बैंगलुरू के प्रभार के अंतर्गत

@@महानिदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली के प्रभार के अंतर्गत